छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा चतुर्दश सत्र

गुरुवार, दिनांक 21 जुलाई, 2022

(आषाढ़ 30, शक सम्वत् 1944)

[अंक 02]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

गुरूवार, दिनांक 21 जुलाई, 2022

(आषाढ़ 30, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, वाह क्या गजब का ड्रेस पहने हैं।

अध्यक्ष महोदय :- थैंक यू।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पंचायत विभाग का प्रश्न है और पंचायत मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, उनको देखते हैं। क्या माननीय सदस्य श्री ननकीराम जी नहीं आये हैं ? आज श्री ननकीराम कंवर जी का जन्मदिन है, मैं अपनी और सदन की ओर से उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं (मेजों की थपथपाहट)। उनके स्वस्थ, सुखी, सफल और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। नारायण चंदेल जी।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बिना परमिट व अधिक दर पर मदिरा का विक्रय

[वाणिज्यिक कर (आबकारी)]

1. (*क्र. 274) श्री नारायण चंदेल : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जांजगीर-चाम्पा जिला, रायगढ़ जिला एवं बिलासपुर जिले में 31 मई, 2022 की स्थिति में देशी व विदेशी मदिरा दुकानों की संख्या कितनी है? **(ख)** क्या उक्त जिले में संचालित देशी व विदेशी मदिरा दुकानों में ग्राहकों से निर्धारित दर से अधिक दर तथा बिना बिल दिये शराब का विक्रय किया जा रहा है? **(ग)** क्या बिना परमिट के मदिरा का विक्रय किया जा रहा है? यदि हां तो बिना परमिट के मदिरा विक्रय से अब तक सरकारी खजाने को कितनी राशि की हानि हुई है? **(घ)** क्या उक्त जिलों की मदिरा दुकानों में शराब में पानी मिलाने, स्तरहीन व घटिया शराब का विक्रय किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां तो इस हेतु कौन दोषी है, दोषियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है? कृपया बतायें?

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : (क) 31 मई, 2022 की स्थिति में जिला-जांजगीर-चाम्पा, रायगढ़ एवं बिलासपुर में देशी व विदेशी मदिरा दुकानों की संख्या निम्नानुसार है:-

जिला	मदिरा दुकान की संख्या		
	देशी	विदेशी	कम्पोजिट
जांजगीर-चाम्पा	22	26	16
रायगढ़	16	23	08
बिलासपुर	25	26	15

जिला- गौरला-पेन्ड्रा-मारवाही की 03 विदेशी मदिरा दुकान का संचालन जिला बिलासपुर से किया जा रहा है। उक्त संख्या जिला-बिलासपुर में संचालित दुकानों की संख्या में शामिल नहीं है। **(ख)** उक्त जिले में संचालित देशी व विदेशी मदिरा दुकानों में ग्राहकों से निर्धारित दर से अधिक दर तथा बिना बिल दिये शराब का विक्रय नहीं किया जा रहा है। **(ग)** बिना परमिट के मदिरा का विक्रय नहीं किया जा रहा है। **(घ)** उक्त जिलों की मदिरा दुकानों में शराब में पानी मिलाने, स्तरहीन व घटिया शराब का विक्रय किये जाने की प्राप्त शिकायत एवं की गई कार्यवाही की जानकारी **संलग्न प्रपत्र**[1] अनुसार है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय आबकारी मंत्री श्री कवासी लखमा जी से जानना चाहता हूं। उन्होंने मेरे प्रश्न के उत्तर में जवाब तो दिया है लेकिन मैंने जिस प्रकार से जांजगीर-चांपा जिला, बिलासपुर जिला और रायगढ़ जिला का प्रश्न किया था। इन तीनों जिलों में एक तो जो तय दर है उससे अधिक मात्रा में शराब की बिक्री की जा रही है और यहां पर बड़ी संख्या में नकली शराबों को खपाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- यह सुनी सुनाई बात है या पेपर में छपा है या खुद का अनुभव है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- चंदेल भैया, कौन-से दुकान में गय रेहे ?

श्री नारायण चंदेल :- मैं बताथन, तै थोड़ा कनिक चुप बैठ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- भैया, तीनों जगह एक साथ जाया करो। रायुपर बोलो और एक आक जिला और बोलो, सब जिले का एक साथ..।

श्री अजय चंद्राकर :- यह पढ़कर बता रहे हैं और आप बोलोगे तो अनुभव से बोलोगे।

श्री सौरभ सिंह :- लिखित शिकायत है।

[1] परिशिष्ट "एक"

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, श्री अमरजीत भगत जी की एक शिकायत है। वह वहां गये थे तो उनको वहां झुनझुनी नहीं चढ़ी। मैं नहीं पी सकता करके इनसे लगवा दिये।

श्री सौरभ सिंह :- पिकअप नहीं लिया।

श्री अमरजीत भगत :- चंदेल जी, आप जाते हो तो फोन करवा लिया करो, उसमें क्या है।

श्री नारायण चंदेल :- जी।

श्री सौरभ सिंह :- तुमन दोनों झन पड़ोसी हव, तय कर लेवा।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, यह नकली शराब के बारे में है। यह आपका जिला है।

अध्यक्ष महोदय :- आपका भी जिला है।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, हर बात में आपका जिक्र क्यों करते हैं ? आप यह बताओं कि आपका क्या अनुभव है ? आपका नाम बार-बार लेते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं तो इनको जानता ही नहीं।

श्री सौरभ सिंह :- आपकी तरफ से शिकायत जा रही होगी कि शराब, पिकअप नहीं ले रहा है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, होली के समय में मदिरा प्रेमी लोग प्रतिनिधि मंडल बनाकर आये थे। उन्होंने कहा कि जो शराब बिक रही है वह पिकअप नहीं ले रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से सीधा-सीधा जानना चाहता हूं कि उन्होंने परिशिष्ट में जो जानकारी दी है, उसमें किसी में बताया गया है कि एक शिकायत प्राप्त हुई थी, किसी में दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पानी मिलाने की भी और अवैध शराब की भी, इन दोनों की शिकायतों की संख्या बहुत ज्यादा है । अवैध शराब में भी बहुत से लोग पकड़े गये हैं लेकिन बिना मुकदमा दायर किये, बिना एक्ट के तहत कोई जुर्म दर्ज किये बगैर उनको छोड़ दिया गया। मेरा आग्रह यह है कि जांजगीर चांपा जिले में 32, बिलासपुर में 34 और रायगढ़ जिले में 41 शिकायतें प्राप्त हुई है। आपने उसमें 1-1, 2-2 दिया है। क्या आप इसकी जांच करायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- यह शिकायत आपको प्राप्त हुई या मंत्री जी को प्राप्त हुई या विभाग को प्राप्त हुई ?

श्री नारायण चंदेल :- विभाग को प्राप्त हुई।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें विभाग ने अपना उत्तर दे दिया है कि उसको एक शिकायत मिली है या दो शिकायत मिली है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर गलत है। इसमें जो प्रक्रिया है, मैं उसकी प्रक्रिया में भी जाऊंगा। इन्होंने लिखा है कि रायगढ़ जिले की जो प्लेसमेंट एजेंसी है, उसको वापस ले लिया गया है। वह प्लेसमेंट एजेंसी कौन चलाता था ? उस एजेंसी का मालिक कौन था ? उसमें कितने लोग काम करते थे ? वे इसी राज्य के थे या दूसरे राज्यों के थे ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- इतने सारे सवाल एक साथ मत करिये, धीरे-धीरे करिये। चलिये माननीय मंत्री जी।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य ने पूछा था कि देशी व विदेशी मदिरा की कितनी दुकानें हैं, हमने उसका उत्तर लिखकर दिया है। उन्होंने और पूछा था कि उसके साथ में क्या-क्या गड़बड़ी है, हमने वह भी बताया कि कोई गड़बड़ी नहीं है। हमे जांजगीर चांपा जिला में शराब में पानी मिलाने की शिकायत मिली थी। हमने उसमें एक आदमी के ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज कर दिया और वहां के जो सब इंस्पेक्टर है, उसको सस्पेंड कर दिया। उसके बाद रायगढ़ जिला में 7 शिकायतें मिली थीं, जिसमें पानी मिलाने वाले मामले में 5 शिकायतें थोड़ी सही मिली, उसमें पांचों के ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज हुआ है। वहां भी सभी छोटे अधिकारी को, इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। इसमें कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्लेसमेंट एजेंसी के बारे में भी पूछा है? उन्होंने परिशिष्ट "एक" में उल्लेख किया है। प्लेसमेंट एजेंसी जो है यह तो शिकायत के बारे में बात किये हैं। जो नकली शराब है, अवैध शराब है, उसके खिलाफ, एक दो लोगों के खिलाफ जांच किये। प्लेसमेंट एजेंसी को वापस ले लिया गया है, यह परिशिष्ट में रायगढ़ जिले के लिए उल्लेख किया है क्या वह प्लेसमेंट एजेंसी इसी राज्य की थी ? उसका मालिक कौन था ? उसमें कितने लोग काम करते थे ? और उसको वापस क्यों लिया गया है? इसका कारण क्या है?क्या अभी भी शासन को देने के लिए उसका पैसा बकाया है? मैं यह जानना चाहता हूँ । लगातार बाहर के लोग झारखण्ड, उड़ीसा, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र का भी शराब खप रहा है और वहां के लोग यहां आकर दुकानों को संचालित कर रहे हैं, जबकि उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात है।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह बाहर के नहीं है। वह लोकल थे, वे पानी मिलाने में शामिल हुए, इसलिए उस अधिकारी के ऊपर कार्यवाही हुई और उनको हटा दिया गया और वहां के अधिकारी को...।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय विधायक जी, आपको पता है कि जांजगीर-चांपा में हसदेव नदी बहती है, रायगढ़ में केलो नदी बहती है, बिलासपुर में अरपा नदी बहती है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर में अरपा नदी बहती है।

अध्यक्ष महोदय :- आप पानी भी चाहते हो, आप पानी गिरे भी चाहते हो, उस शराब में पानी न मिलाये, ऐसे, कैसे ?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिकअप नहीं है।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह लोग लेते हैं।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लेसमेंट एजेंसी को हटा दिया गया है। वहां के डी.ई.ओ. स्तर के अधिकारी को सो-कॉज नोटिस दिया गया है। अगर वह जवाब ठीक-ठाक नहीं देंगे तो उसके ऊपर भी कार्यवाही करेंगे।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ में वसूली की बकाया राशि है तो यह भी बता दीजिए कि कितनी राशि वसूल करना है ? और ऐसी कौन-कौन सी प्लेसमेंट एजेंसी है ? और यह कहां के रहने वाले हैं ?

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तो हमने रायगढ़ वाले को हटा दिया है। रायगढ़ जिले की शिकायत थी। आपने बाकी जगहों का नहीं पूछा है तो यह बताना संभव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- आप बाद में बता दीजिएगा।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिलासपुर और जांजगीर का पूछ रहा हूँ, उसका भी बता दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- वह बाद में बता देंगे।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला जांजगीर-चांपा में एक-एक शिकायत मिली, इसलिए उसके ऊपर कार्यवाही नहीं किये। जहां 5 शिकायतें मिलीं हैं, उनके ऊपर कार्यवाही की गई है। और रायगढ़ के डी.ई.ओ. स्तर के अधिकारी को सो-कॉज नोटिस दिया गया है। जांजगीर के अधिकारी को भी सो-कॉज नोटिस दिया गया है। उनके जवाब देने के ऊपर आएगा कि हम उनका जवाब कैसा पायेंगे, उसके ऊपर ही हम कार्यवाही करेंगे।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सो-कॉज नोटिस कब दिया गया है ? और कितने दिनों में उसका जवाब आएगा ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप छोड़िए। पहली बार इतना बढ़िया उत्तर दे रहे हैं।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- ओमे कब पानी मिलाइस, कब का मिलाइस, कहिके रोज तें पूछबे ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत):- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी बोल रहे थे कि पीक-अप नहीं पकड़ रहा है, पूरा विपक्ष हिल रहा है। बताईये ?

अध्यक्ष महोदय :- आप कठिन प्रश्न न पूछें।

श्री अजय चन्द्राकर:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी तो कुछ प्रश्न ही नहीं पूछा हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं। कुछ भी नहीं।

श्री अजय चन्द्राकर:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एकदम सरल वाला प्रश्न पूछ देता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- आप सरल प्रश्न पूछिये।

श्री अजय चन्द्राकर:- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बाजू में है।(हंसी)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, वह अलग है। मगर वह आज प्रयास कर रहे हैं तो उनको ...।

श्री अजय चन्द्राकर:- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा पूरा सहयोग रहेगा। मैं एकदम सरल वाला प्रश्न पूछ रहा हूँ।

यह प्लेन शराब में दोनों प्रकार में पानी मिलाने की जो शिकायत होती है तो शुद्ध में क्या-क्या रहता है ? और पानी मिलाते हैं तो कितना पानी मिलाया जाता है? उसकी जांच की क्या व्यवस्था है ? और इन तीनों जिलों में कहां-कहां व्यवस्था है? उसकी जांच कौन से स्तर के अधिकारी करते हैं ?

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कुछ भी प्रश्न उठाते हैं। क्या-क्या उसमें पानी मिलाये, कैसे मिलायेंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर:- माननीय अध्यक्ष महोदय, शराब में पानी मिलाने के जांच की क्या व्यवस्था है ? उन्होंने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि शराब में पानी मिलाया है। शुद्ध शराब में क्या-क्या कंटेंट होते हैं ? उन तीनों जिलों में शराब में पानी मिलाने, जांच की क्या व्यवस्था है ? और उसकी जांच कौन से स्तर के अधिकारी करते हैं ? उन्होंने स्वीकार किया है कि हां, शराब में पानी मिला है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत जानकार हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हां, मैं जानकार हूँ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय,मैं तो बोलत हों कि तें जानकार हस। ओमे कतका काय मिलाए जाथे, तोला जानकारी हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय,अब में कुछ बोल दूहूं तहान तें भड़क जबे।

श्री अमरजीत भगत :- तें बोलना, बोले में कोई आपत्ति नइ हे।

श्री शिवरतन शर्मा :- तें ओकर ले ज्यादा जानकार नइ हस। यह बात तय है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय,इसको स्वीकार कर लिया। ओ तो ए महाराज बइठे हे।

श्री शिवरतन शर्मा :- ओखर से नंबर वन हे, ओ हा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे सरल प्रश्न नहीं हो सकता। चूंकि शराब में मिलावट के जांच की सही व्यवस्था नहीं है, शराब में कितना पानी मिलाया गया या पूरा पानी बेच दिया गया। यह पूरे प्रदेश की समस्या है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने अपने जवाब में इस बात को स्वीकार किया है कि शराब में पानी मिलाया गया है, इसकी शिकायत हुई और जांच हुई। तो ओरिजन के लिए क्या रहता है ? और शराब में कितना पानी मिला है या पूरा पानी ...।

अध्यक्ष महोदय :- इसकी जांच की क्या प्रक्रिया है ?

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच की क्या प्रक्रिया है ? इसकी जांच कौन से स्तर के अधिकारी करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, इसमें जांच की कोई प्रक्रिया है क्या कि कितना पानी मिला है ?

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, जिला स्तर पर हमारा उड़नदस्ता है, प्रदेश स्तर पर उड़नदस्ता आकर बड़े अधिकारी जांच करते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- मशीन जांच की प्रक्रिया थोड़ी है। कोई लैब वगैरह है क्या ?

श्री कवासी लखमा :- जब शिकायत मिलती है तो जिला स्तर के अधिकारी उड़नदस्ता से जांच करवाते हैं। उसमें (व्यवधान) से जांच करवाते हैं, तब थोड़ा बहुत ऐसी पानी मिलने की शिकायत मिलती है तो उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं।

श्री अमरजीत भगत :- आपको अनुभव है तो आप बता दीजिए कि क्या है ?

अध्यक्ष महोदय :- उसमें पानी मिलाने की कितनी मात्रा है, यह कैसे जांच करते हो, यह पूछ रहे हैं ?

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष महोदय, वह प्रश्न तो उद्-भूत नहीं होता है, मैं उनको अलग से बता देता हूं कि क्या-क्या मिलाते हैं ? यह पहले कभी मिलाते होंगे, उसी हिसाब से बता देता हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, एक गंभीर बात है।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, अगर आपका प्रश्न गंभीर है तो अकबर जी उत्तर देंगे। अगर आपका प्रश्न सामान्य है तो कवासी लखमा जी उत्तर देंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष जी, उनको तो मैं स्वीकार कर लिया हूं कि Artificial intelligency छत्तीसगढ़ में है।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय..।

श्री अजय चंद्राकर :- रहान दे भैया। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, बताईए बताईए। आप बताएं।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मिलावट जांच के लिए विभाग के पास रासायनिक प्रयोगशाला है, दूसरा यह कि हाइड्रोमीटर और थर्मामीटर के माध्यम से जांच होती है।

श्री अजय चंद्राकर :- आप यंत्र का नाम बताईए, उसकी जांच थर्मामीटर से नहीं होती है। हम जानते हैं कि कैसे जांच होती है..।

अध्यक्ष महोदय :- फिर क्यों पूछ रहे हो, आप बता दीजिए ? (हंसी)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- जानकारी हे ता पूछे के का जरूरत हे।

श्री अजय चंद्राकर :- अब तोला मैं, कहीं कुछु कहूं। थोड़ा देर में देखत रहा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने पूछा था कि क्या बिना परमिट के मदिरा का विक्रय किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान में ला देता हूं कि सारी शराब दुकानों में दो कैश बॉक्स रखे गये हैं।

अध्यक्ष महोदय :- दो कैश बॉक्स ?

श्री शिवरतन शर्मा :- हां वहीं बता रहा हूं। दो पेटियां रखी जाती है, एक पेटी में उसका हिसाब किताब रहता है जो परमिट की शराब रहती है और दूसरी पेटी में जो विदाउट परमिट की शराब आती है, उसके विक्रय का हिसाब-किताब रखा जाता है और सरकार के द्वारा एक घोषित व्यक्ति जाकर उसका कलेक्शन लेकर आता है।

अध्यक्ष महोदय :- आप सुनी सुनाई बात कर रहे हैं क्या कि देखे हैं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, विधानसभा में मेरा ध्यानाकर्षण था, मेरे को लिखकर दिया गया कि बिना परमिट की शराब आयी और शाम को ले गये कि परमिट था। आप बोलेंगे तो मैं पंचनामे की कॉपी उपलब्ध करा देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री शिवरतन शर्मा :- बिना परमिट की शराब तीन गुना ज्यादा बिक रही है। 25 प्रतिशत परमिट की शराब बिकती है और 75 प्रतिशत शराब बिना परमिट की बिकती है और एक्साईज की चोरी होती है और एक्साईज की चोरी का पैसा कहां जाता है, यह आप सब जानते हैं ? आयकर का जो छापा पड़ा था, उसमें भी एक बड़ा कारण एक्साईज की चोरी का था। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अभी माननीय चंदेल जी के प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया कि बिलासपुर में 5 शिकायत हुई और हमने 5 प्रकरण में कार्रवाई की, मंत्री जी ने लिखित उत्तर में कहा है कि...।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, उसको छोड़िए, वह अलग मामला है1

श्री शिवरतन शर्मा :- मंत्री जी ने लिखित उत्तर में कहा है कि 7 शिकायत हुई और 1 पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। रायगढ़ में पांच शिकायत प्राप्त हुई, 2 में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। जब 5 शिकायत प्राप्त हुई तो 2 में आपराधिक प्रकरण क्यों दर्ज हुआ ? बिलासपुर में 7 शिकायत प्राप्त हुई तो 1 में आपराधिक प्रकरण क्यों दर्ज हुआ ? बाकी प्रकरण में क्यों दर्ज नहीं हुआ, आप यह बता दें।

श्री कवासी लखमा :- बाकी जो शिकायत प्राप्त हुई है, वह सही नहीं है। जब सही पाया जायेगा तो उसमें एफ.आई.आर. दर्ज करेंगे। सभी शिकायत सही थोड़ी होती है, बाकी शिकायत सही नहीं पाया गया है, इसीलिए दर्ज प्रकरण नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए हो गया।

असंपादित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, शिकायतकर्ता कौन था, शिकायत की जांच किस अधिकारी ने की यह बता दीजिए ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, इतना मत पूछिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, सारी शिकायत सही नहीं पाई गयी तो शिकायतकर्ता कौन था और शिकायत की जांच किस अधिकारी ने की, इसकी जानकारी सदन में बता दीजिए ?

श्री अमरजीत भगत :- कहां तैं पंडित आदमी शराब के पीछे पड़ गे हस, भाई।

अध्यक्ष महोदय :- देखिए, सुबह-सुबह की बात है, आप शराब में इतना मस्त मत हो जाईये।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सुबह-सुबह ही तो उतारा लेते हैं।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के जवाब में आया है कि गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले की तीन विदेशी शराब दुकानों का संचालन बिलासपुर से हो रहा है। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला बने दो साल हो गये हैं। बॉर्डर का जिला है, वहां से सबसे ज्यादा शराब की तस्करी होती है और उसका संचालन बिलासपुर जिले से हो रहा है तो फिर जिला बनाने का क्या औचित्य है ?

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा चलिए।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष जी, जिला बनाने का क्या औचित्य है, अगर दो साल से उसका संचालन बिलासपुर से हो रहा है।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, एक बिलासपुर जिले की जानकारी है, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले की जानकारी मांगी नहीं है तो उसको नहीं दिया गया है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के जवाब में आया है कि गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले की तीन विदेशी मदिरा दुकान का संचालन बिलासपुर जिले से किया जा रहा है। हमारा यहा आग्रह है कि बिलासपुर जिले से क्यों संचालन किया जा रहा है, आपने दो साल पहले जिला बना दिया। बॉर्डर का जिला है, वहां अगर अधिकारी नहीं बैठेगा तो आप तस्करी कैसे रोकेंगे ?

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष जी, वैसे भी दो अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, दो से ज्यादा हो गया।

अध्यक्ष महोदय :- शराब का मामला है, ज्यादा भी हो सकता है1 प्रश्न क्रमांक 2 रजनीश कुमार सिंह ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष जी, जवाब नहीं आया है, यह जनहित का प्रश्न है, आप जवाब दीजिए। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में क्यों नहीं हो रहा है1

श्री मोहम्मद अकबर :- आपने गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के बारे में बात कही है, उसके लिए....।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, Artificial intelligency में आपकी व्यवस्था आ गयी है कि इसका उपयोग बार-बार नहीं किया जाएगा।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- चलिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- उसके लिए विभागीय सेटअप तैयार किया जाएगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- विभागीय मंत्री के रहते हुए आप जवाब कैसे दे सकते हैं? जब विभागीय मंत्री उपस्थित हैं तो आप जवाब कैसे दे सकते हैं ? (व्यवधान) मंत्री जी यहां उपस्थित हैं । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर बात है । सबको बाहर भेज दीजिये और उत्तर दिलवाईये । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- यह समवेत जवाबदारी है । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- उनको बाहर भेजकर आप उत्तर दीजिये । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- इसमें समवेत जवाबदारी है, आप इसमें फोर्स नहीं कर सकते । (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने ही कहा था और आपने भी कहा था, सभी माननीय सदस्यों ने कहा था कि आप इनसे उत्तर दिलाओ, हम पूरा सहयोग करेंगे । आपने कहा था और अब वह उत्तर दे रहे हैं । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- आपको अधिकृत किया गया लेकिन आप उत्तर दे रहे हैं तो उनको बाहर भेज दीजिये । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- उनको बाहर भेज दीजिये । (व्यवधान) सदन में रहते हुए नहीं दे सकते हैं । (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- नहीं-नहीं, आपने कहा था कि उत्तर दिलवाईये हम सहयोग करेंगे । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- अगर गले में खराश है और सहयोग कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है ?

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया, माननीय मंत्री जी उसका जवाब तो दे दें । (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- दे दिया न, उसके लिये सेटअप तैयार हो रहा है । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं जानता कि आपको कॉकटेल पीने का अनुभव है कि नहीं लेकिन मुझे है ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं है, मुझे नहीं है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे है और मैं यहां देख रहा हूं कि विधानसभा के अंदर एक्साईज डिपार्टमेंट कॉकटेल में चल रहा है, कोई एक दे दो। आप दे दो या आप दे दो, हम सुनने के लिये तैयार हैं । हम थोड़ी न आपत्ति कर रहे हैं लेकिन कॉकटेल में कन्फ्यूजन होता है ।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अमरजीत भगत :- माननीय धर्मजीत भैया, यह तो ऑन डिमाण्ड होता है। उधर से कॉकटेल की मांग की जा रही है ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कॉकटेल में यह पता नहीं चल रहा है कि क्या चल रहा है ?

श्री अमरजीत भगत :- उधर से मांग की जा रही है ।

श्री सौरभ सिंह :- धर्मजीत भैया, कॉकटेल में यह पता नहीं चल रहा है कि मिल क्या रहा है ?

श्री धर्मजीत सिंह :- ये तो बिना पानी वाला ओरिजनल मांग रहे हैं भई ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने तो व्यवस्था दे दी है कि जब अड़चन आये तो अकबर भाई जवाब दे सकते हैं करके, उसमें कोई बात नहीं है लेकिन हमारी जिज्ञासा है कि आज पहले ही प्रश्न में प्रतिपक्ष के लोग आबकारी में, शराब में इतने मस्त क्यों हो गये ?

श्री अजय चंद्राकर :- उतारा जो है, सुबह-सुबह ही लेते हैं । हो सकता है कि कई लोग उतारा लेकर ही आये हों । आपके किसी लोगों को कल ज्यादा हो गया रहा होगा ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अनुभव का भी बड़ा महत्व होता है, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं । नकली शराब कैसे है, जांच कैसे की जाती है, हम सब लोग गांव के हैं । कोई दबाकर आता है न और जब चढ़ता नहीं है तो बता देता है कि असली था कि नकली था । आपको समझ है फिर भी आप प्रश्न करते हैं । (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- वे पीकर आते हैं तो अंग्रेजी भी बोलते हैं ।

श्री कवासी लखमा :- पीने के बाद न ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वे अंग्रेजी भी बोलने लगते हैं । सबसे सरल पहचान है कि अगर पीकर आये और अगर अंग्रेजी बोले, अंग्रेजी झाड़े तो समझ लो कि ओरिजनल माल है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये रजनीश कुमार सिंह जी ।

<u>स्वास्थ्य विभाग व सीजीएमएससी के द्वारा दवाई खरीदी</u>

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

2. (*क्र. 334) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या अप्रैल, 2019 से 31 मई, 2022 तक स्वास्थ्य विभाग व सीजीएमएससी के द्वारा दवाई खरीदी हेतु आमंत्रित निविदाओं में डीपीसीओ/एनपीपीए से अधिक दर नहीं भरने के सम्बंध में संबंधित निविदा में शर्ते थी ? यदि हॉ तो क्या ? निविदाकर्ताओं से क्या इस सम्बंध में एफिडेविट लिया गया

है ? (ख) क्या प्रश्नांश 'क' अवधि में निविदाकारों द्वारा डीपीसीओ/एनपीपीए सम्बंधित शर्तो का उल्लंघन किया गया है? यदि हॉ तो किन-किन फर्मो के द्वारा किस दवाई हेतु व किस निविदा में उल्लंघन किया गया है तथा डीपीसीओ/एनपीपीए के द्वारा निर्धारित दर से कितनी अधिक दर भरी गई ? इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई व कितनी राशि वसूली की गई ? (ग) क्या किसी फर्म के द्वारा निविदा दर स्वीकृति के पश्चात डीपीसीओ के आधार पर दर कम की गई है? यदि हॉ तो किस कंपनी के द्वारा किस दवाई हेतु कितनी दर कम की करने हेतु आवेदन दिया गया व कितनी दर कम की गई ? डीपीसीओ से अधिक दर पर दर स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी/समिति के सदस्यों के नाम बतावें, व इन पर क्या कार्यवाही की गई ?

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) : (क) जी हाँ। अप्रैल, 2019 से मई, 2022 तक सीजीएमएससी के द्वारा दवाई खरीदी हेतु आमंत्रित निविदाओं में डीपीसीओ/एनपीपीए से अधिक दर नहीं भरने के संबंध में संबंधित निविदा में "यह कि निविदा में सामग्री हेतु भरी गयी दर उचित है एवं थोक विक्रेता/संस्थागत आपूर्ति (जो लागू हो) हेतु डीपीसीओ द्वारा निर्धारित दर से अधिक नहीं है" शर्त का उल्लेख है। उक्त के संबंध में निविदाकर्ताओं से एफिडेविट लिया गया है। (ख) जी हाँ। अप्रैल, 2019 से मई, 2022 तक की अवधि में 01 निविदाकार मेसर्स नन्ज मेड साइंस फार्मा प्राईवेट लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश द्वारा निविदा संदर्भ क्रमांक 51(R)/CGMSC/Drug & Medicines/2019-20, Dt. 26-09-2019 में औषधि सिल्वर सल्फाडाइजिन क्रीम 1% w/w, 50gm हेतु डीपीसीओ/एनपीपीए के द्वारा निर्धारित दर से रूपए 1.7 अधिक दर भरी गयी थी। क्रय-आदेश जारी होने के उपरान्त फर्म द्वारा औषधि सिल्वर सल्फाडाइजिन क्रीम 1% w/w, 50gm का दर, डीपीसीओ में संशोधित होने के संबंध में सीजीएमएससी को जानकारी देते हुए, अनुबंध में स्वीकृत दर में रूपए 1.80 कम किये जाने (जो कि संशोधित दर डीपीसीओ में निर्धारित दर से कम थी) हेतु निवेदन किया गया तथा फर्म द्वारा संशोधित दर पर ही बिल प्रस्तुत किये जाने पर संशोधित दर अनुसार ही भुगतान किया गया। अतिरिक्त /अधिक भुगतान की स्थिति निर्मित नहीं होने के कारण वसूली अथवा कार्यवाही नहीं की गयी। (ग) जी हाँ। 02 फर्मों के द्वारा निविदा दर स्वीकृति के पश्चात डीपीसीओ के आधार पर दर कम की गई है। कंपनी एवं दवाई का नाम, कितनी दर कम करने के आवेदन तथा कितनी दर कम की गयी, की जानकारी संलग्न प्रपत्र- "अ"अनुसार ।संबंधित निविदा के निविदा समिति के सदस्यों के नाम की जानकारी संलग्न प्रपत्र- "ब"[2] अनुसार । अतिरिक्त/अधिक भुगतान नहीं होने के कारण कार्यवाही नहीं की गयी।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी नहीं हैं ।

---

[2] परिशिष्ट "दो"

अध्यक्ष महोदय :- आपका जवाब मिलेगा न, आप प्रश्न करिये ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था कि अप्रेल 2019 से 2022 तक सीजीएमएससी द्वारा जो दवाई खरीदी की गयी है उसमें क्या यह शर्त रखी गयी थी कि निर्धारित दर पर ही देना है और उसके लिये एफिटडेविट देना है, उसमें जवाब आया है कि हां यह ऐफिटडेविट देना था, निर्धारित शर्त में ही देना था और इसमें यह भी जवाब आया है कि एक फर्म ने बाद में, 3 महीने बाद अधिर दर देने के बाद अपनी दर को संशोधित किया है और उत्तर में यह भी दिया है कि आप उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं किये हैं, भुगतान उसको जो दर था उस आधार पर किये हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कंपनी के खिलाफ में कार्यवाही किये हैं, यदि किये हैं तो क्या किये हैं और यदि नहीं किये हैं तो क्यों नहीं किये हैं ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संबंधित कंपनी को नोटिस जारी किया गया है । उनका जवाब आने के बाद ही कोई कार्यवाही निर्धारित होगी ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद दो कंपनी और हैं जिनको डीपीसीओ के आधार पर बाद में फिर उसकी दर को कम किया गया है तो मैं यह जानना चाह रहा हूं कि जब बार-बार कई कंपनी ऐसा कर रही हैं तो आप उनको जब ब्लेकलिस्टेड करने का नियम है, कार्यवाही करने का तो नोटिस जारी करके इतने दिनों से क्यों रखा गया है ? चूंकि यह वर्ष 2019 का मामला है तो इतने दिनों तक इसको क्यों रोककर रखा गया है और क्या भविष्य में ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद । चलिये, प्रश्न क्रमांक-3 श्रीमती छन्नी चंदू साहू।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत मंत्री ने इस्तीफा दिया है । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- इस्तीफा दे दिया गया है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- वह बात कल हो गयी है । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या उनको अधिकार दिया गया है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- बात हो चुकी है । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल इस पर भारी चर्चा हुई है। जब मंत्री नहीं हैं, इस्तीफा दे दिया है तो दूसरे मंत्री कैसे उत्तर देंगे ? (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब पंचायत मंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो किसको अधिकृत किया गया है और किसने किया है, यह बता दें ।

अध्यक्ष महोदय :- कल बता दिया गया है । (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसने किया है यह तो बता दें, सदन की जानकारी में आ जाये । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- कौन किया है? (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- अधिकृत किसने किया है यह तो बतायें ।

श्री रविन्द्र चौबे :- जिसको करना चाहिए उसी ने किया है । (व्यवधान) विधानसभा सचिवालय में चिट्ठी भेज दिया । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- कल बता दिया गया था कि उन्होंने अकबर भाई को अधिकृत किया है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल ही इस विषय में चर्चा हुई है कि उन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया, यानी वह विभाग छोड़ दिया है जब वह विभाग छोड़ दिया है तो उन्होंने उसमें अधिकृत कैसे कर दिया?

अध्यक्ष महोदय :- चूंकि उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है, इसलिए उनकी तरफ से जवाब देने की जवाबदारी..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में हमने कल आपसे बयान मांगा था। मैं आपकी व्यवस्था में प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मुख्यमंत्री जी इस सदन में मौजूद हैं। वे इस बात को बतायें।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, इसमें अभी कुछ नहीं होगा। प्रश्नकाल के बाद होगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप इसमें व्यवस्था दे दें।

श्री शिवरतन शर्मा :- मुख्यमंत्री जी बता दें कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मुख्यमंत्री जी बैठे हैं तो वे बतायें।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल के बाद भी बैठे रहेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- मुख्यमंत्री जी बतायें कि उनका इस्तीफा स्वीकार किये हैं या नहीं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- अधिकृत किये हैं तो यह प्रक्रिया ही गलत हो रही है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं कोई गलत नहीं हो रहा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। यह सदन को बता दें।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह बात सदन में बता दें तो यह विषय आज ही खत्म हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग पेपर में छपी हुई बातों को कह रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार नहीं किया है। आपने कहा।

अध्यक्ष महोदय :- मैं बोल रहा हूं न। मुझे जानकारी है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके पास किसी तरह की सूचना होगी न, तभी तो आपने कहा। इसलिए मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, वे इस बात को कहे।

श्री शिवरतन शर्मा :- मुख्यमंत्री जी सदन में बैठे हैं। वे बता दें कि इस्तीफा स्वीकार किया गया है या नहीं किया गया है?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप बोल रहे हैं इसलिए हमने इस बात को कहा। मुख्यमंत्री जी इस बात को बोल दें।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष जी, आपने शुरू में ही आबकारी विभाग में चर्चा करा दिया, उसका असर दिख रहा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, यह महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने स्वीकार किया है या नहीं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- एक मंत्री सार्वजनिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे रहा है। मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहा है और पत्र लिखने के बाद उनके विभाग के प्रश्न का उत्तर देने के लिए दूसरे मंत्री खड़े हुए हैं तो दूसरे मंत्री को किसने अधिकृत किया है? हम सिर्फ यही जानना चाहते हैं। आप केवल यही बता दें कि अधिकृत किसने किया?

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि उनका इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत नहीं किया है। मैंने आपकी बात पर ही आग्रह किया कि यदि यह बात सही है तो यह बात माननीय मुख्यमंत्री जी को इस सदन को बता देना चाहिए। यह विषय समाप्त हो जायेगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष जी, कल सारे प्रतिपक्ष के सदस्यों के हाथ में महाराज साहब की चिट्ठी थी, जिसे ये लोग हिला रहे थे।

श्री शिवरतन शर्मा :- आज भी है।

श्री रविन्द्र चौबे :- अभी भी रखे हैं न।

श्री शिवरतन शर्मा :- अभी भी रखे हैं। दिखा देंगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- उसमें एक अक्षर पढ़ लेना कि उसमें त्याग पत्र शब्द का उपयोग है क्या?

श्री अजय चन्द्राकर :- छोड़ता हूं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- छोड़ता हूं है।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप लोग बार-बार इस्तीफा बोल रहे हैं। महाराज ने इस्तीफा दिया ही नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष जी ने क्या कहा ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, मैं आपसे कह रहा हूं। मैं बोल रहा हूं न।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष जी ने क्या कहा, मैं उस पर बात कर रहा हूं। मैं अध्यक्ष जी ने जो बात कही, उस पर बात कर रहा हूं।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, मैं कह रहा हूं कि एक शब्द भी इस्तीफा और त्याग पत्र जैसा शब्द ही नहीं है। (व्यवधान) आप फिर चेक कर लो।

श्री सौरभ सिंह :- पंचायत विभाग छोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग में कोई नहीं बोला कि स्वास्थ्य विभाग छोड़ दिया। पंचायत विभाग छोड़ दिया। पंचायत विभाग से अपने को पृथक कर लिया तो अभी पंचायत मंत्री कौन है? (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी अध्यक्ष महोदय जी ने सदन को सूचना दी है कि उनका त्याग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार नहीं किया है। अभी अध्यक्ष जी ने सदन में सूचना दी है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी ने लिखा है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के भार से मैं अपने आपको पृथक कर रहा हूं। आपने मुझे शेष जिन विभागों की जिम्मेदारी दी उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता और निष्ठा से निभाता रहूंगा। उन्होंने अपने आपको पृथक करने का पत्र लिखा है।

श्री सौरभ सिंह :- एक तरफ पृथक हो रहे हैं और एक तरफ अधिकृत कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष जी, आपने जो कहा है वही बात मुख्यमंत्री जी कह दें। यही बात मुख्यमंत्री जी कह दें, यह विषय हमेशा के लिए समाप्त हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, बैठिए-बैठिए। बड़े मुश्किल से तो प्रश्नकाल आता है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष जी की व्यवस्था आ जाये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- आप तो वरिष्ठ हैं। अध्यक्ष रह चुके हैं। कल तो बहुत सारी इसमें बातें हुई थीं।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं, कल इसमें चर्चा हुई थी। कल चर्चा में हम लोगों ने इसे वहीं पर छोड़ा था कि जब तक इसका समाधान न हो जाये और डिसाइड न हो जाये कि आखिर वह समस्याग्रस्त बना हुआ है। अब मामला फिर वहीं पर अटका हुआ है कि उसका समाधान नहीं हुआ और हम लोगों ने कहा था कि सदन की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक जब तक कि उसका समाधान न हो।

अध्यक्ष महोदय :- बंद कर देता हूं, आप बोल रहे हैं तो। उसी-उसी बात पर आप लोग जबरन चर्चा करा रहे हैं। आप प्रश्नकाल में क्यों, शून्यकाल में बात कीजिए न। आप शून्यकाल में बात नहीं करेंगे क्या?

श्री धरमलाल कौशिक :- अभी चौबे जी ने कहा त्याग पत्र नहीं दिया तो पदमुक्त होना और पद छोड़ना, क्या उसमें अंतर है? इसमें कोई अंतर नहीं। अपने आप को पृथक कर लिया, मतलब उन्होंने अपने आपको पंचायत विभाग से पृथक कर लिया।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें कल चर्चा हो चुकी है। आज नहीं हो सकती।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्नकाल है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं आता। आप वरिष्ठ नेता हैं, बैठ जाइए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा एक निवेदन है कि इसमें मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री जी, कल भी आपने जवाब दिया था।

अध्यक्ष महोदय :- जब प्रश्न का उत्तर आयेगा तो इसमें शून्यकाल में जवाब देंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- या तो आपने उसका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया है, उसे आप हां कहें। स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो इस संदर्भ में मुख्यमंत्री जी यहां पर बतायें। वक्तव्य दें। हम चाहते हैं कि इसमें मुख्यमंत्री जी वक्तव्य दे। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष जी, यह तो प्रश्नकाल है। यह इनकी रणनीति है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है। आपने सदन को सूचना दी।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय ननकीराम जी, आप विलंब से आये हैं। पूरा सदन आपको जन्मदिन की बधाई देता है। (मेजों की थपथपाट) आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। श्रीमती छन्नी चंदू साहू।

खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनपद पंचायतों में रिक्त पद

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

3. (*क्र. 437) श्रीमती छन्नी चंदू साहू **:** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखंड छुरिया एवं अंबागढ चौकी के जनपद पंचायत में कितने अधिकारी/कर्मचारी के पद स्वीकृत हैं? **(ख)** कंडिका 'क' के अनुसार कितने पद पर कार्यरत हैं व कितने पद रिक्त हैं? यदि रिक्त हैं तो कब तक पद की पूर्ति की जावेगी, कृपया जनपद पंचायतवार जानकारी देवें?

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) **: (क)** खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनपद पंचायत छुरिया में 54 तथा अंबागढ़ चौकी में 40 अधिकारी/कर्मचारी के पद स्वीकृत हैं। **(ख)** जनपद पंचायत छुरिया में 18 पदों पर अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत् हैं एवं 36 पद रिक्त हैं तथा जनपद पंचायत अंबागढ़ चौकी में 18 पदों पर अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत् हैं एवं 22 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निश्चित समय-सीमा का निर्धारण किया जाना संभव नहीं हैं।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय अध्यक्ष जी, मैंने प्रश्न किया था कि मेरे खुज्जी विधान सभा अंतर्गत जनपद पंचायत छुरिया एवं चौकी में कितने अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत् हैं एवं कितने पद रिक्त

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हैं ? माननीय मंत्री जी के माध्यम से जानकारी मिली है । जनपद पंचायत छुरिया में कुल पद 54 में से 18 कार्यरत् एवं 36 पद रिक्त हैं । जनपद पंचायत चौकी में कुल पद 40 में से 18 कार्यरत् एवं 22 पद रिक्त हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि रिक्त पदों में कितने पदों पर संविदा नियुक्ति की गई है एवं कितने पद रिक्त हैं ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जिन पदों के बारे में जानकारी दी गई है, कुल 54 हैं । मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पद भरा हुआ है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी (आदिवासी विकास) भरा हुआ है, सहायक लेखा अधिकारी, जनपद पंचायात स्थापना पदोन्नति का पद है इसलिए पदोन्नति के बाद इसको भरा जाएगा । कनिष्ठ लेखा अधिकारी का पद भरा हुआ है, वरिष्ठ आंतरिक लेखा अधिकारी का सेवा नियम बनना बाकी है, इस कारण रूका हुआ है । आंतरिक लेखा परीक्षक एवं करारोपण अधिकारी के दो पद हैं, यह प्रक्रियाधीन है, ऐसे पूरे 54 हैं, मैं आपको पूरा चार्ट दे दूंगा ।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं जनपद पंचायतों के माध्यम से संचालित होती हैं । जहां इतने सारे पद रिक्त हैं, तो मुझे लगता है कि इसके कारण सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, मैं मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहूंगी कि जितने भी रिक्त पद हैं, उन्हें भरा जाए ताकि हमारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का अच्छे से संचालन हो ।

श्री मोहम्मद अकबर :- इसको जल्दी कराने का प्रयास करेंगे ।

<u>जशपुर विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों की स्थिति</u>

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

4. (*क्र. 326) श्री विनय कुमार भगत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2019-20 से 31 मई, 2022 तक जशपुर विधान सभा क्षेत्र में कितने ग्रामीण सड़को की स्वीकृति दी गई तथा कितनों का निर्माण किया गया ? वर्षवार, सड़कवार, एजेंसी एवं श्रेणीवार जानकारी देवें ? **(ख)** उक्त अवधि में स्वीकृत सड़को में से निर्माणाधीन सड़को को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ?

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) : **(क)** जानकारी [3]**संलग्न "प्रपत्र"** में दर्शित है। **(ख)** निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

श्री विनय कुमार भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से जशपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों की जानकारी मांगी थी । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं

[3] परिशिष्ट "तीन"

कि कोई भी सड़क जो कम्प्लीट होती है तो उसको कम्प्लीट करने से पहले उसका सत्यापन किया जाता है या सी.सी. जारी किया जाता है या नहीं ।

श्री मोहम्मद अकबर :- किया जाता है ।

श्री विनय कुमार भगत :- माननीय मंत्री महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मनोरा से पकरीटोली पहुंच मार्ग है, यह पूर्ण नहीं हुआ है, जर्जर स्थिति में है । अधिकारी आपको ग़लत जानकारी दे रहे हैं कि वह सड़क पूर्ण हो चुकी है । यह गलत जानकारी है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप क्या चाहते हैं ?

श्री विनय कुमार भगत :- मैं चाहता हूं कि उसको पूर्ण किया जाए या जिन अधिकारियों ने ग़लत जानकारी दी है, उन पर कार्रवाई हो ताकि ऐसी ग़लत ख़बर न दें, मेरा कहने का मतलब यह है ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है ।

श्री मोहम्मद अकबर :- मैं इसको दिखवा लूंगा ।

श्री विनय कुमार भगत :- या मेरे सामने जांच करा लें ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री अरूण वोरा ।

श्री विनय कुमार भगत :- अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है ।

अध्यक्ष महोदय :- कर लीजिए ।

श्री विनय कुमार भगत :- प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बहुत सारी सड़कें हैं, इसमें 8 सड़कों को प्रगतिरत् बताया गया है । इसमें बहुत सारी सड़कें हैं, इसकी संभावित तिथि दिसम्बर 2022 है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या संभावित तिथि से पहले भी कोई तिथि थी क्या या दिसम्बर 2022 ही अंतिम तिथि थी ।

श्री मोहम्मद अकबर :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता अधूरे मार्गों को पूरा करने के बारे में है तो उसको मैं दिखवा लूंगा, जितनी जल्दी हो जाए मैं करवा दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- वोरा जी ।

श्री विनय कुमार भगत :- और एक अंतिम प्रश्न करना चाहता हूं । जरिया से गुजरी मार्ग पर डड़गांव में लावा नदी पर जो निर्माण किया जा रहा है, इसमें पूर्णता तिथि 1.9.2022 बताई गई है, जबकि इसका 90 प्रतिशत काम बचा हुआ है । इसका क्या होगा ? इसका जल्दी से जल्दी निर्माण कराने की कृपा करेंगे ।

श्री मोहम्मद अकबर :- मैं इसको भी दिखवा लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- जशपुर के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग बिना किसी भेद के पूरे ज़िले में घूमें और वहां की सड़कों की हालत बहुत जर्जर है, उसको ठीक करने के लिए संबंधित मंत्री से मिला करें । यह मेरा आप सब से निवेदन है ।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी से उत्तर भी शॉर्ट एंड स्वीट आ रहा है और सड़क भी नहीं है ।

<u>प्रदेश में स्थापित सीमेंट एवं इस्पात संयंत्र</u>

[वाणिज्य एवं उद्योग]

5. (*क्र. 281) श्री अरुण वोरा : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- प्रदेश में मई, 2022 की स्थिति में कुल कितने सीमेंट एवं इस्पात संयंत्र स्थापित हैं? जिलेवार जानकारी दें?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : प्रदेश में मई, 2022 की स्थिति में कुल 13 सीमेंट संयंत्र एवं 62 इस्पात संयंत्र स्थापित हैं। जिलेवार सीमेंट संयंत्र की जानकारी [4]**संलग्न प्रपत्र-'अ'**एवं जिलेवार इस्पात संयंत्र की जानकारी **संलग्न प्रपत्र -'ब'** पर दर्शित है।

श्री अरूण वोरा :- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश में संचालित सीमेंट संयंत्रों की प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता कितनी है और इसके रेट तय करने के क्या मापदंड या क्या प्रक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय :- आपको इसके बारे में कोई ग़लत जानकारी मिली है क्या ?

श्री अजय चंद्राकर :- वोरा जी, हो गया। आप उनसे सरल-सरल प्रश्न पूछना, फिर बाद में उनके पास जाकर पूरी जानाकरी ले लेना।

श्री शिवरतन शर्मा :- वोरा जी, इसकी सरल प्रक्रिया यह है कि जब-जब चुनाव आयेंगे तो उसके रेट बढ़ाये जायेंगे, क्योंकि पैसा भेजना पड़ता है। आपको तो ज्यादा अनुभव है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- आप लोग तो 15 साल यही काम करते थे।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आप लोग 15 साल यही कर रहे थे।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में मई, 2022 की स्थिति में कुल 13 सीमेंट संयंत्र स्थापित हैं और सीमेंट की कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता 3 करोड़ टन है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय वोरा जी, आपका प्रश्न था कि क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मई, 2022 की स्थिति में कुल कितने सीमेंट एवं इस्पात संयंत्र स्थापित हैं? जिलेवार जानकारी दें? आपकी मद के बारे में यहां पर चर्चा नहीं कर सकते। श्री धर्मजीत सिंह जी।

श्री अजय चंद्राकर :- वह प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

---

[4] परिशिष्ट "चार"

अप्रकाशन/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से कुछ जानना चाहता हूं। मंत्री जी, आप यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित सीमेंट एवं इस्पात संयंत्र के द्वारा सी.एस.आर. मद में कार्य हेतु राशि जारी करने का मापदण्ड क्या है?

अध्यक्ष महोदय :- देखिये, आपको यह प्रश्न अलग से पूछना पड़ेगा। आपने सीधे-सीधे सिर्फ प्रदेश में सीमेंट एवं इस्पात संयंत्र की कुल संख्या पूछा है, सिर्फ उसकी संख्या बता दी गई है। अगला प्रश्न पूछिये। धर्मजीत सिंह जी।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसी में छोटा-सा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- संख्या से संबंधित प्रश्न आये।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मस्तुरी के ग्राम चिल्हाटी में सीमेंट संयंत्र है। वह लोग जमीन का आवंटन सीमेंट संयंत्र स्थापना के लिए लेते हैं, लेकिन वह सीमेंट संयंत्र स्थापित नहीं करते हैं बल्कि उत्खनन करके दूसरे जगह लेकर जाते हैं, जिसके कारण वहां के लोगों को जो अवसर मिलना चाहिये, वह नहीं मिल पा रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- आपके विधान सभा क्षेत्र में किस कंपनी के सीमेंट संयंत्र हैं?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- जिंदल एवं लाफार्ज कंपनी के सीमेंट संयंत्र हैं।

अध्यक्ष महोदय :- तीन संयंत्र हैं या दो संयंत्र हैं?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- जी, तीन संयंत्र हैं। ए.सी.सी. कंपनी का भी संयंत्र हैं।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- जमीन मालिकों को मुआवजा भी नहीं मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, दिखवा लीजियेगा। श्री धर्मजीत सिंह जी।

<u>झारखण्ड राज्य की आबकारी पालिसी हेतु छ.ग. स्टेट मार्केटिग कार्पोरिशन की कंसल्टेट के रूप में नियुक्ति</u>

[वाणिज्यिक कर (आबकारी)]

6. (*क्र. 433) श्री धर्मजीत सिंह **:** क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या, आयुक्त आबकारी विभाग/छ.ग. स्टेट मार्केटिंग कार्पोरिशन को झारखण्ड राज्य की आबकारी पालिसी तैयार करने के लिए "कंसल्टेट" नियुक्त किया गया है, हां तो कब, किन नियम आदेश के तहत ? **(ख)** कंडिका "क" कंसल्टेंट के दायित्वों के निर्वहन के लिए छ.ग. राज्य के किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी गई है ? उनके नाम, पदनाम, विभाग सहित

अशोधित/असंपादित के लिए नहीं

बतावें ? **(ग)** कंडिका "क" के परिप्रेक्ष्य में छ.ग. राज्य को अब तक कंसल्टेंसी शुल्क/अन्य शुल्क के रूप में कितनी धन राशि प्राप्त हुई, कब-कब, कितनी राशि शेष है, क्यों ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : **(क) जी हाँ।** मंत्रि-परिषद आदेश दिनांक 01.02.2022 के अनुपालन में छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को परामर्शी एजेंसी नियुक्त किया गया है। **(ख)** प्रश्नांश ख की जानकारी [5]**संलग्न प्रपत्र अ एवं प्रपत्र ब** अनुसार है। **(ग)** झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को परामर्शी शुल्क का भुगतान वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति उपरांत किया जावेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि क्या आप आयुक्त आबकारी विभाग/छ.ग. स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन को झारखण्ड राज्य की आबकारी पालिसी तैयार करने के लिए "कंसल्टेंट" नियुक्त किया गया है? माननीय मंत्री जी ने इसका जवाब दिया है, जी हाँ। मंत्रि-परिषद आदेश दिनाँक 01.02.2022 के अनुपालन में छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को परामर्श एजेंसी नियुक्त किया गया है। उन्होंने परामर्श मांगने के लिए आपको कोई पत्र दिया था क्या? या आपने अपने मर्जी से अपने आप को स्वयं विशेषज्ञ मानकर उनको परामर्श का प्रस्ताव दिया था? वह भी शराब की विशेषज्ञता बताकर कि शराब की हेराफेरी, शराब में कैसे पानी मिलाना, शराब में कैसे ओवररेट करना, उसको ट्रेनिंग देने के लिए आपने मंत्रिमण्डल से कोई प्रस्ताव पास किये हैं? यह आपने अपने तरफ से प्रस्ताव किये हैं या उनके डिमाण्ड पर प्रस्ताव पास किये हैं?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक यदि कोई मांग नहीं होगी तब तक मंत्रि-परिषद में कैसे कोई फैसला हो सकता है? उनके मांग के आधार पर ही यह फैसला हुआ है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं उस मांग की कापी को जानना चाहता हूं। उन्होंने मांग तो लिखित में दिये होंगे। कोई जबानी जमा-खर्च तो होता नहीं है, यह तो सरकार का काम है। मांग हुई होगी, नहीं, मैं यह कह रहा हूं कि उन्होनें मांग किया है क्या? यदि उन्होंने मांग किये हैं तो आप मुझे उसका लिखित में आदेश उपलब्ध करायेंगे क्या?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत से कार्य की मांग मौखिक स्तर पर भी किये जा सकते हैं। उसमें कोई रोक नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल गलत बात है। दो प्रदेश के बीच में किसी मामले पर सलाह-मशविरा का आदान-प्रदान होना है, उनके terms, conditions होंगे, उनकी demand होगी, वह क्या चाहते हैं, आपसे क्या मांग रहे हैं। जब तक वह लिखकर नहीं देंगे तो आप

[5] परिशिष्ट "पांच"

मंत्रिमण्डल में कैसे प्रस्ताव पास कर सकते हैं कि आप अपने आप को स्वयं दारू विशेषज्ञ मानकर वहां जाकर दारू की विशेषज्ञता बतायेंगे? आप हमको इसकी जानकारी लिखित में उपलब्ध करायेंगे क्या?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखण्ड सरकार की अधिकारियों की अध्ययन दल द्वारा अध्ययन उपरांत लिखित में मांग की गई है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, इसमें मंत्री जी ने परिशिष्ट 'अ' और 'ब' में अधिकारियों के नाम की जानकारी दी हैं, जो अलग-अलग विषयों में वहां पर जाकर अपनी विशेषज्ञता बतायेंगे। परिशिष्ट 'अ' में 5 अधिकारी के नाम हैं। ये झारखण्ड राज्य के उत्पाद संवर्द्धन एवं आबकारी अपराधों के प्रभावी रोकथाम के उद्देश्य से झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 तथा उसके अधीन सृजित नियमों में आवश्यक संशोधन एवं नवीन नियमों के सृजन से संबंधित मामलों पर सुझाव और सलाह देंगे। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि फुटकर मदिरा दुकानों के संचालन में भी 4 अधिकारी हैं। इन 9 अधिकारियों में से कौन-कौन अधिकारी कब-कब झारखण्ड के प्रवास पर गये थे? कृपया आप तिथिवार इसकी पूरी विस्तृत जानकारी बताने की कृपा करें।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इस प्रश्न का पार्ट नहीं है। प्रश्न केवल यह है कि उसमें कौन-कौन से अधिकारी थे ? तो उसकी जानकारी दे दी गई है और वह अधिकारी कौन-कौन से पद में थे ? तो उसकी भी जानकारी दे दी गई है और किन-किन कार्यों के लिए गये थे ? तो उसकी भी जानकारी दे दी गई है। अब वह झारखण्ड कब गये थे, इसकी जानकारी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, आप इसकी लिखित में जानकारी उपलब्ध करा दीजिए। चंद्राकर जी, आप बैठिये। प्रमोद कुमार शर्मा जी। प्लीज-प्लीज।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां से बैठे-बैठे तो...।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अमरजीत भगत :- धर्मजीत भैय्या, यदि ऐसी कोई विशेष बात हो तो आप मंत्री जी के कक्ष में मिल सकते हैं। उसमें क्या है ?

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बोल रहा हूं और मैं यह जानना चाहता हूं कि जब 9 अधिकारी नियुक्त किये गये तो जब तक वह अधिकारी वहां पर जांएगे नहीं और उनकी बात समझेंगे नहीं और उनको अपनी बात समझाएंगे नहीं, तब तक काम कैसे होगा ? तो मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूं कि वह कब-कब झारखण्ड गये हैं ? इसमें क्या आपत्ति है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- देखिये। धर्मजीत जी, मुझे आपके लिए पूरी सहानुभूति है। आप थोड़ा-सा उत्तेजित करने वाले प्रश्न मत कीजिए। आपने अपना सामान्य प्रश्न पूछ लिया, अब आप बैठ जाइये।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं-नहीं, मैं तो उत्तेजित हो ही नहीं रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एक और आखिरी प्रश्न कर लेने दीजिए। मुझे एक आखिरी प्रश्न पूछने दीजिए, उसके बार आप पूछ लीजिएगा।

श्री अमरजीत भगत :- धर्मजीत भैय्या, वैसे भी यह शराब-वराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप इसके चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा-सा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपको बोल रहा हूं न कि पहले प्रमोद कुमार शर्मा जी को प्रश्न करने दीजिए। हर प्रश्न में पहले आप प्रश्न न पूछें। दूसरों को भी प्रश्न पूछने दीजिए, उसके बाद आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मुझे एक और जानकारी दे दीजिए कि यह डिसिता वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, ओम सांई प्राइवेट लिमिटेड, नेक्स जॉन इंटेक प्राइवेट लिमिटेड, क्या आपके विभाग ने इन्हें झारखण्ड में शराब आपूर्ति करने के लिए अनुभव प्रमाण पत्र और दुनिया भर की जो सिफारिशें होती हैं, उनको ये सब दिया है?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो प्रश्न में है ही नहीं।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं-नहीं। यह प्रश्न में है न। यह प्रश्न में है क्योंकि छत्तीसगढ़ में यही लोग तो शराब बेच रहे हैं। जब आप वहां पर पॉलिसी लेकर जा रहे हैं तो आप इन्हीं लोगों की सिफारिश करने के लिए वहां पर जा रहे हैं?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका जो सवाल है उसके उत्तर में लिखा है कि झारखण्ड राज्य के उत्पाद, संवर्धन, आबकारी अपराधों के प्रभावी रोकथाम के उद्देश्य से झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 तथा उसके अधीन सृजित नियमों में आवश्यक संशोधन एवं नवीन नियमों के सृजन से संबंधित सुझाव प्रदान करने के लिए है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आपने अपने सुझाव में यह भी सुझाव दिया है ? मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूं कि क्या आपने इन शराब कंपनियों को वहां सेवा देने के लिए सुझाव दिया है ? आप मुझे यह बता दीजिए कि उसके बाद इन सुझावों के बदले में वह छत्तीसगढ़ राज्य को कितनी राशि की आपूर्ति करेंगे और कितनी राशि देंगे ?

श्री अमरजीत भगत :- देखिये, सुझाव में यह भी दिया गया है कि शराब पीना बहुत बुरी बात है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अमजीत जी, आपके खाद्य विभाग में कई सौ करोड़ रूपये का धान सड़ गया तो मैंने आपसे उसके बारे में तो नहीं पूछा और अभी जब मैं इनके विभाग में एक प्रश्न पूछ रहा हूं और जब सबसे विद्वान मंत्री जवाब दे रहे हैं तो मुझे थोड़ा-सा अपना प्रश्न पूछ लेने दीजिए। नहीं तो हमको क्या लेना-देना है ? आप हर पान ठेले में शराब बेचों, हमको उससे क्या लेना-देना है ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने भी परामर्श दिये गये हैं, उनमें बताया गया है कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मुझे यह बता दीजिए कि इस सेवा के बदले में एक्साइज को कितना मिलेगा ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इसका उत्तर दे देता हूं। आपने जिन कंपनियों का उल्लेख किया है उसके बारे में कोई सुझाव नहीं दिया गया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सेवा के बदले आपको झारखण्ड से कितने रूपये मिलेंगे और आपको कितनी राजस्व की प्राप्ती होगी ?

अध्यक्ष महोदय :- अभी इतनी जल्दी उसका हिसाब नहीं हुआ होगा। इतनी जल्दी कहां से आ पाएगा ?

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्यों नहीं आएगा ? 4 महीने हो गये। शर्त में तो यह होगा कि इनको कितने रूपये मिलेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- प्रमोद कुमार शर्मा जी।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूंजीगत व्यय पर 0.5 प्रतिशत की दर से और स्थापना व्यय पर 0.25 प्रतिशत की दर से राजस्व मिलेगा।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मन में एक जिज्ञासा है।

अध्यक्ष महोदय :- जिज्ञासा नहीं हो सकती है। आप अपना प्रश्न पूछिये। (हंसी)

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में शराब दुकान को सरकार संचालित कर रही है तो शराब भट्टी में जो भी शराब है, क्या वह सरकारी संपत्ति मानी जाएगी और क्या उस विक्रय केन्द्र को, उस संस्था को सरकारी संस्था माना जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय :- यह अच्छा प्रश्न है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब आना चाहिए क्योंकि अगर वहां से शराब की लूटमार होती है तो उस पर सरकारी धारा लगाया जाता है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि यह अच्छा प्रश्न है और इसका जवाब भी आएगा। आपने अच्छा प्रश्न पूछा है।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इससे उद्भूत नहीं होता है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय। आज एक-एक प्रश्न है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि मान लीजिए कि यदि वहां पर शराब की लूट होती है तो उस पर सरकारी संपत्ति की लूट का धारा लगाया जाता है। यदि वह सरकारी संस्था है तो आप लोग वहां पर 15 अगस्त के दिन झण्डा क्यों नहीं फहराते हैं ? वहां आपको झण्डा फहराना चाहिए। यह संविधान के नियम के खिलाफ है। अगर आप उन संस्थाओं को सरकारी संस्था मानते हैं तो आपको 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन वहां पर झण्डा फहराना चाहिए। हर सरकारी संस्था में तो 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन झण्डा फहराते हैं। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- सरकारी सम्पत्ति मानी जाती है या नहीं मानी जाती, इसका उत्तर तो आपको देना पड़ेगा ।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, आजादी की 75वीं वर्षगांठ में घर-घर में झंडा फहराने का आदेश हुआ है ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- अध्यक्ष जी, प्रमोद जी, तहूं ला कहां-कहां झंडा फहराए ला जाना हे, बता देबे, भैया ला नोट करा देबे, ऊंहा तोला भेज दे जही ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, सोसायटी में राशन बेचथौं, ऊंहा झंडा फहराबे करथव । तो उहां भी फहरना चाहिए ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शराब दुकान की शराब सी.एस.एम.सी.एल. की सम्पत्ति है ।

अध्यक्ष महोदय :- किसकी ? मैं नहीं समझ पाया तो वे क्या समझेंगे ?

श्री मोहम्मद अकबर :- सी.एस.एम.सी.एल. एक कम्पनी है, शराब जिसकी सम्पत्ति है।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष जी, उनका कहना है कि रात को वहां पर लाईटिंग भी करवा दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- वहां रात में लाईटिंग तो जलती ही है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय :- इतना बड़ा किताब लेकर छोटा प्रश्न कर रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, यह पढ़ने के लिए है । क्या स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन, छत्तीसगढ़ के संस्था के उद्देश्यों में है कि वह कंसलटेंसी का काम कर सकती है ? एक प्रश्न और दूसरा, जो शासकीय कर्मचारी हैं, क्या वे कंसलटेंसी का काम कर सकते हैं, डबल इंकम ले सकते हैं ?

श्री मोहम्मद अकबर :- अध्यक्ष महोदय, मार्केटिंग कारपोरेशन के मेमोरंडम आफ एसोशिएशन (MOU) की कंडिका 37 एवं 42 में परामर्श देने हेतु अधिकृत है।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आपने ही दो प्रश्न कहा तो दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

अध्यक्ष महोदय :- 50 परसेंट चलेगा । (हंसी)

<u>जेम पोर्टल से सामग्री क्रय</u>

[वाणिज्य एवं उद्योग]

7. (*क्र. 339) श्री धरम लाल कौशिक : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या यह सही है कि 29 दिसम्बर, 2020 को विभाग से जारी अधिसूचना में 31 मार्च, 2021 तक जेम पोर्टल से सामग्री क्रय करने की छूट दी गई थी तथा 14 फरवरी, 2022 को प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 31 मार्च, 2021 के उपरांत जेम पोर्टल से क्रय नहीं किया जाना है ? यदि हॉ तो क्या यह सही है कि 31 मार्च, 2021 के पश्चात व 14 फरवरी, 2022 के पश्चात 15 जून, 2022 की स्थिति में भी जेम पोर्टल से विभिन्न विभागों द्वारा खरीदी की गई है ? यदि हॉ तो किन-किन विभागों ने कितनी राशि की खरीदी की है ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : जानकारी एकत्रित की जा रही है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि जानकारी एकत्रित की जा रही है । आप यह बताईए कि हम लोगों ने 22 दिन पहले प्रश्न लगाया और प्रश्न लगाने के बाद में विभाग की ओर से, मंत्री जी की ओर से जवाब नहीं आया । विभाग का सारा अमला है तो मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब 20-21 दिन तक क्या करते रहे ? आज जब हम पूछ रहे हैं तो उत्तर बता रहे हैं कि जानकारी एकत्रित की जा रही है । यह हमारे प्रश्न लगाने का मतलब क्या होगा ? मतलब सीधी सी बात यह है कि यह कोई पहला बार प्रश्न नहीं है, पहले ही इस प्रकार के प्रश्न लगाए गए हैं, अनेक सदस्यों ने प्रश्न लगाया है । 24 घंटे में उत्तर दे देते हैं, लेकिन आप लोग 20 दिन में उत्तर नहीं दे पा रहे हैं । यह बड़ा मामला है । यह जो मामला है, वही छत्तीसगढ़ मॉडल है, करप्शन का मामला है। इनको मालूम है कि हम इसमें जवाब देंगे तो फसेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि इसमें आप आसंदी से निर्देशित करें और प्रताड़ित भी करें ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आसंदी से पहले भी व्यवस्था दे चुका हूं कि प्रश्नों के जवाब समय पर आ जाने चाहिए क्योंकि पिछले सत्र में भी शायद यह प्रश्न आ चुका है। तो इसका जवाब आना चाहिए ।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, कड़ाई से निर्देश करिए ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं कड़ाई से निर्देश नहीं कर रहा हूं, मैं इस पर आधे घंटे की चर्चा स्वीकृत कर रहा हूं । (मेजों की थपथपाहट) और कितनी कड़ाई करूं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि इसी सत्र में ही आधे घंटे की चर्चा को लें । कई प्रश्नों पर आधे घंटे की चर्चा स्वीकृत है, पर चर्चा नहीं हो पा रही है ।

अध्यक्ष महोदय :- यह आप पर है । आप इस सत्र को चलाने देंगे, तब तो ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपसे आग्रह है ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं तो कह रहा हूं कि अगर आप समय देंगे तो कर दूंगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप जिस दिन बोलेंगे, उस दिन अतिरिक्त समय बैठ जाएंगे ।

प्रश्न संख्या : 8 XX XX

<u>प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत आवासों का निर्माण</u>

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

9. (*क्र. 315) डॉ. रमन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में प्रदेश में कितने आवास स्वीकृत किये गये हैं, इन आवासों हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? (ख) प्रश्नांक ''क'' के अन्तर्गत यदि आवास स्वीकृत किये गये हैं, तो वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में प्रदेश में कितने प्रधानमंत्री आवास का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया है और कितने आवास अपूर्ण स्थिति में हैं? (ग) वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में प्रदेश में कितने प्रधानमंत्री आवास पीएमएवाय योजना अंतर्गत स्वीकृत किये गये और कितने आवास का निर्माण किया गया? इन आवासों के निर्माण में राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई?

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) : (क) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण :- जानकारी संलग्न''प्रपत्र-अ''[6] में दर्शित है । प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) :- जानकारी संलग्न''प्रपत्र-ब'' में दर्शित है। (ख) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण :- जानकारी संलग्न''प्रपत्र-अ'' में दर्शित है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) :- जानकारी संलग्न''प्रपत्र-ब'' में दर्शित है। (ग) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण :- जानकारी निम्नानुसार है :-

(राशि रू. लाख में)

क्रं	**वित्तीय वर्ष**	**स्वीकृत आवास**	**पूर्ण आवास**	**राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राशि**
1	2016&17	232610	226390	120739.50
2	2017&18	206186	200930	105711.13

[6] परिशिष्ट "सात"

3	2018&19	348795	325760	179244.00
कुल योग :-		**787591**	**753080**	**405694.63**

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के लाखों आवासहीन जनता का प्रश्न है, जिसमें जवाब ऐसा मिला है । एक तो इस प्रश्न के आते ही सबसे बड़ा परिवर्तन यह आया कि मेरे प्रश्न का जवाब आते-आते मंत्री इतने व्यथित और दुखी हो गए कि अपने विभाग से इस्तीफा देकर चले गए । यह इस प्रश्न का ही प्रभाव है । इस प्रश्न का प्रभाव मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आवास के बारे में प्रश्न देते-देते मंत्री जी ने जो स्वीकार किया है, उन्हीं का पत्र, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास के तहत प्रदेश के आवासविहीन लोगों को आवास बनाकर दिया जाना था, जिसकी चर्चा मैंने मुख्यमंत्री जी से कई बार चर्चा की । राशि आवंटन का अनुरोध किया, परन्तु इस योजना में राशि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी । फलस्वरूप प्रदेश के 8 लाख लोगों के आवास नहीं बनाए जा सके, इसके अतिरिक्त 8 लाख आवास बनाने में 10 हजार करोड़ रूपए की राशि जो हमारी अर्थव्यवस्था में सहायक होती, हमारे जन घोषणा-पत्र के 36 लक्ष्य के अंतर्गत आवास योजना का अधिकार प्रमुख रूप से उल्लेखित है । प्रदेश के वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बेघर लोगों के लिए एक भी आवास नहीं बनाया जा सका। (शेम-शेम की आवाज) यह योजना के निरंक रही। मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि मैं इस आवास योजना को क्रियान्वित करने में असफल रहा। अध्यक्ष महोदय, गरीबों के आवास को लेकर यह कितनी बड़ी फेल्योर है ? गरीबों के 16 लाख आवास का मामला है, यह 10 हजार करोड़ नहीं 20 हजार करोड़ रूपये का मामला है। उस आवास को लेकर मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं और इस सरकार को ..।

अध्यक्ष महोदय :- आप उसको संशोधित कर लीजिये उन्होंने पद से इस्तीफा नहीं दिया है, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है।

डॉ. रमन सिंह :- जी ?

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने अपने विभाग को छोड़ दिया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, उन्होंने अपने आपको उस विभाग से पृथक करने का लिखा है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं संशोधित कर रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्पष्टीकरण देते हैं। वही स्पष्टीकरण माननीय मुख्यमंत्री नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं संशोधन दे रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं, वह स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, आप माननीय मंत्री जी को बुलाकर बोलवा लीजिये। आप उनके मंत्री जी थोड़ी न है ? आप तो हमारे प्रतिनिधि हैं।

अध्यक्ष महोदय :- इसीलिए तो संशोधित कर रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मंत्री जी को बुलवाकर स्पष्टीकरण दिलवा दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- आ जायेंगे, वह भी आ जायेंगे।

श्री नारायण चंदेल :- पंचायत विभाग के आवास से पृथक कर लिया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, आप मंत्री जी की तरफ से बार-बार स्पष्टीकरण दे रहे हैं। आप मंत्री जी को बुला लीजिये, उनसे बोलवा दीजिये, या मुख्यमंत्री जवाब दें।

श्री नारायण चंदेल :- मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया है।

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आप पूरा तो सुन लें।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने आपको रोका नहीं, आपको टोका नहीं, मैंने कोई व्यवधान नहीं किया, सिर्फ संशोधित किया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से आप कल भी बोल रहे थे। मंत्री जी या मुख्यमंत्री स्पष्टीकरण दे दें कि उन्होंने पंचायत विभाग से इस्तीफा नहीं दिया है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पत्र मेरे पास भी है।

अध्यक्ष महोदय :- उसको छोड़िये। पूर्व मुख्यमंत्री जी प्रश्न कर रहे हैं, उनको प्रश्न करने दीजिये।

श्री अमरजीत भगत :- इसमें उत्तरप्रदेश के बारे में है, उसमें कहा है कि मैं दलित हूं, मुझे अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- मेरी बात सुनो न, पूर्व मुख्यमंत्री प्रश्न कर रहे हैं, उनको प्रश्न करने दीजिये।

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, चूंकि पंचायत मंत्री का विषय है। वह अंतिम पैरा में कह रहे हैं कि अत: मैं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के भार से अपने आपको पृथक कर रहा हूं और मैं काम करने में असमर्थ हूं। अध्यक्ष महोदय, यह तो एक पत्र है। मैं कम से कम 5-7 पत्र लेकर आया हूं।

अध्यक्ष महोदय :- बाकी किसका-किसका पत्र है ?

डॉ. रमन सिंह :- आवास के सम्बन्ध में भारत सरकार का पत्र, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और मंत्री को गया पत्र है। यह पत्रों का बंच है। सरकार को एक पत्र नहीं, दो पत्र नहीं, तीन पत्र नहीं, चार पत्र नहीं आता, बहुत सारे पत्र आते हैं। अपर मुख्य सचिव का पत्र आता है, उसके बाद गया प्रसाद जी का पत्र आता है, गिरीराज सिंह जी का पत्र आता है। मैं इन सारे पत्रों को नहीं पढ़ूंगा। नरेन्द्र सिंह तोमर का पत्र आता है। नागेन्द्र नाथ आई.ए.एस. सचिव नरेगा का पत्र आता है। इनके पत्र में सरकार को लगातार यह बताया जाता है कि आपने आवास योजना को पूरी तरह से छोड़ दिया है। एक लेटर को मैं कोड करना चाहता हूं, जो इस सदन को और पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मालूम होना चाहिए। सरकार की ओर से पत्रों का जवाब नहीं आने की वजह से गया प्रसाद का लेटर है, जिसमें लिखा गया है कि In view of the above with the approval of competent authority, The target of 7,81,990 allocate to state for the financial year 2022, is withdrawal with immediately effect due to state has failed to utilized SECC based target allocation. अध्यक्ष महोदय, यह कोई मजाक है ? यह गरीबों के लिए आवास बनाने वाली सरकार है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष जी, सवाल करिये। डॉ. साहब, सवाल करिये न।

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, गरीबों के लिए आवास की बात होती है। गरीबों के लिए 16 लाख आवास की बात है। अभी तो एक मंत्री का इस्तीफा हुआ है।

श्री मोहम्मद अकबर :- आप सवाल करिये न, हम जवाब देंगे।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी एक मंत्री का इस्तीफा हुआ है। इस आवास के चलते जनता पूरे के पूरे मंत्रियों को रिजेक्ट करने वाली है।

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्रश्न क्या है, बता दीजिये, मंत्री जी जवाब दे देंगे।

श्री अमरजीत भगत :- डाक्टर साहब, your is speech propaganda. Your speech is total propaganda and stop our allocation from Central government.

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- आप गरीबों के आवास के मामले में हमेशा propaganda ही बोलते हो, propaganda ही करते हो।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, प्रश्न करिये, वह जवाब देने के लिए तैयार हैं।

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, आपके हर प्रश्न का वह जवाब देने के लिए तैयार हैं।

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब ही पूछ रहा हूं। मैंने छोटा सा प्रश्न किया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में कितने आवास स्वीकृत किए गए और कितनी राशि का प्रावधान किया गया था ? अब आप पहला पैरा में जवाब देखिये । यह जवाब वर्ष 2016-2017, वर्ष 2017-2018, वर्ष 2018-2019 का जवाब दे रहे हैं । मेरा प्रश्न वित्तीय वर्ष 2019-2020, वर्ष 2020-2021, वर्ष 2021-2022, वर्ष 2022-2023 का है । प्रश्न जो है इनके कार्यकाल में जो आवास की स्थिति है, उसके बारे में है । अध्यक्ष महोदय, मुझे तो कम से कम यह बता दें कि वर्ष 2019-2020, वर्ष 2020-2021, वर्ष 2021-2022, वर्ष 2022-2023 में कितने आवास स्वीकृत हुये और कितने आवास पूर्ण हो चुके हैं । बाकी अपूर्ण है, वह कब तक बनाये जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉ. साहब आपने उत्तर को शायद पूरा देखा नहीं है । इसमें वर्ष 2016-2017, वर्ष 2017-2018, वर्ष 2018-2019 उसके बाद वर्ष 2019-2020, वर्ष

2020-2021, वर्ष 2021-2022, वर्ष 2022-2023 पूरे का विवरण दिया गया है । जहां तक वर्ष 2016-2017, वर्ष 2017-2018, वर्ष 2018-2019 आपके कार्यकाल का है । इसमें जो पूर्ण आवास की संख्या 7,53,080 है । आपके समय का 35,000 आवास अभी भी कम्पलीट नहीं हो पाया है,इसके बहुत से कारण है, कुछ में जमीन नहीं है, कुछ में किश्त निकाल लिये हैं, कुछ इधर-उधर चले गये हैं, वह अभी तक पूरा हो नहीं पाया है । अब बात वर्ष 2019-2020 के बारे में आती है । वर्ष 2019-2020 में स्वीकृत आवास 1,51,072, राशि प्रावधान 172300.00 लाख, आवास निर्माण 72103, अपूर्ण आवास 78,969 । वर्ष 2019-2020 के बारे में बात यह है कि 762 करोड़ रूपये का ऋण के लिये आवेदन लगाया गया था और मंत्रिमंडल की सहमति से, इसकी मैं विस्तृत जानकारी आपको दे देता हूँ । दिनांक 1-02-2022 को मंत्रिपरिषद के आदेश से वर्ष 2019-2020 के आवास निर्माण के लिये राज्यांश राशि 762.81 करोड, ऋण के माध्यम से प्राप्त किये जाने हेतु द्वितीय अभिव्यक्ति पश्चात् तुलनात्मक ब्याज दर पर ऋण लिये जाने हेतु अनुमति प्रधानमंत्री परिषद ने कर दी ।

श्री मोहम्मद अकबर :- एक साल पहले का उत्तर है ।

अध्यक्ष महोदय :- देने दीजिए ।

श्री मोहम्मद अकबर :- आप सुन तो लीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- बिल्कुल सुन रहा हूँ, आपको याद भर करा रहा हूँ कि एक साल पहले भी यही उत्तर आया था ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अब जवाब देने दीजिए । प्लीज ।

श्री मोहम्मद अकबर :- अब माननीय अध्यक्ष महोदय, रूचि की अभिव्यक्ति के बाद पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से रूचि दिखाई गई । बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यह आ गया कि वाईबलिटी के ऊपर आपकी जो भी कंपनी है, उसको भी मैं पढ़कर सुना देता हूँ । Turm loan should be sanctioned only for corporate bodies. अब प्रधानमंत्री आवास के लिये जो कार्पोरेट बॉडी बना हुआ है, वह उनका कौन सा आय का साधन होगा कि वह अपने आय से और स्टेट बजट से दे नहीं सकते ? रिजर्व बैंक की तरफ से इसमें अडंगा लगा कि लोन नहीं दिया जा सकता । दूसरी बात यह है कि बार-बार इनका कहना है कि पूरा नहीं करते, पूरा नहीं करते, हमारा जो भारत सरकार के तरफ से पैसा लेना बाकी है, उसको दिलाने के बारे में आपके तरफ से पहल क्यों नहीं होता, क्या राज्य की जनता को यदि आवास मिलेगा...। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- This is political speech. यह पॉलिटिकल स्पीच है । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- घबराईये मत । (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- खाली घड़ियाली ऑंसू बहाना है ...(व्यवधान)

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- यह आपके विधायक हैं, आपको भी इसी तरह से करना चाहिये । क्यों नहीं किये । (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- आप उत्तर सुनो ना ।

श्री नारायण चंदेल :- यह घुमाने वाला विषय है । (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- बैंक का कुर्की निकाल दें, कुर्की । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा आप लोग बैठ जाईये । बैठिये, बैठिये।

श्री मोहम्मद अकबर :- आप उत्तर तो सुनिये । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- बैठिये, बैठिये । चन्द्राकर जी, चन्द्राकर जी ।

श्री मोहम्मद अकबर :- डॉ.साहब बोल रहे हैं, उनको सुनिये ना । आप हमारा पैसा दिलवाओ, घड़ियाली ऑसू की जरूरत नहीं है । आप उत्तर सुनिये । बोलने से क्या होगा । (व्यवधान)

डॉ.श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव :- प्रधानमंत्री आवास हम लोग दिला रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, एक मिनट । मैं खड़ा हूँ । आप लोग बैठ जाईये । माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी सब प्रकार से पूर्णत: सक्षम है । अब वह प्रश्न पूछ रहे हैं, माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं । बाकी सदस्य उनको डिस्टर्ब न करें । अपनी पूरी सक्षमता से प्रश्न कर रहे हैं ।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष जी, उन लोग भी डिस्टर्ब न करें । अध्यक्ष जी, मंत्री लोग भी डिस्टर्ब न करें । बार-बार मंत्री लोग खड़े हो जाते हैं । मंत्री लोग भी डिस्टर्ब न करें । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :- माननीय अध्यक्ष जी, जब भी माननीय रमन सिंह जी और नेता जी खड़े होते हैं | ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप उनको प्रश्न करने दीजिए और माननीय मंत्री जी का उत्तर भी आने दीजिए। अभी उत्तर आया नहीं है, आप लोग बीच-बीच में व्यवधान मत करिये। माननीय मंत्री जी का उत्तर आ रहा है, उनका उत्तर सुन लीजिए। मेरी जानकारी में आप दोनों एक ही जिले से हैं, आसपास हैं, आप दोनों निपट लेंगे, मुझे पता है।

डॉ. रमन सिंह :- आपकी जानकारी में जब बात आई है और छत्तीसगढ़ के 16 लाख से ज्यादा गरीबों के लिए है। इस जवाब को पूरा छत्तीसगढ़ सुन रहा है। 16 लाख आवास जिसमें से आधे आवास बन चुके हैं, जिसकी पहली किश्त, दूसरी किश्त दे दी गई है। मैं प्रश्न में आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न में आईये न। पहले उनका पूरा उत्तर सुन लीजिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 762 करोड़ के ऋण के बारे में जब हमने प्रक्रिया प्रारंभ की, बैंक ने ब्याज दिखाया। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अडंगा लगा की कार्पोरेट बाडी अपने स्तर पर liability देखे और उसके आधार पर पेमेंट करे। अब भारत सरकार की तरफ से इस प्रकार का अड़ंगा लगेगा तो कैसे आवास बनेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारा जो जी.एस.टी. का

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पैसा है और अन्य मदों का जो पैसा है, उसको भारत सरकार देती नहीं है। भारत सरकार से मांग करने के बारे में आप लोग पहल नहीं करेंगे। यहां आकर आप लोग घड़ियाली ऑंसू बहायेंगे। गरीबों को मकान मिले तो किसने मना किया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न प्रधानमंत्री आवास का है, इसमें जी.एस.टी. कहां से आ गया।

श्री मोहम्मद अकबर :- आप उत्तर तो सुनिये।.. (व्यवधान)..

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- इस सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है।

श्री शिवरतन शर्मा :- इसमें जी.एस.टी. कहां से गया?

श्री अमरजीत भगत :- इनको गरीबों का आवास बने या न बने, इससे कोई लेना-देना नहीं है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का जिस प्रकार से जवाब आ रहा है, वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 में प्रधानमंत्री आवासों की वर्तमान में क्या स्थिति है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- अभी मैं आगे आ रहा हूं न। अभी 2019-20 से मैं आगे बढ़ूंगा।

श्री धरम लाल कौशिक :- प्रधानमंत्री आवास का मामला छोड़ करके जी.एस.टी. में जा रहे हैं। जी.एस.टी के मंत्री तो जा करके दिल्ली में बैठे हुए हैं। अकबर जी, इस सरकार के जी.एस.टी वाले मंत्री जी ने अपना हाथ उठा दिया है और वह जा करके दिल्ली में बैठे हुए हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- किसी ने हाथ नहीं उठाये हैं।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आ नहीं रहा है और जवाब आयेगा भी नहीं। माननीय मंत्री जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हम माननीय मंत्री जी के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन करते हैं।

समय :
11:57 बजे

बहिर्गमन

शासन के उत्तर के विरोध में

(नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से अंसंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।)

श्री अमरजीत भगत :- क्या रमन सिंह जी कमजोर हो गये हैं, धरमलाल कौशिक जी के नेतृत्व में बहिर्गमन हो रहा है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

<u>तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमश:)</u>

<u>कोरिया जिले को आवंटित जिला पंचायत निधि का उपयोग</u>

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

10. (*क्र. 319) डॉ. विनय जायसवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वित्तीय वर्ष 2020 से 31 मई, 2022 तक कोरिया जिले को आवंटित जिला पंचायत निधि का उपयोग किस-किस जिला पंचायत सदस्य के क्षेत्र में किया गया है ? **(ख)** जिला पंचायत निधि का उपयोग किस क्षेत्र में किया गया? क्षेत्र का नाम, क्षेत्र में आवंटित कार्य का नाम, कार्य की स्वीकृत राशि, कार्य की स्वीकृत दिनांक की सूचीवार जानकारी क्या है ?

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) : **(क)** जानकारी **संलग्न "प्रपत्र-अ"**[7] में दर्शित है। **(ख)** जानकारी **संलग्न "प्रपत्र-ब"** में दर्शित है।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय पंचायत मंत्री जी से जो प्रश्न किया था, उसका उत्तर परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" में आ चुका है। मैं उत्तर से संतुष्ट हूं।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

<u>रायगढ़ जिले में उद्योगों की स्थापना हेतु पेड़ काटने की प्रदत्त अनुमति</u>

[वाणिज्य एवं उद्योग]

11. (*क्र. 330) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायगढ़ जिले में वर्ष 2019 से 31 मई, 2022 तक विभाग द्वारा कितने उद्योगों की स्थापना हेतु वन विभाग से कुल कितने पेड़ काटने की अनुमति मांगी गई थी ? उद्योगवार, ग्रामवार, खसरा नं. सहित पेड़ों की विस्तृत जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांक "क" अनुसार विभाग को कुल कितने उद्योगों के लिए पेड़ काटने की अनुमति मिली है ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : **(क)** रायगढ़ जिले में वर्ष 2019 से 31 मई, 2022 तक उद्योगों की स्थापना हेतु वन विभाग से पेड़ काटने की अनुमति नहीं मांगी गई है। **(ख)** प्रश्नांक ''क'' अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर आ चुका है। मैं उत्तर से संतुष्ट हूं।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। धन्यवाद।

---

[7] परिशिष्ट- " आठ"

प्रश्न संख्या - 12 XX XX

प्रश्न संख्या - 13 XX XX

<u>राजनांदगांव जिला स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेजअस्पताल पेंड्री में रिक्त पदों की पूर्ति</u>

[चिकित्सा शिक्षा]

14. (*क्र. 285) श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राजनांदगांव जिला स्थित भारत रत्न स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेई स्मृति शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पेंड्री में कितने विषय विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं व कितने अन्य पद स्वीकृत हैं ? दिनांक 31/05/2022 तक स्वीकृत पदों में से कितने पद भरे हैं, और कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों पर भर्ती कब तक की जाएगी ? इस हेतु सरकार की क्या योजना है ? **(ख)** "क" अनुसार पदस्थ डाक्टरों ,विषय विशेषज्ञों व स्टाफ की जानकारी प्रदान करें ?

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) : **(क)** राजनांदगांव जिला स्थित भारत रत्न स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पेन्ड्री में विषय विशेषज्ञ डॉक्टर के पद स्वीकृत नहीं है। अन्य स्टॉफ के 616 पद स्वीकृत हैं, दिनांक 31/05/2022 तक 616 स्वीकृत पदों में से 177 पद भरे है एवं 439 पद रिक्त है। किन्तु मेडिकल कॉलेज, राजनांदगांव में विषय विशेषज्ञ डॉक्टर के 106 पद स्वीकृत है, में से नियमित-31 एवं संविदा-24 भरे तथा 51 पद रिक्त है। वर्तमान में शासन द्वारा स्वीकृत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु अनुमति प्रदान की गई है, जिसके परिपालन में संस्था स्तर पर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः रिक्त पदों पर भर्ती पूर्ण होने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ख)** 'क' अनुसार स्टॉफ की जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'अ' एवं प्रपत्र 'ब'** [8]अनुसार |

श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से राजनांदगांव जिला स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल पेंड्री में रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में प्रश्न किया था, उसका जवाब मुझे मिल गया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से एक ही निवेदन करूंगा कि रिक्त पदों को जल्दी से जल्दी भराने का कष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। धरम लाल कौशिक जी। वह गायब हैं। अजय चन्द्राकर जी, प्रश्न क्रमांक 16 पूछेंगे ? प्रश्न क्रमांक 16 पूछिये। अभी प्रश्नकाल समाप्त होने में 1 मिनट बाकी है।

---

[8] परिशिष्ट- "नौ"

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्या मेरा नंबर है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- आप बहिर्गमन कर गये थे।

अध्यक्ष महोदय :- अजय चन्द्राकर जी, प्रश्न क्रमांक- 16।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 15 मेरा है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- बृजमोहन भैया आपका नंबर निकल गया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कैसे तेजी से बढ़ गये?

उद्योगों से किये गये एमओयू

[वाणिज्य एवं उद्योग]

15. (*क्र. 371) श्री विद्यारतन भसीन : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जनवरी, 2019 से दिनांक 31.05.2022 तक छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कुल कितने संस्था, फर्म व उद्योगों से एमओयू किये गये हैं ? इसमें कितने लोगों को रोजगार मिलना था व कितनी राशि का निवेश होना था ? **(ख)** दिनांक 31.05.2022 की स्थिति में कितने लोगों को रोजगार मिला है व कितनी राशि का निवेश हुआ है ? किन-किन संस्थाओं के द्वारा एमओयू की शर्तो का निर्धारित समय अवधि में पालन नहीं किया गया है ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : **(क)** जनवरी, 2019 से दिनांक 31.05.2022 तक छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कुल 185 संस्था, फर्म व उद्योगों से एमओयू किया गया है। इनमें से 1,20,038 लोगों को रोजगार मिलना संभावित है व रू. 94,296.86 करोड़ का निवेश होना संभावित है। विस्तृत जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"अ"**पर दर्शित है। **(ख)** दिनांक 31.05.2022 की स्थिति में 2515 लोगों को रोजगार मिला है व रू. 1513.53 करोड़ राशि का निवेश हुआ है। उक्त संस्थाओं द्वारा एमओयू की शर्तों का निर्धारित समय में पालन किया गया है। विस्तृत जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"ब"** पर दर्शित है।

श्री धरम लाल कौशिक :- आपने कहा था कि 1 लाख 20 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने लोगों को रोजगार मिला, आप केवल इतना ही दीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, अभी डॉ.विनय जायसवाल और प्रकाश शक्राजीत नायक जी को आपने बुलाया। प्रश्न क्रमांक- 13 मेरा नंबर है। हम तो यहीं बैठे हैं। मैं तो देख रहा हूं कि आप पूछ रहे हैं। ऐसे थोड़ी आगे बढ़ा जाता है।

श्री मोहम्मद अकबर :- यह कौन से नंबर का प्रश्न पूछ रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, यह गलत परंपरा है। हम सदन में हैं और मैं देख रहा हूं कि डॉ. साहब का प्रश्न आया और उसके बाद प्रकाश शक्राजीत नायक जी का प्रश्न आया। मेरा 13 नंबर प्रश्न है, फिर आप आगे क्यों बढ़ गये ? कभी ऐसा नहीं होता है। यह तो बहुत आश्चर्यजनक है।

श्री मोहम्मद अकबर :- आपका जब नाम पुकारा गया तो आप यहां नहीं थे।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आपका नाम पुकारा गया, आप कहॉ थे ?

अध्यक्ष महोदय :- यह गलत परंपरा नहीं है। जब आपका नाम पुकारा गया तब आप बाहर थे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं यहीं था।

अध्यक्ष महोदय :- आप नहीं थे।

श्री मोहम्मद अकबर :- आप बाहर थे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं यहां बैठा हूं। मैं देख रहा हूं कि जायसवाल जी, प्रकाश शक्राजीत नायक जी प्रश्न पूछ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12:00 बजे

कार्यमंत्रणा समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय :- कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बुधवार, दिनांक 20 जुलाई, 2022 में लिये गये निर्णय अनुसार वित्तीय एवं विधायी कार्य पर चर्चा के लिये उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारण करने की सिफारिश की गई, जो इस प्रकार है :-

1.	**वित्तीय कार्य**	**निर्धारित समय**
(1)	वित्तीय वर्ष 2022-2023 के प्रथम अनुपूरक की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन विचार एवं पारण	**3 घण्टे**
2.	**विधि विषयक कार्य**	
(1)	छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022	**1 घंटा**
(2)	छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2022	**30 मिनट**
(3)	छत्तीसगढ़ आदित जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) (संशोधन) विधेयक, 2022	**30 मिनट**
(4)	छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022	**30 मिनट**
(5)	छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2022	**30 मिनट**
(6)	छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2022	**15 मिनट**
(7)	छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2022	**15 मिनट**
(8)	छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2022	**15 मिनट**
(9)	छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2022	**15 मिनट**
(10)	छत्तीसगढ़ भू-जल (प्रबंधन और विनियमन) विधेयक, 2022	**45 मिनट**

अध्यक्ष महोदय :- अब इसके संबंध में श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों की स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

समय :

12:02 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2020-21 के वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-2 तथा विनियोग लेखे, छत्तीसगढ़ शासन

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2020-21 के वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-2 तथा विनियोग लेखे, छत्तीसगढ़ शासन पटल पर रखता हूं।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1996 (क्रमांक 20 सन् 1996) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 पटल पर रखती हूं।

(3) छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- अध्यक्ष महादय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 पटल पर रखता हूं।

अशोधित/अप्रकाशन के लिये नहीं

पृच्छा

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय..।

अध्यक्ष महोदय :- श्री केशव प्रसाद चंद्रा जी। वह अभी पीड़ित है, उनको थोड़ी-सी प्राथमिकता देनी चाहिये।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, हम इनको मुआवजा दिलवाने के लिये मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- वह अभी पीड़ित है। वह पहले अपनी पीड़ा रख लें, उसके बाद मुख्यमंत्री जी स्वीकृत कर देंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- इनको चोरी का मुआवजा दे दीजिये। गृहमंत्री जी तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- श्री केशव प्रसाद चंद्रा ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजैपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं परसो 19 जुलाई को घर पर नहीं था और मेरी पत्नी और बच्ची, दोनों रायपुर आ गये थे। रात को मेरे घर के ताले को तोड़कर अज्ञात चोर के द्वारा चोरी कर दी गयी।

अध्यक्ष महोदय :- गांव में चोरी हुई या शहर में ?

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- अध्यक्ष महोदय, मेरे जैजैपुर के निवास में हुई। मैंने कल शाम को जाकर देखा कि क्या-क्या चोरी हुई है और मैंने शाम को एफ.आई.आर. दर्ज करवाई। पुलिस अपनी प्रक्रिया और खोजबीन तो कर रही है लेकिन विषय यह नहीं है कि केवल मेरे घर में चोरी हुई। पूरे प्रदेश में खासकर, जैजेपुर विधान सभा में आप देखेंगे तो हत्या का मामला निपटा दिया जाता है, अपराधी पकड़ लिये जाते हैं, लेकिन चोरी का मामला लगातार पेंडिंग है जिसके कारण चोर बढ़ रहे हैं और शायद यही हौंसला है कि उन्होंने एक विधायक के घर को भी नहीं छोड़ा । मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूँ। यह पूरे प्रदेश की स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय :- आप यह स्पष्ट करिये। हत्या का मामला निपटा दिया जाता है या चोरी का मामला...।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। अपराधी पकड़ लेते हैं मतलब उसका निराकरण होता है, लेकिन...।

अध्यक्ष महोदय :- तो हत्या के मामले में...।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय,लेकिन चोरी का प्रकरण लंबित ही है। इस प्रदेश में चोर नहीं पकड़ जाते हैं, मेरा कहना का मतलब यह है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हत्या का मामला निपटा दिया जाता है। इसमें भी हमने माननीय गवर्नर महोदया को ज्ञापन दिया है। एक सत्तारूढ़ दल का आदमी 10 लाख रूपये लेकर निपटाया है। (शेम-शेम की आवाज)

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है चूंकि विधायक के घर चोरी का मामला था इसलिए पुलिस सजगता के साथ, मैंने 9.00 बजे चोरी की सूचना दी और 10.00 बजे पुलिस पहुंच गई।

श्री कवासी लखमा :- विधायक की चोरी इन लोग करते हैं। इन्होंने मध्यप्रदेश में चोरी की, महाराष्ट्र में विधायकों की चोरी हुई, इन्हीं लोग जानते हैं कि यह कहां-कहां चोरी किये। इधर विधायकों की चोरी नहीं होती है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अच्छा, यह बाबा के विधायकों की चोरी किसने की है ?

श्री कवासी लखमा :- कोई चोरी नहीं किया है। अभी सब विधायक हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय बाबा जी बोल रहे हैं कि मेरे 28-30 विधायकों की चोरी हो गई। उनको कौन ले गया, आप बताईये ?

श्री अजय चन्द्राकर :- केवल छन्नी और पाण्डे जी बाकी हैं।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भले सत्तापक्ष और विपक्ष वाले मजाक में बात कर रहे होंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम मुआवजा के पक्ष में हैं।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन मुआवजा की बात नहीं है। मेरी संपत्ति की बात नहीं है, जो चोरी हुई है। विषय इस बात का है कि जो चोर है, वह विधायक के घर में घुसा यानी इस प्रदेश में पुलिस का खौफ, कानून का खौफ नहीं है। (शेम-शेम की आवाज) मैं सदन को यह बताना चाह रहा हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह तो कब से गायब है। वह सरकार बनी तब से गायब है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक):- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब लोग विधायक जी की पीड़ा समझ रहे हैं। अब विधायक यहां विधान सभा के सत्र में रहे या घर की रखवाली में रहें ? केवल उनके यहां चोरी नहीं हुई है, माननीय ननकीराम कंवर जी के यहां भी चोरी हुई है।

अध्यक्ष महोदय :- वह तो बता नहीं रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय ननकीराम कंवर जी ने नहीं बताया कि उनकी घर चोरी हुई है।

अध्यक्ष महोदय :- वह नहीं बता रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके अलावा आई.ए.एस., आई.पी.एस. अधिकारी के यहां चोरी हुई है। मतलब इस प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी ठप्प हो गई है। किसी को पुलिस का खौफ नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर:- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कानून व्यवस्था रहेगी तब तो ठप्प होगी।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में मैं तो यह आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सत्र चला रहे हैं। वहां विधायक के घर चोरी हो रही है। मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, विधायकों के घर में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें। उनकी आधी चिंता यह रहेगी कि हमारे यहां क्या स्थिति बनेगी ? तो इसलिए इस व्यवस्था को सुनिश्चित करना चाहिए और तत्काल उसकी गिरफ्तारी हो, जहां चोरी हुई है और गिरफ्तारी के बाद में मुआवजे की बात भी है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चोर ताकते रहता है कि कब विधायक विधान सभा सत्र में जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं। यह बहुत गंभीर विषय है।

अध्यक्ष महोदय :- ओला पता हो ही। उसको पता होगा कि वह अभी घर में नहीं है। उनको कहने दीजिए। अपनी पूरी बात कहने दीजिए। आप अपनी बात पूरी करिए।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात पूरी करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि वहां थाना प्रभारी एक साल से पदस्थ है, लेकिन जब परसों मेरे घर में चोरी हुई तो पहली बार, उसी शहर जैजेपुर में 2 लाख 15 हजार रूपये ....।

अध्यक्ष महोदय :- नकद और सोना कितना चोरी हुआ है ?

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सोना 15 तोला और 4 ग्राम चोरी हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- सोना 15 तोला और 4 ग्राम चोरी हुआ और 2 लाख रूपये नकद चोरी हुआ है।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 लाख रूपये और 15 तोला सोना चोरी हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बार थाना प्रभारी ने विधायक के घर को देखा। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका घर यही है। वह एक साल से थाने में पदस्थ है और विधायक उसी जगह पर रहता है, लेकिन पहली बार उस थाना प्रभारी ने विधायक के घर को देखा और पुलिस से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- यह हो सकता है कि चोर को नहीं पता हो कि यह विधायक का घर है। (हंसी) मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय,चोर को ही नहीं पता हो कि यह विधायक का घर है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सब नोट कर रहे हैं।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हो सकता है कि यह चोर को भी पता नहीं होगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसे ही विधायकों की सुरक्षा होना है तो यहां सब को धन्यवाद् है। अगर थानेदार को विधायक का घर नहीं मालूम है तो क्या सरकार चल रही है। हमारी क्या सुरक्षा होगी ? और इसको मजाक में उड़ाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या थानेदार को जनप्रतिनिधियों के घर की जानकारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ? जो विधायक है, वह चीफ सेक्रेटरी से ऊपर है, उसका प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से ऊपर है। क्या थानेदार को विधायक से सौजन्य भेंट करने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? इस सरकार में यह लज्जाजनक है। विधायकों को सम्मान मिलना चाहिए। वह सम्मान नहीं मिल रहा है।

श्री सौरभ सिंह :- विधायक जी का घर मेनरोड पर है।

श्री अजय चंद्राकर :- पहली बात तो इस सरकार में कानून व्यवस्था है ही नहीं।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष जी, आप आसंदी से सरकार को निर्देशित करिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, आप विधायकों के सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए आसंदी से निर्देशित किरए। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- विधायक को अपना प्रभाव दिखाना चाहिए न। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- पूरा जांजगीर चांपा जिला चोरों का पनाहगाह हो गया है। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- आसंदी से निर्देशित करिए।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- अध्यक्ष जी, जिनकी बात है, उनको तो पूरी करने दीजिए। जिनकी बात है, वह तो बोल ही नहीं पा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- कानून व्यवस्था है ही नहीं, इसलिए इस चीज को स्वीकार कर लीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, चंद्रा जी, अपनी बात पूरी करिए। (व्यवधान)

श्री गुरू रूद्र कुमार :- अजय जी, उनको तो अपनी बात पूरी करने दीजिए1

श्री अजय चंद्राकर :- गुरू रूद्र साहब जी, उस विभाग की भी जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष जी, आसंदी से निर्देशित करिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- आप अपनी बात पूरी करें।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- अजय जी, उनको तो अपनी बात पूरी करने दीजिए1

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, इसको आपको भी गंभीरता से लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- मैं ले रहा हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- विधायक का घर थानेदार नहीं जानता। यह क्या है? अगर थानेदार को विधायक का घर नहीं मालूम है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक स्थिति और क्या हो सकती है ?

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- विधायक को अपना प्रभाव दिखाना चाहिए न।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत गलत बात है, मैं समझ रहा हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ऐसे थानेदार को तो वहां एक सेकंड नहीं रहना चाहिए। हम लोगों की विधायकों के हितों की सुरक्षा करना, उनके जीवन की सुरक्षा करना।

अध्यक्ष महोदय :- मेरी जवाबदारी है, आप चिंता मत करिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, आपसे आग्रह है कि आप उसको सुनिश्चित रूप से ध्यान में लें और उसके ऊपर निर्देश जारी करें।

श्री अजय चंद्राकर :- आपके संरक्षण में है।

अध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजेपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, मेरे पास दो पी.एस.ओ. हैं, पहले सामान्य रूटिन में कभी एस.डी.ओ., कभी एस.पी. कभी थानेदार का उनके पास फोन आ जाता था। लेकिन कोरोनाकाल के बाद मैंने अपने पी.एस.ओ. को पूछा तो न कभी थानेदार आकर पूछा, न फोन किया, न कभी एस.डी.ओ.पी. ने पूछा। मेरे पी.एस.ओ. मेरी सुरक्षा में है या नहीं है, न कभी एस.पी. ने जानकारी चाही। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे घर में चोरी हुई है, चोरी हो गयी, कोई बात नहीं, लेकिन सरकार बाकी सदस्य के प्रति कम से कम अपने सदस्यों के प्रति चिंतित रहे। वह तो अच्छा हुआ, हम लोग घर में नहीं थे, हो सकता है कि चोर गया और अगर हम लोग घर में रहते तो अभी तो मॉल ही गया है, जान जाने की भी संभावना थी1 अगर हम वहां घर पर रहते तो चोर का क्या भरोसा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन है, एक सदस्य होने के नाते आज मैं इस सदन में हूं तो बोल पा रहा हूं, बाकी ऐसे कितने सारे लोग हैं जो इसके शिकार हुए हैं, जो एक थानेदार से भी बात नहीं कर पाते, वह अपनी व्यथा कहां बताएंगे ? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सावन का महीना चल रहा है और पूरे छत्तीसगढ़ में किसान रोपा और बियासी के काम में लगे हुए हैं। पर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जब पूरे प्रदेश में किसानी का काम चल रहा है, सहकारी समितियों की दुकानों से खाद गायब है। डी.ए.पी.,

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

यूरिया, पोटाश, सुपर फॉस्फेट कहीं किसी सहकारी समितियों में नहीं है। मजबूरी में किसानों को दो गुनी और तिगुनी कीमत में प्राईवेट दुकानों में जाकर खाद की खरीदी करनी पड़ रही है। पूरे प्रदेश में किसान लूटा जा रहा है। एक तरफ किसानों को खाद की कमी का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ विद्युत कटौती हो रही है, कब, कहां बिजली कटौती हो जाएगी, कब बिजली आएगी, इसका कहीं समय निर्धारित नहीं है। अगर गांव का ट्रांसफार्मर फेल हो गया तो 15-20 दिन और कहीं-कहीं तो महीने भर ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाते उसके चलते किसानों की कृषि प्रभावित हो रही है। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है और इस कृषि प्रधान प्रदेश में किसान इस सरकार की नाकामियों के चलते परेशान हो रहा है। इस विषय पर हमने आपको स्थगन प्रस्तुत किया है, आपसे निवेदन है कि स्थगन स्वीकार कर इस पर चर्चा कराएं तो ज्यादा अच्छा होगा। धन्यवाद।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में कोई सरकार नाम की चीज है या नहीं है। आज किसान परेशान, मजदूर परेशान, नौजवान परेशान है। आज किसानों की स्थिति इतनी खराब है कि किसान अपनी खेती और बोआई करने के बजाय खाद के लिए दुकानों का चक्कर काट रहा है। पहले बीज के लिए परेशान किया। बीज विकास निगम के पास पैसे नहीं है। उन्होंने बैंक से 100 करोड़ रूपए लोन मांगा है, लोन नहीं मिल रहा है। यह पहली बार हो रहा है कि किसानों को बीज के लिए तड़पना पड़ रहा है, खाद के लिए तड़पना पड़ रहा है। अगर हम किसानों के लिए खाद की व्यवस्था नहीं कर सकते, क्या 2500 रूपए देकर किसानों को खरीद लिया है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, आज किसान बेहाल, परेशान है। मेरे पास जानकारी है। आज 266 रूपए की यूरिया, 800-900 रूपए में बिक रही है। डी.ए.पी. 1500-2000 रूपए में बिक रहा है । डीएपी 1500-2000 रूपये में बिक रहा है, पोटाश 2200-2500 रूपये में बिक रहा है, सरकार की सोसायटियों में खाद नहीं है लेकिन खुले बाजार में खाद बिक रही है और स्थिति यह है कि केंद्र की सरकार के द्वारा जितना एलोकेशन होना चाहिए उतना खाद का एलोकेशन हो रहा है परंतु उसके बाद भी किसानों को खाद का नहीं मिलना और Black market में खुलेआम मिलना यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मानसून सत्र इसी के लिये होता है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है, आप उस पर चर्चा करवायें तो छत्तीसगढ़ के पूरे किसानों की चर्चा हो पायेगी।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ की सारी अर्थव्यवस्था खेती और किसानी पर आधारित है लेकिन दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ का भूमिपुत्र और अन्नदाता किसान खाद के लिये, बीज के लिये और आज वह बिजली से त्रस्त है । किसान मुझे यह बता रहे थे कि दिनभर सुबह से लेकर शाम तक वे सोसायटियों में बैठे रहते हैं, खाद को बांटने का सरकार का कोई मैनेजमेंट नहीं है, सिस्टम ठीक नहीं है, सोसायटी में खाद नहीं मिलता लेकिन खुले बाजार में, बिचौलियों के यहां, व्यापारियों के यहां 2-3 गुना और 4 गुना दाम पर हमारे छत्तीसगढ़ का किसान खाद

को खरीदने के लिये मजबूर है, जो बीज मिलता है वह अमानक बीज है और बिजली 5-7 घंटे गांव से गायब रहती है, किसानों को बिजली का अनाप-शनाप बिल मिल रहा है, 25,000-35,000 रूपये बिजली का बिल मिल रहा है । छत्तीसगढ़ में खाद और बीज की समस्या एक बहुत ही ज्वलंत और गंभीर समस्या है । माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने इस पर स्थगन प्रस्ताव दिया है । हमारा आपसे आग्रह है कि उसे स्वीकार कर चर्चा करायें ।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ में खाद की कालाबाजारी हो रही है और खाद की कालाबाजारी की शुरूआत होती है जब रेक उतरता है तो वहां से 60 और 40 का रेशियो बनाया जाता है । सोसायटी में 60 परसेंट दिया जाता है और खुले बाजार में 40 परसेंट दिया जाता है । जिस दिन आप खुले बाजार में 40 परशेंट दे रहे हैं तो आप उनको बेचने के लिये खुली छूट दे रहे हैं और उसके बाद सोसायटी में जो 60 परशेंट जा रहा है उसमें भी योजनागत ढंग से लूट की जा रही है तो आपसे आग्रह है और केंद्र सरकार से पूरी की पूरी खाद आयी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह है कि आप इस स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य करें और फिर केंद्र सरकार से जो पूरी की पूरी खाद आयी है हम उसका जवाब देंगे ।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी या यह शासन ब्लेक मार्केटिंग को संरक्षण कैसे दे रहा है ? यदि रेक से डबल लॉक में खाद जाता है, डबल लॉक से ही किसान को जाता है, डबल लॉक से ही व्यापारी को जाता है, डबल लॉक से सोसायटी उसी रेट में बेचती है और वही व्यापारी 4 गुना- 5 गुना रेट में बेचता है इससे साबित हो जाता है कि माननीय कृषि मंत्री या यह सरकार उनको संरक्षण दे रही है, एक । दूसरा एलोकेशन के लिये सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है कि निजी क्षेत्र को कितना एलोकेशन किया जाये यह शासन के विवेक पर निर्भर है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात यह है कि जो खाद है । यह 3 प्रकार का खाद बनाते हैं सुपर कम्पोस्ट, कम्पोस्ट प्लस और एक और क्या कम्पोस्ट है ? उसको अनिवार्य रूप से किसानों को लेना है और वह खाद पानठेला में भी उपलब्ध है यानी पेट्रोल पम्प में भी उपलब्ध है, किसान राईस मिल में भी उपलब्ध है और सोसायटी में भी उपलब्ध है केवल साजा विधानसभा में जबर्दस्ती नहीं है, किसानों को खाद जबर्दस्ती पकड़ाने की और हो सकता है कि पाटन में नहीं होगा बाकी सब जगह यह अनिवार्य है कि इनको लें और उसके बाद बिजली । हमने एक अविश्वास प्रस्ताव दिया है । इसी सदन में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम 5000 मेगावाट उत्पन्न करते हैं करके । हम उसको साबित करेंगे कि हम 4200 से 5000 मेगावाट में पहुंच गये हैं करके । आज की तारीख में आप कहीं भी चल दें बिजली कटौती एक आम बात है, उसके उपकरण आम बात हैं, हमको रोज बदलना है । जैसे ये अपनी व्यवस्था सुना रहे थे, मैं खेती करता हूं । मैंने एक प्राईवेट दुकानदार को फोन किया कि मेरे भतीजे को खाद की कमी नहीं होनी चाहिए, तुम देख लेना । सोसायटी में खाद नहीं है, यह मैं अपनी बात बता रहा हूं । एक दुकानदार

को फोन किया और उसका और दुष्प्रभाव कि मैं आपको खाद तभी दूंगा जब आप प्राईवेट सेक्टर में यह-यह दवाई खरीदोगे तो दवाई और खरीद रहे हैं और उसका दुष्प्रभाव । जितने एग्रीकल्चर के ग्राउंड लेवल ऑफिसर हैं वे किसानों को सलाह देने का कोई काम नहीं कर रहे हैं । किस बीमारी में क्या छिटना है, अभी रोपा लगे हुए हैं। खातू गायब है। वे सिर्फ गोबर खरीदी कैसे हो, गोबर खरीदी में कितना बह गया, कितना पैसा किसे देना है, क्या करना है, इसी में लगे हैं। एक योजना को छोड़कर उस योजना में भी हम बात करेंगे। यदि किसी तरह से पूरे छत्तीसगढ़ में कोई सबसे शोषित है तो वह किसान है। सरकार के संरक्षण में खाद के कालाबाजारी के संगठित धंधे, एक। अब मैं बीज में बोल देता हूं। बीज में पिछले साल जब से सरकार आयी है, यही मांग क्रियेट करती है और यही पूरा नहीं कर पाती। अब नकली बीज और हाइब्रिड बीज के बारे में मेरा एक संकल्प है, इसे आप कल लेंगे, तब मैं बात करूंगा, लेकिन बीज की कोई कमी नहीं है। हालत यही है, जिसे माननीय महोदय ने स्वीकार किया। ये इतने सक्षम मंत्री हैं, उसके बाद भी बिचौलियों से घिरे हैं। यदि आप कहें तो मैं सार्वजनिक रूप से बिचौलियों के नाम ले दूंगा और कौन आदमी है, यह भी बता दूंगा। कौन सी पार्टी से जुड़ा है, यह भी बता दूंगा। तो इसलिए यह धंधा एक संगठित गिरोह का रूप ले चुका है। इसलिए किसान शोषित है और होता रहेगा। ये भ्रम में रहें, यह अच्छी बात है और इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस स्थगन को स्वीकार करके इसमें चर्चा करायी जाये।

समय :

12.21 बजे

<u>स्थगन प्रस्ताव</u>

<u>प्रदेश में खाद एवं बीज की अनुपलब्धता</u>

अध्यक्ष महोदय :- प्रदेश में खाद एवं बीज की अनुप्लब्धता होने के संबंध में 14 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :-

प्रथम सूचना	-	श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य
दूसरी सूचना	-	श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य
तीसरी सूचना	-	श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य
चौथी सूचना	-	डॉ. रमन सिंह, सदस्य
पांचवीं सूचना	-	श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य
छठवीं सूचना	-	श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य
सातवीं सूचना	-	डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य
आठवीं सूचना	-	श्री ननकीराम कंवर, सदस्य
नौवीं सूचना	-	श्री नारायण चंदेल, सदस्य
दसवीं सूचना	-	श्री विद्यारतन भसीन, सदस्य

ग्यारहवीं सूचना - श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य

बाहरवीं सूचना - श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य

तेरहवीं सूचना - श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्या

चौदहवीं सूचना - श्री सौरभ सिंह, सदस्य

चूंकि श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त हुई है, अत: उसे मैं पढ़कर सुनाता हूं :-

प्रदेश में किसानों की समस्याओं की समस्या का समाधान होने के बजाय और बढ़ते ही जा रही है। प्रदेश के अन्नदाता कर्ज, भुखमरी, आर्थिक समस्या, फसल की खराबी, खाद-बीज की कमी तथा अन्य समस्याओं से ग्रस्त हैं, जिसके कारण आत्महत्या को ही अपना समाधान बना रहे हैं।

प्रदेश में विगत 03 वर्षों में 572 किसानों ने और 24500 से अधिक व्यक्तियों ने आत्महत्या कर ली है। इनमें से अधिकांश व्यक्ति किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। प्रदेश में खरीफ वर्ष 2022-23 के बुआई हेतु बीजों के वितरण के लिये राज्य के किसान बीज केन्द्रों का चक्कर लगा रहे हैं। जैसे-तैसे बीज मिलने के बाद खाद के लिये मारा-मारा फिर रहा है। प्रदेश में भारी मात्रा में खाद-बीज की कमी के कारण प्रदेश के किसान निजी दुकानों से दोगुना दर पर खरीदने के लिये मजबूर किया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से मांग किये गये उर्वरक पर्याप्त मात्रा में मिलने के बावजूद भी कमी बतायी जा रही है। जिसका मुख्य कारण है बाजार को अधिक मात्रा में खाद वितरण करना है। वहीं प्रदेश के किसान पूरे राज्य में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला धमतरी अंतर्गत खाद-बीज की उपलब्धता के लिये कलेक्टर से मिलने 80 से 100 किलोमीटर की दूरी तय कर दक्षिण सिंगपुर क्षेत्र से करीब 40 गांवों के किसान पहुंचे, लेकिन 200 मीटर पहले गेट पर ही रोक दिया गया। जिला राजनांदगांव के अंबागढ़ चौकी अंतर्गत मानपुर क्षेत्र में 500 बोरी खाद वितरण करना था और ढाई हजार किसानों को बुला लिया गया, जिससे आक्रोशित किसानों ने स्टेट हाइवे में 5 घंटे चक्काजाम कर दिया, जिसमें 14 पंचायत के ग्रामीण पहुंचे थे। साल्हेवारा के रामपुर में आक्रोशित किसानों ने सोसाइटी में ही ताला जड़ दिया। वहीं अंबागढ़ चौकी ब्लॉक के कौड़ीकसा में भी किसानों ने डेढ़ घंटे तक प्रदर्शन किया। सोसाइटी व बीज केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में खाद-बीज नहीं होने के कारण किसान मजबूरी में बाजार के दुकानों से 266 रूपए की यूरिया बाजार में 600 से 900 रूपये तक खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। इसमें भी व्यापारियों द्वारा खाद किसानों को तभी दी जा रही है जब वे उसके साथ दुकानदार द्वारा सुझाए गए उर्वरक कीटनाशक खरीद रहे हैं। जिला कोण्डागांव के फरसगांव लैंपस अंतर्गत विभिन्न ग्रामों बोरगावं, गट्टी पलना, सिंगापूरी, चूरेगांव के किसान यूरिया सहित अन्य खाद लेने आए हुए थे, लेकिन लैम्पस में खाद नहीं होने के चलती दुकानों से अधिक दर पर खाद लेने को मजबूर हैं ।

सरकार के पास किसानों को वितरित करने के लिये खाद नहीं है, लेकिन बाजारों में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है । सरकार बाजारों को खाद-उर्वरक ज्यादा सप्लाई करा रही है, जिससे दुकानदार जमाखोरी कर अधिक दरों में बेच रहे हैं । किसानों को जबरन कम्पोस्ट खाद लिये जाने के लिए विवश किया जा रहा है । वहीं राज्य के बीज निगम के पास बीज खरीदने तक के लिए बजट नहीं है तथा 100 करोड़ कर्ज लेने की तैयारी में जुटी है । इधर प्रदेश के किसान आर्थिक तंगी के साथ-साथ समय पर खाद-बीज नहीं मिलने के कारण आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहे हैं। प्रदेश सरकार किसानों के बढ़ते आत्महत्या के कारणों को सुलझाने में नाकाम हो चुकी है ।

अत: इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाय । इस संबंध में शासन का क्या कहना है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही नहीं है कि प्रदेश में किसानों की समस्याओं का अंबार लगा हुआ है । समस्याओं का समाधान नहीं होने के कारण प्रदेश के अन्नदाता कर्ज, भुखमरी, आर्थिक समस्या, फसल की ख़राबी, खाद-बीज की कमी के कारण प्रदेश के किसी भी किसान द्वारा आत्महत्या नहीं की गई है । प्रदेश में खरीफ वर्ष 2022-23 में 48 लाख हेक्टेयर में फसल लगाने हेतु 10 लाख, 04 हजार, 950 क्विंटल बीज की मांग की गई है, जिसके विरूद्ध 08 लाख, 97 हजार क्विंटल से अधिक बीज की उपलब्धता प्रदेश में है । उपलब्ध बीज में से 08 लाख 65 हजार क्विंटल से अधिक बीज का भंडारण कर 07 लाख, 74 हजार, 497 क्विंटल बीज का वितरण कृषकों को किया जा चुका है, जो गत् वर्ष इसी अवधि में वितरित 07 लाख 47 हजार 530 क्विंटल बीज की तुलना में 04 प्रतिशत अधिक है । प्रदेश में किसानों को वितरण हेतु अनाज, दलहन, तिलहन बीजों की पर्याप्त उपलब्धता है । खरीफ 2022 में विभिन्न उर्वरकों जैसे यूरिया, डीएपी, एनपीके, एसएसपी, पोटाश इत्यादि के 13 लाख, 70 हजार मेट्रिक टन की मांग भारत सरकार से की गयी थी, जिस पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदन दिया गया है । अनुमोदन के आधार पर माहवार आपूर्ति प्लान, सप्लाई प्लान तैयार कर भारत सरकार को भेजा गया । कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश में माह अप्रैल में कुल 03 लाख, 57 हजार मेट्रिक टन खाद की मांग के विरूद्ध 01 लाख, 62 हजार, 258 मेट्रिक टन उर्वरक आपूर्ति की गई जो मांग की तुलना में 55 प्रतिशत कम है । इसी तरह मई माह में कुल 03 लाख, 56 हजार मेट्रिक टन मांग के विरूद्ध 02 लाख, 83 लाख, 387 मेट्रिक टन आपूर्ति हुई जो मांग की तुलना में 32 प्रतिशत कम है । इस प्रकार प्रदेश में अप्रैल से जुलाई 2022 तक की कुल मांग 11 लाख, 66 हजार मेट्रिक टन के विरूद्ध 19 जुलाई 2022 तक कुल 08 लाख, 01 हजार, 815 मेट्रिक टन उर्वरक आपूर्ति हुई, जो कुल मांग का 31 प्रतिशत कम है । प्रदेश में मांग के विरूद्ध प्राप्त 8 लाख, 01 हजार, 815 मेट्रिक टन तथा 01.04.2022 की स्थिति में शेष स्टॉक 3 लाख 25 हजार 278 मेट्रिक टन सहित कुल 11 लाख, 27 हजार, 093 मेट्रिक टन में से 8 लाख, 09 हजार, 339 मेट्रिक टन उर्वरक कृषकों को वितरित किया जा

चुका है, जो कि गत् वर्ष खरीफ 2021 में इसी अवधि में वितरित 7 लाख, 46 हजार, 267 मेट्रिक टन उर्वरक की तुलना में 63 हजार, 072 मेट्रिक टन अधिक है ।

समय :
12:29 बजे **(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)**

सभापति महोय, इस प्रकार विगत वर्ष की तुलना में प्रदेश के किसानों को अधिक मात्रा में उर्वरक वितरण किया गया है। उर्वरक के नियमित आपूर्ति हेतु भारत सरकार से लगातार पत्राचार एवं समन्वय स्थापित किया जा रहा है, परंतु भारत सरकार से डीएपी की आपूर्ति कम होने के कारण उसके वैकल्पिक उर्वरक के रूप में एनपीके एवं एसएसपी के उपयोग के संबंध में किसानों को समझाइश दी जा रही है । जिला धमतरी, राजनांदगांव एवं कोंडागांव में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक की उपलब्धता है तथा किसानों को उनकी मांग के अनुरूप वितरण भी किया जा रहा है । प्रदेश के कुछ जिलों में अधिक दामों में उर्वरक बिक्री के संबंध में शिकायत संज्ञान में आने पर विभागीय अमलों द्वारा छापेमारी कर कार्यवाही की गई है । अभी तक कुल 67 स्थानों पर छापामारी की कार्यवाही कर 20 दुकानों के विरूद्ध लायसेंस निलंबन, 03 प्रकरणों में एफ.आई.आर. दर्ज करने, 37 प्रकरणों में विक्रय पर प्रतिबंध की कार्यवाही की गई है तथा 07 प्रकरणों को कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

यह भी कहना सही नहीं है कि सरकार के पास किसानों को वितरित करने के लिए खाद नहीं है और बाजारों में खाद उर्वरक ज्यादा सप्लाई करा रही है। अपितु भारत सरकार से प्राप्त उर्वरक की 60 प्रतिशत मात्रा सहकारिता विभाग को तथा 40 प्रतिशत निजी व्यापारियों को प्रदाय कर प्रदेश के कृषकों को रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है।

भूमि की भौतिक दशा को सुधारने की दृष्टि से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की अनुशंसा के आधार पर किसानों को वर्मी कम्पोस्ट के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश में गोधन न्याय योजनांतर्गत उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट की सुगम उपलब्धता की दृष्टि से ऋणमान में सम्मिलित करते हुए किसानों को प्रदाय किये जाने वाली फसल ऋण में वस्तु के रूप में प्रदाय करने का निर्णय लिया गया है।

बीज निगम द्वारा खरीफ मौसम में कृषकों से उपार्जित बीज हेतु अग्रिम भुगतान किया जाता है, इसलिये बैंक से सी.सी. लिमिट प्राप्त कर कृषकों को भुगतान की व्यवस्था की जाती है।

प्रदेश में किसानों के लिये पर्याप्त मात्रा में बीज की उपलब्धता है तथा उर्वरक की आपूर्ति हेतु भारत सरकार से निरंतर समन्वय कर किसानों को मांग अनुरूप उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। अत: उक्त के परिपेक्ष्य में स्थगन प्रस्ताव अग्राहय करने का अनुरोध है।

सभापति महोदय :- ग्राहयता पर चर्चा के लिए ..।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर (दक्षिण)) :- माननीय सभापति महोदय, हम इस सदन में इस समय किसानों के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय सभी मंत्रीगण बड़ी-बड़ी बात करते हैं। आप लोग बार-बार समाचार पत्रों में बोलते हैं कि खाद की उपलब्धता नहीं है, केन्द्र सरकार खाद उपलब्ध नहीं करवा रही है। माननीय मंत्री जी, आपने स्वयं अभी कहा है कि हमको 31 प्रतिशत खाद कम प्राप्त हुआ है, बाकी प्राप्त हो गया। मैं आपसे जरा यह जानना चाहता हूं। आपको यह बताना चाहिये कि हमने खाद कि मांग की है। वह खाद आपको कितने दिनों में सप्लाई होनी है? खरीफ फसल के लिए जो खाद की सप्लाई होनी है, वह 6 महीने में खाद की सप्लाई होनी है। मंत्री जी, आज 13 लाख, 70 हजार मीट्रिक टन खाद इनको कुल 6 महीनों में उपलब्ध होना है। उसमें से 11 लाख, 27 हजार, 93 टन खाद इनको उपलब्ध हो गई है। माननीय मंत्री जी, 3 लाख, 17 हजार, 756 टन खाद आज भी आपके डबल लॉक में है। यह मेरे आंकड़े नहीं हैं, यह केन्द्र सरकार के आंकड़े हैं। यदि 3 लाख,17 हजार, 756 टन खाद यदि आपके डबल लॉक में है, तो सिंगल लॉक में खाद क्यों नहीं पहुंच रही है। लोगों को जगह-जगह पर आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है? ब्लैक मॉर्केट में खाद क्यों मिल रही है? आप लोग बार-बार समाचार पत्रों में तो बड़ी-बड़ी बात कहते हैं कि किसानों को आज की तारीख में 85 प्रतिशत खाद मिल चुकी है, जबकि सीजन का अभी तीन महीने बाकी है। मेरे पास में माननीय मंत्री जी बोल रहे थे। मेरे पास में अन्य महीनों के भी रिकॉर्ड हैं। 13 जुलाई तक 80 प्रतिशत खाद मिल चुकी थी, 15 जून तक 75 प्रतिशत खाद मिल चुकी थी, परंतु उसके बाद भी यह सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। पूरी व्यवस्था लचर है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके एग्रीकल्चर कमीश्नर कितने बार संभागों में गये हैं? कितने जिलों में गये हैं? यह परंपरा रही है कि एग्रीकल्चर कमीश्नर संभागों, जिलों में जाकर खेती की व्यवस्था देखते हैं कि वहां पर खाद क्या होगा, बीज क्या होगा? इस सरकार में ना तो सेक्रेटरी को फुर्सत है, ना प्रिंसिपल सेक्रेटरी को फुर्सत है और ना ही चीफ सेक्रेटरी को फुर्सत है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने क्या तैयारी की है? आपने बरसात के पहले किसानों को खाद की जरूरत होगी । यदि ज्यादा पानी गिर गया तो हम क्या करेंगे और यदि कम पानी गिर गया तो हम क्या करेंगे ? हमारा इमरजेंसी प्लान क्या होगा ? आज किसानों को एक बार की जगह अब दोबारा बुआई करनी पड़ रही है। उनको यूरिया और डी.ए.पी. की जरूरत है। आप डी.ए.पी. की बात बार-बार करते हैं। आपने जितनी डी.ए.पी. की डिमाण्ड की है उस डिमाण्ड के हिसाब से सिर्फ 27,550 हजार टन डी.ए.पी. आना बाकी है और बाकी पूरी डी.ए.पी. आ चुकी है। माननीय सभापति महोदय, हर सप्ताह केन्द्र के अधिकारियों के साथ में राज्य के अधिकारियों की बैठक होती है उस बैठक में प्लान होता है कि आपको इस महीने कितनी खाद चाहिए और उस प्लान के अनुसार ही खाद की सप्लाई होती है। कभी भी राज्य के अधिकारियों ने यह नहीं कहा कि हमारे पास खाद की कमी है। मेरी राज्य के अधिकारियों से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि सर, खाद की कोई कमी नहीं है। हमको जितनी

खाद की जरूरत है उतनी खाद मिल रही है परंतु उसके बाद आपने जवाब नहीं दिया। यह खाद डबल लॉक से सिंगल लॉक में क्यों नहीं पहुंच रही है ? मैं भी कृषि मंत्री रहा हूं। हमने एक बार यह निर्णय लिया कि जो रैक आएगा, वह डबल लॉक में नहीं जाएगा बल्कि सीधे सिंगल लॉक में जाएगा। उस खाद को डबल लॉक में भेजने की जरूरत नहीं है। उसकी डबल ट्रांसपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है और बीच में जो चोरी होती है उसकी भी जरूरत नहीं है। आप सीधे सोसायटियों में खाद पहुंचाइये। आप खाद को सीधे सोसायटियों में क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं ? माननीय मंत्री जी, हम ऐसा मानते हैं कि आप ठीक काम करेंगे।

सभापति महोदय :- बृजमोहन जी, आप ग्राहयता पर चर्चा कीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं ग्राहयता पर ही चर्चा कर रहा हूं। मैं ग्राहयता पर ही बोल रहा हूं।

सभापति महोदय :- मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि आप ग्राहयता पर चर्चा कीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, इसको ग्राहय क्यों करें?

सभापति महोदय :- हां, आप यही बताइये न?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्योंकि मंत्री जी ने किसी भी प्रकार का कोई भी जवाब नहीं दिया। मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि यह क्या हो रहा है? क्योंकि यह समस्या आपके क्षेत्र में भी है। किसानों को कंपोस्ट खाद के नाम पर लूटा जा रहा है। यूरिया डी.ए.पी. से महंगा खाद है। यूरिया 266 रूपये में मिल रहा है और कंपोस्ट खाद 1000 रूपये में मिल रहा है। जिसमें कंकड़ और पत्थर मिला है। माननीय मंत्री जी, आपके क्षेत्र में 30 किलो कंपोस्ट खाद की जगह उसमें से 20 किलो कंपोस्ट खाद निकलता है। क्या आपने कभी इसकी चिंता की है ? अगर कृषि मंत्री जी के क्षेत्र में यह स्थिति है तो बाकी क्षेत्रों में क्या स्थिति होगी ? किसानों को खाद लेने के लिए 5-5, 10-10 घंटे और रात-रात भर सोसायटियों में रतजगा करना पड़ रहा है और लाईन लगानी पड़ रही है। आपके इन दो सालों में जो स्थिति हुई है वैसी स्थिति पहले कभी नहीं हुई है। एक वृद्ध बंशीलाल साहू, लाईन में लगे-लगे वहीं पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गयी। यदि उस किसान की खाद लेने की लाईन में मृत्यु हो गई, उसके बाद भी इस सरकार के कान में जूं नहीं रेंगे। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक क्या होगा ? आज पूरे प्रदेश में किसान आंदोलन कर रहे हैं। 30 मई को किसानों ने अंबिकापुर और राजपुर में खाद को लेकर नेशनल हाइवे पर चक्काजाम किया। एस.डी.एम. के कार्यालय और सोसायटी का घेराव किया। आज हर किराने की दुकान में कीटनाशक का विक्रय हो रहा है। माननीय मंत्री जी, क्या आपने किराना दुकान वालों को खाद, बीज और कीटनाशक बेचने का परमिशन दे दिया है ? आप कितनों पर कार्रवाई कर रहे हैं ? आपको उन पर कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है बल्कि उनको सरकार का भय होना चाहिए। वह लोग आपके संरक्षण में हैं। यह सरकार नहीं बोलती है बल्कि इनसे जुड़े हुए लोग, इस सरकार का हर नेता, हर कार्यकर्ता बोलता

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है कि तुम खाद बेचो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जो बिगाड़ने आएगा, उसका हम बिगाड़ देंगे। यह सरकार नहीं बल्कि सरकार के घमण्ड में ही है। मेरी भी अधिकारियों और कर्मचारियों से बात होती है तो वह कहते हैं कि सर, हमारी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है। अगर हम कार्रवाई करेंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी और इसलिए अमानक खाद और बीज।

सभापति महोदय :- माननीय बृजमोहन जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, धमतरी कलेक्टोरेट पर दक्षिण सिंहपुर के किसानों ने प्रदर्शन किया। मानपुर में 5 घण्टे तक चक्काजाम हुआ। अम्बागढ़ चौकी में कौड़ीकसारे प्रदर्शन हुआ। कुरूद में 3000 लोगों ने प्रदर्शन किया। वर्मी कंपोस्ट के नाम पर पूरे प्रदेश में हाहाकार है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपने वर्मी कंपोस्ट को किसी लैब में टेस्ट करवाया है ? क्या आपका यहां पर कोई लैब है, जो वर्मी कंपोस्ट को टेस्ट करे ? यदि कोई बाकी होगा तो आप उस खाद को लैब में टेस्ट करवाएंगे ? यदि टेस्ट में वह खाद फेल हो जाएगी तो उसको जेल में डाल देंगे। अब जेल में आपको जाना चाहिए या मुख्यमंत्री जी को जाना चाहिए ? यहां आपने आदेश जारी किया है कि जो अमानक वर्मी कम्पोस्ट है, जिसमें कंकड़ है, मिट्टी है । मैं तो कहूंगा कि छत्तीसगढ़ के 50 लाख किसानों को अगर लूटने वाली कोई सरकार है तो यह कांग्रेस की सरकार है ।

सभापति महोदय :- ग्राह्यता पर चर्चा हो रही है । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि 5-5 मिनट में संक्षेप में अपनी बात रख दें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, इसको ग्राह्य इसलिए किया जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के 50 लाख किसान दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, अपने भविष्य को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं । उनको लगता है कि यह सरकार होगी तो 25 सौ रूपए के नाम पर हमको लूटने का काम कर रही है । 25 सौ रूपए के नाम पर पूरे विकास अवरूद्ध हो गए हैं । 25 सौ रूपए के नाम पर सड़क नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं है । मंत्री जी, छत्तीसगढ़ के बारे में जाना जाता था कि यहां पर 24/7 बिजली मिलती है । अब तो 24/7 नहीं, कभी सप्ताह में एक दिन भी बिजली मिल जाए तो बड़ी बात है । शहर की हालत क्या है ? शहर में दिन में 20 बार बिजली गोल होती है तो गांव की हालत क्या होगी ? जिन गांवों में बिजली बंद होती है, वहां 10-15 दिन बिजली नहीं होती, कई दिन तो ऐसे हैं, जहां एक-एक महीने तक बिजली नहीं होती है ।

सभापति महोदय :- माननीय बृजमोहन जी, मैंने पूर्व में निवेदन किया कि आप सामान्य चर्चा नहीं, ग्राह्यता पर चर्चा कर लें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति जी, अगर बारिश का पानी गिरने में विलंब हुआ तो वह अपने पम्प के माध्यम से बोवाई कर सकते थे, अपनी नर्सरी लगा सकते थे, परन्तु बिजली नहीं होने के कारण वे बोवाई नहीं कर पाए । आज ऐसी स्थिति है कि खाद नहीं मिलने के कारण किसान परेशान है । सबसे

ज्यादा खाद की जरूरत है, अगर 3 लाख, 17 हजार टन खाद आपके डबल लॉक में है । माननीय मंत्री जी, यह चार्ट आपके पास भी है । यही चार्ट है न ? 3 लाख, 17756 टन खाद आपके डबल लॉक में है तो किसानों को क्यों नहीं मिल रहा है, क्या प्रक्रिया है ? आपकी व्यवस्था, भ्रष्ट व्यवस्था, तहस-नहस व्यवस्था, पैसा खाने वाली व्यवस्था है । 3 लाख, 17 हजार टन खाद कम होता है । मेरे पास 5वें महीने, 6वें महीने का भी रिकार्ड है । आप यह बताएं कि जिस महीने का जितना प्लान भेजा, उतनी खाद आपको मिल रही है या नहीं ? मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, आप बोलते हैं । आप केन्द्र पर आरोप लगाना बंद करिए । सभापति जी, इनको खाद के टेण्डर मार्च में करने चाहिए थे, बाकी राज्यों ने मार्च में टेण्डर कर दिए, खाली यूरिया की सप्लाई केन्द्र सरकार करती है, बाकी खाद के लिए टेण्डर करना पड़ता है । बाकी सदस्यों को भी शायद जानकारी नहीं होगी कि बाकी खाद के लिए राज्य सरकार को टेण्डर करना होता है, जो टेण्डर मार्च में होना चाहिए था, वह टेण्डर मई में हुआ इसलिए आपकी खाद की सप्लाई लेट हुई । सभापति महोदय, इस सरकार की गलतियों के कारण छत्तीसगढ़ का किसान परेशान है, बेहाल है, बदहाल है । वह अपने भविष्य की चिन्ता में है इसलिए आप इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करें तो हम आपके सामने विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाएंगे । आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- माननीय शिवरतन शर्मा जी । अपनी बात विषय-वस्तु तक सीमित रखें और 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- सभापति महोदय, मैं 10 मिनट में अपनी बात खतम करूंगा ।

सभापति महोदय :- मैंने 5 मिनट में खत्म करने का निवेदन किया ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, हम लोग माननीय कृषि मंत्री को मिश्री भैया कहकर संबोधित करते हैं और मिश्री भैया इसलिए कहते हैं कि इनकी वाणी में मिठास है, पर इनके कार्य ने छत्तीसगढ़ के किसानों के जीवन में कड़वाहट घोलने का काम किया है । सभापति जी, इस सावन के महीने में जब रोपा और बियासी का काम चल रहा है, उस समय किसान को अगर सर्वाधिक किसी खाद की आवश्यकता पड़ती है तो वह खाद है-डी.ए.पी. । माननीय बृजमोहन जी ने अपने आंकड़ों में बताया कि सरकार ने जितनी डी.ए.पी. की मांग की, उसमें से 27 हजार मीट्रिक टन खाद आना शेष है, बाकी खाद छत्तीसगढ़ सरकार को प्राप्त हो चुकी है । आपने जितनी मांग की, उसमें से 90 प्रतिशत से ज्यादा खाद आपको मिल चुका है तो किसान को आखिर खाद के संकट का सामना क्यों करना पड़ रहा है ? किसान को तीन गुना और चार गुना कीमत पर खाद क्यों खरीदनी पड़ रही है ? आप कहते हैं कि 60 प्रतिशत सहकारी समितियों को जाएगा, 40 प्रतिशत प्राईवेट सेक्टर को जाएगा । माननीय मंत्री जी, अगर खाद की समस्या हो तो राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह 60 प्रतिशत के रेशियों को 80 प्रतिशत भी कर सकती है, जरूरत पड़े तो 90 भी कर सकती है और जरूरत पड़े तो 100 प्रतिशत कर सकती है। अगर प्रायवेट दुकानों में खाद नहीं जायेगी तो सरकार को सेवा शुल्क कौन देगा ? सिर्फ सेवा

शुल्क के चक्कर में प्रदेश का किसान लुटा जा रहा है। यह सिर्फ खाद की बात नहीं है। पहले बीज के मामले में लुटा गया।

श्री रामकुमार यादव :- महाराज, एको थव चिट्ठी तुमहो मन लिखे हा ?

श्री अजय चन्द्राकर :-तै हा बैठ ना, ग्राह्यता पर चर्चा चलत हे।

श्री रामकुमार यादव :- एक थव चिट्ठी लिखे हा का ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, पहले किसान बीज के नाम पर लूटा गया, अब किसान खाद के नाम पर लूटा जा रहा है और किसान के सामने तीसरा संकट बिजली का है। ट्रांसफार्मर खराब होते हैं, किसान 15 दिन, 20 दिन, एक-एक महीना चक्कर लगाता है, किसान का ट्रांसफार्मर चेंज नहीं होता है। कल स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है कि छत्तीसगढ़ में 50,500 किसान ऐसे हैं, जिन्होंने विद्युत कनेक्शन के लिए पैसा पटा दिया है, परन्तु सरकार इस साल के लक्ष्य में उनको शामिल नहीं कर पा रही है। किसान को बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा है।

सभापति महोदय :- शर्मा जी, आप ग्राह्यता पर चर्चा करिये, सामान्य चर्चा नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि 5 मिनट में संक्षेप में अपनी बातों को कहें।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, इन सबके चलते क्या हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में किसानों की आत्महत्या की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। हमने अपने स्थगन प्रस्ताव में दिया है कि लगभग 4500 लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। यह हमने अपने मन से नहीं लिखा है। सरकार ने हमारे विधानसभा के प्रश्नों के जवाब में जो आकड़ें दिए हैं, वह आकड़ें आपके सामने प्रस्तुत किया है। आज स्थिति क्या बन गई है कि किसान वर्मी कम्पोस्ट के नाम पर लूटा जा रहा है। वर्मी कम्पोस्ट के नाम पर 3 प्रकार से लूटा जा रहा है। पहला तो किसान को बाध्य किया जाता है कि आपको सहकारी समितियों से ऋण लेना है। 7 सौ एकड़ में 3 बोरा वर्मी कम्पोस्ट लेना पड़ेगा। अब तीन बोरा वर्मी कम्पोस्ट देते हैं उस वर्मी कम्पोस्ट की लेनदेन में कहीं चेकिंग नहीं है। वर्मी कम्पोस्ट के नाम पर आपके साजा एरिये में भी छेने के खरसी और मिट्टी मिलाकर दी जा रही है। अब 30 किलो की जगह 20 किलो, 25 किलो मिल रही है।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- मेरे यहां तो बिजली भी बन रहा है भईया। बिजली बनत हे, बिजली।

श्री अजय चन्द्राकर :- तै नइ मानबे मैं साजा फोन करे रहेव बोलिस कि साजा में एक क्विंटल अनिवार्य नइ हे। बाकी मन के सर्कुलर ओ हा निकाले हे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने 67 स्थानों पर छापा मारा है, 20 दुकानों का लायसेंस निरस्त किया है, 3 लोगों के ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज किया है।

आप कुछ दुकानों में, जो डीलर हैं, उनके यहां पता तो कर लो, उन्होंने एक-एक किसान को प्रति एकड़ कौन सी खाद कितनी मात्रा में दी है ?

सभापति महोदय :- आप ग्राह्यता पर चर्चा करें।

श्री शिवरतन शर्मा :- रायपुर में ऐसा जिला भी है, जिसने एक किसान को 10 हजार बोरी खाद दी है। (शेम-शेम की आवाज) आपके दुर्ग जिले में एक ऐसा किसान है, जिसने एक किसान को 23 हजार बोरी खाद दी है। लेकिन आप वहां छापा नहीं मारोगे, क्योंकि कृपादृष्टि है, दुर्ग जिले का मामला है। आप बोलोगे तो मैं आपको अलग से नाम बता दूंगा।

श्री रविन्द्र चौबे:- आप नाम उजागर ही कर दो, कोई बात नहीं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, कार्यवाही क्यों नहीं होगी ? क्योंकि कृपा पात्र हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के कृपा पात्र हैं।

सभापति महोदय :- आप ग्राह्यता पर चर्चा करें। मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं ग्राह्यता पर बोल रहा हूं।

सभापति महोदय :- सामान्य चर्चा नहीं, संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, पूरे प्रदेश का किसान पीड़ित है, पूरे प्रदेश में किसान संकट में है। माननीय सभापति जी, सदन में, मानसून सत्र में किसान की समस्या पर चर्चा नहीं होगी तो किसकी समस्या पर चर्चा होगी ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, आपके क्षेत्र में भी किसान हैं।

सभापति महोदय :- मैंने ग्राह्यता पर चर्चा करने के लिए निवेदन किया है। 5 मिनट में अपनी बात खत्म कर दें, और माननीय सदस्यों को बोलना है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मानसून सत्र इसी के लिए होता है कि आप इस पर पूरी चर्चा करवायें। इससे महत्वपूर्ण विषय मानसून सत्र में और कौन सा होगा ?

सभापति महोदय :- अभी ग्राह्यता पर चर्चा हो रही है।

श्री शिवरतन शर्मा :- विद्युत मण्डल में एक नियम है कि हमेशा 3-4 ट्रांसफार्मर हर डिवीजन में रिज़र्व स्टॉक में होना चाहिए। मैं आज चुनौती देता हूं, आप आज चेक करवा लीजिये हर डिवीजन में 10-20 ट्रांसफार्मर फेल होने की सूचना है और किसी डिवीजन में ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं है।

सभापति महोदय :- मैंने आपको चर्चा की अनुमति नहीं दी है। आप केवल ग्राह्यता पर चर्चा करें, मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, आप डिवीजन के ई.ई. से बात कर लीजिये। ई.ई. का जवाब आयेगा कि हमारे पास ट्रांसफार्मर मरम्मत के लिए भी आवंटन नहीं है। कुल मिलाकर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

इस सरकार में किसान लूटा जा रहा है। ना उसको खाद मिल रहा है, ना उसको बिजली का कनेक्शन मिल रहा है, सभापति जी । इस पर चर्चा कराये, यह हमारा निवेदन है।

सभापति महोदय :- धन्यवाद । माननीय चन्द्राकर जी ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी को एक बात बताना चाहता हूँ कि उसको ग्राह्य क्यों करे । आपने ईमानदारी से बीज का कॉलम अपने उत्तर से गायब कर दिया, जबकि बीज की उपलब्धता हमने रखी है, आपने स्वीकार करने में संकोच दिखाया, किसी भी साल आप किसानों को डिमांड के अनुरूप बीज सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं । दूसरी बात, आप बाहर से बीज खरीद रहे हैं, तीसरी बात जो बीज का कार्यक्रम ले रहे हैं, उसमें पहली बार आपने रिजर्वेशन लागू किया है । ओ.बी.सी.किसान, सामान्य किसान, एस.सी. किसान, एस.टी. किसान, जो आप दर निर्धारित करते हैं, आप उसका पैसा समय में नहीं देते हैं । दो-दो साल से भुगतान बकाया है । आप एक टेरेटरी बांट कर रखे हैं । जो बार-बार चुनाव हो रहे है, आपकी सरकार उससे एटीएम में बहुत परेशान है । आपके बीज सप्लायरों के गिरोह के कब्जे में आप जैसा आदमी है । आप ग्राह्य करेंगे तो मैं नाम ले दूंगा । माननीय सतपाल, भारत के कितने बड़े पहलवान है, उसके पीछे कौन है ? कितने सप्लायरों को आपने टेरेटरी बांट कर रखी है, ये जिला तुम्हारा, ये जिला तुम्हारा और उसके पीछे कांग्रेस के कौन बड़े नेता है ? बीज के बारे में आप मौन रहे, मेरे पास अधिकांश कंपनियों के पूरे नाम है, जहां से आपने खरीदा है । आप आत्मनिर्भर इसलिए नहीं बनना चाहते कि छत्तीसगढ़ के किसानों को बीज सप्लाई के कार्यक्रम में शामिल नहीं करना चाहते । आज छत्तीसगढ़ की वी.एन.आर. सबसे बड़ी सप्लाई कंपनी है । आपके जिले का किसान है और 400 करोड़ का टर्न ओव्हर है, लेकिन आप आत्मनिर्भर इसलिए नहीं बनाना चाहते क्योंकि आपको बीज बाहर से खरीदना है और दूसरे प्रदेश के प्रायवेट उत्पादकों से भी खरीदना है । जो लोग यह काम करते हैं, उनमें से आपका एक भी अधिकारी वह फार्मिंग करता है कि नहीं करता है, यह अब तक देखकर नहीं आये हैं । दूसरा, जो आप बीज और तमाम तरह के सप्लायर, मैंने एक नाम लिया ना, महाबली सतपाल पहलवान के गुरू थे, ऐसे और नाम है । चूंकि सदन में नहीं है, आप स्वीकार करते तो मैं आरोप लगाता । मैं कारण इसीलिए बता रहा हूँ, वह आपका चलने नहीं दे रहे हैं, बीज विकास निगम का धंधा यही है जो आपने स्वीकार करके रखा है कि आप पैसा उगाही करवाईये और चुनाव के लिये भिजवाईये। एटीएम सरकार का एक काम है, उसमें छत्तीसगढ़ का किसान पिस रहा है । यदि आप इस मामले में आत्ममुग्ध हैं कि 2500 रूपये किसानों को देकर हम बरी हो गये हैं, आपको यह बता देता हूँ, आप किसान है । हम लोगों का तो नाम छपवाये थे कि इतने लोगों का धान बेचे हैं, मुख्यमंत्री जी के परिवार में कितने एकड़ खेती है, आपके परिवार में कितने एकड़ खेती है, आपने छपवाया क्या कि कितना धान बेचा है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- भाजपा राज में हमारा छपा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- 2500 रूपये में 80 प्रतिशत किसान लघु सीमांत कृषक है, यह आपके प्रतिवेदन में है । जो लोग रेग लेते हैं उसमें एक मालिक या अधिया लेंगे तो एक मालिक जो है, उसको बोनस का पैसा दे दिया तो बहुत है । आपका बोनस किसानों को नहीं मिलता है । जो रेगहा देने वाले हैं, उसको आपका बोनस मिलता है, जान लो । कोई भी आदमी जो ओरिजनली कृषि कर रहा है, उसको बोनस नहीं मिल रहा है, जो आप भावान्तर की राशि दे रहे हो, कुलमिलाकर आप यह देखेंगे कि आप उस एंगल को छोड़ दें तो कल बिजली कनेक्शन सप्लाई में बात हो रही थी, हमने 35 हजार, 55 हजार दिया, रिकार्ड है । आपने 40 साल, 50 साल राज किया, 50 हजार पम्प कनेक्शन थी ।

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी, ग्राहता पर चर्चा करें । पांच मिनट में समाप्त करें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, अगर मानसून सत्र पर किसानों की चर्चा नहीं होगी तो किसकी चर्चा होगी ?

सभापति महोदय :- 40 साल का ग्राहता से क्या संबंध है ? मुद्दे की बात करिये ना ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सारे विषय ग्राहता से संबंधित है । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति जी, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

सभापति महोदय :- संक्षेप में बोलें । माननीय नारायण चंदेल जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं बात समाप्त कर दिया हूँ ।

सभापति महोदय :- जो बोलना चाहें, बोलें । मैंने यही तो निवेदन किया है, संक्षेप में बोले ।

श्री अजय चन्द्राकर :- बोल दिया हूँ ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- बोलो-बोलो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- कृपया ग्राह्य करें बोलो और बैठ जाओ । यह सरकार किसानों के लिए सुनने को तैयार ही नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सब को अवसर मिलना चाहिये ।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय सभापति जी, हम आसंदी का पूरा सम्मान करते हैं लेकिन इससे महत्वपूर्ण विषय छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं है। इसलिए अगर मानसून सत्र में किसानों के विषय पर, मुद्दे पर खाद एवं बीज पर चर्चा नहीं होगी।

सभापति महोदय :- आप लोग चर्चा करें, लेकिन स्थगन की ग्राह्यता पर चर्चा करें कि क्यों स्थगन ग्राह्य किया जाये?

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, ठीक है। क्यों स्थगन को ग्राह्य किया जाये, इसी विषय पर बात हो रही है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, हम यही तो बोल रहे हैं कि सरकार फेलुअर है। सरकार के फेलुअर होने के कारण इस स्थगन को ग्राह्य करें।

अप्रवेशित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- चलिये, चंदेल जी, आप बोलिये।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति जी बोल रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी।

सभापति महोदय :- मैंने चंदेल जी को पुकारा है, माननीय बृजमोहन जी, आप बैठ जायें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मानसून सत्र में अगर किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी, हम सरकार को फेलुअर बता रहे हैं और सरकार के फेलुअर होने के कारण इस स्थगन को ग्राह्य करें। हम यह बोल रहे हैं। आप अगर बार-बार सदस्यों को टोकेंगे।

सभापति महोदय :- टोकने का सवाल नहीं है, ग्राह्यता पर चर्चा करें न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ग्राह्यता ही पर तो बोल रहे हैं।

सभापति महोदय :- राम कहानी करने की जरूरत नहीं है। ग्राह्यता पर चर्चा करें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम सरकार को फेलुअर बोल रहे हैं तो ग्राह्यता पर ही तो चर्चा है, सरकार फेलुअर है इसलिए इस स्थगन को ग्राह्य करें। सरकार को फेलुअर हमारे सदस्य बता रहे हैं। अगर सदस्यों को इस प्रकार से टोकेंगे, उनका लिंक टूटेगा तो वह बोल कैसे पायेंगे।

सभापति महोदय :- माननीय चंदेल जी, आप बोलिये।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति जी, मैं बोल रहा हूं। मैं यह बोल रहा था कि इसलिए इस स्थगन को ग्राह्य किया जाये और ग्राह्य करके चर्चा कराई जाये। यह मानसून सत्र है और यह सत्र वास्तव में इस छत्तीसगढ़ के भूमिपुत्र और अन्नदाता किसानों को समर्पित होता है। माननीय कृषि मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी किसान हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय खाद और बीज की किल्लत नहीं हुई। उस समय मई और जून के महीने में खाद मिल जाती थी।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- 15 साल में 10 साल केन्द्र में कांग्रेस की सरकार रही।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, अब आप उनको रोकिये। दारू के समय तो खड़े नहीं होते हैं, किसानों के खाद, बीज की चर्चा के समय खड़े हो जाते हैं।

श्री कवासी लखमा :- कांग्रेस की सरकार के समय पूरा पैसा आता था, आपकी केन्द्र सरकार ने पैसा रोका हुआ है, 30 करोड़ रुपये नहीं दे रहे हैं। आप केन्द्र सरकार को क्यों नहीं बोलते ?

श्री शिवरतन शर्मा :- अपने विभाग में तो आपकी बोलती बंद रहती है। आप बाजू में भाई साहब (मोहम्मद अकबर जी) को खड़ा करते हो।

श्री कवासी लखमा :- मैं क्या नहीं बोला हूं ? हम दोनों बराबर बोलते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप बैठिये। आप बहुत बड़े [XX] हो, पूरा प्रदेश जानता है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- अजय चन्द्राकर जी तो तैयारी करके आये नहीं हैं, वह बहिर्गमन करके चले गये, वह बिना तैयारी के आये थे।

श्री नारायण चंदेल :- आप थोडा चुप रहिये। माननीय सभापति महोदय, इसका व्यवस्थापन, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की सरकार में मई और जून के महीने में किसान खाद उठा लेता था और उसको स्टोरेज करके रखता था। उस समय एडवांश में खाद मिल जाती थी। कैसे मिल जाती थी, कैसे व्यवस्थापन हो जाता था ? लेकिन आज जुलाई माह बीतने जा रहा है, आप किसी भी सोसायटी में चले जाईये, रायपुर के आसपास के गांव में किसी सोसायटी में चले जाईये। किसान सुबह 8.00 बजे से आता है और शाम को 5, 6 बजे तक खाली हाथ वापिस लौट जाता है। अनेक सोसायटियों में झड़प हो रहे हैं, मारपीट हो रही है। किसानों के साथ में अधिकारी अभद्रता से पेश आ रहे हैं। यह छत्तीसगढ़ का दृश्य है। माननीय सभापति महोदय, कृषि मंत्री को, मुख्यमंत्री को पीड़ा नहीं है। इसलिए हमारा आग्रह है कि हम लोगों ने यह खाद और बीज के महत्वपूर्ण विषय पर स्थगन दिया है। नकली बीज का पूरा कारोबार सरकार के संरक्षण में चल रहा है। वह अमानक बीज है। किसान उसको ले जा करके बुआई करता है और धान पैदा नहीं होती है। माननीय सभापति महोदय, यह छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है ?

माननीय सभापति महोदय, बिजली के बारे में हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम किसानों को 24 घंटे बिजली देंगे। 8, 9, 10 घंटे और कई बार तो दो-तीन दिन तक गांव में बिजली गायब रहती है। किसानों के पंप नहीं चल पा रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम बिजली बिल हॉफ कर देंगे, बिजली हॉफ हो गई है। माननीय सभापति जी, आपके भी क्षेत्र में कुछ गांव पड़ते हैं। हम लोगों के पास में रोज 5-10 किसान यहां पर आते हैं कि जो बिजली का बिल 500-700 रूपये, 1000-1500 रूपये आता था, वह आज 20,000, 30,000 और 35000 रूपये आ रहा है। किसान जब उस बिजली बिल को सुधरवाने के लिये बिजली ऑफिस जाता है, तो वहां पर किसान के साथ बार्गेनिंग होती है कि कितना पैसा दोगे या इतनी राशि दोगे तो हम इस बिल को सुधार देंगे, यह समस्या है। आज छत्तीसगढ़ में इससे महत्वपूर्ण और कोई समस्या नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, हमारा निवेदन है कि आप इन सारी व्यवस्थाओं को दुरूस्त करियें। किसान को खाद, बीज और बिजली के लिये भटकना न पड़े। मंत्री जी आपने अपने उत्तर में कोई निश्चित समयावधि नहीं बताई है कि हम इस तारीख तक इस व्यवस्था को दुरूस्त कर देंगे। आपकी सोसायटी के जो लोग किसानों के साथ अभद्रता के साथ व्यवहार कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी विभागीय कार्रवाई होनी चाहिये। मैं आपने पूछना चाहता हूं कि बाजार में खाद कैसे मिल रहा है ? दुकानदारों के पास कहां से खाद आया है ? वह दो गुना, तीन गुना और चार गुना दाम में कैसे बिक रहा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है ? लोग सोसायटी में इंतजार करते हुए खड़े हैं लेकिन व्यापारियों की दुकानों में भीड़ लगी हुई है। आपका अमला क्या कर रहा है, वह छापा क्यों नहीं मार रहा है ?

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- नहीं, वह पैसा वहां जा रहा है या कोई और ले जा रहा है, उनसे वह तो पूछ लो।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय चौबे जी, बिचौलियों के मामले पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिये लेकिन आपका कोई दस्ता दिख नहीं रहा है। दुर्भाग्य इस बात का है कि यहां की कृषि नीति को लेकर, सरकार की गलत नीतियों को लेकर, नकली खाद और बीज की समस्या को लेकर, किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। हमारे सदस्यों ने अभी आंकड़े बताये हैं। मुख्यमंत्री जी अपने आप को किसान कहते हैं, कृषि मंत्री जी किसान है, उस प्रदेश का सामान्य किसान, गरीब किसान, मंझोला किसान, सीमांत किसान, छोटा किसान, आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है।

सभापति महोदय :- चलिये, माननीय सौरभ सिंह जी। चंदेल जी, ग्राह्यता पर चर्चा हो रही है, अपनी बात संक्षिप्त में रखनी चाहिये।

श्री नारायण चंदेल :- यदि इस प्रदेश में किसान आत्महत्या करने के लिये मजबूर हो रहा है तो ऐसी सरकार को एक मिनट भी अपने पद पर रहने का हक नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह महत्वपूर्ण विषय है, इसको ग्राह्य करके चर्चा करायें। धन्यवाद्।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, हमने खाद, बीज और बिजली पर स्थगन लाया है और मैं उसकी ग्राह्यता पर बोल रहा हूं। दिल्ली में जो कंपनियां खाद का उत्पादन करती है, वहां से रैक आता है। माननीय बृजमोहन जी ने पूरी प्रक्रिया बताई कि किस ढंग से आ रहा है और कितना प्रतिशत आ गया है और उसका क्या शेड्यूल है। जब रैक उतरता है तो प्रक्रिया के तहत सारा खाद डबल लॉक में जाना चाहिये परंतु जब रैक उतर रहा है तो वहीं से 40 प्रतिशत खाद प्राईवेट में दिया जा रहा है और 60 प्रतिशत खाद सोसायटी में दिया जा रहा है, खेल वहीं से शुरू हो रहा है। खाद डबल लॉक में नहीं ले जाया जा रहा है, सीधे व्यापारियों को दिया जा रहा है। जब डी.एम.ओ. से यह पूछा जा रहा है कि यह निर्देश कहां से आया है? वह कहता है कि उसका कोई लिखित निर्देश नहीं है। डी.एम.ओ. अपनी जेब भरने के लिये यह कार्य कर रहे हैं। डी.एम.ओ. के पास अधिकार है? मैंने डी.एम.ओ. से यह पूछा कि आपके पास 60:40 का कोई लिखित आदेश है? तो उन्होंने कहा कि कोई लिखित आदेश नहीं है। किसने, किस मंत्री ने, किस सेक्रेटरी ने दिया है, इसका कुछ जवाब नहीं है। फिर आप क्यों दे रहे हो ? जब किसान किस सोसायटी से डबल लॉक से खाद लेगा जब यह आरो कटा हुआ है, जब सोसायटी में डीमांड है तो व्यापारियों को खाद क्यों दिया जा रहा है ? यदि आप व्यापारियों को खाद दे रहे हैं तो आप चोरी करने की जगह बना रहे हैं। आप ब्लैक मार्केटिंग की जगह बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों का सीधा-सीधा यह आरोप है कि जब दुकान में खाद मिल रहा है तो सोसायटी में क्यों नहीं मिल रहा है ?

माननीय सभापति महोदय, पूरा खेल आरो का चल रहा है। 40 प्रतिशत डबल लॉक खाद तो व्यापारी के पास चले गया। अब 60 प्रतिशत जो खाद बचा है, वह आरो, डबल लॉक के पास पहुंच गया। जब वह डबल लॉक पहुंच गया तो उन्हीं सोसायटियों में खाद दिया जा रहा है जिनका आरो एडवांस में काट दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं कि आप देख लें कि किस-किस सोसायटी में disproportionate खाद दिया गया है। यह कृषि विभाग की जिम्मेदारी है कि सभी सोसायटियों में खाद बराबर जाना चाहिये। एक सोसायटी में 6 गुना खाद जा रहा है और एक सोसायटी में खाद जा ही नहीं रहा है। यही तो आरो का खेल हो रहा है। एडवांस आरो कटा हुआ है। मार्कफेड वाले एडवांस आरो कटा कर रखा रहे हैं। माननीय कृषि मंत्री जी, मैं आपको बोल रहा हूँ। मार्कफेड से आधी गड़बड़ी हो रही है। वह आपका विभाग नहीं है। मार्कफेड से आधी गड़बड़ी हो रही है। मार्कफेड के लोग आरो कटाकर, जिनको जो संबंधित सोसायटी वाले हैं, जिनसे सेटिंग है वहां दे रहे हैं। अब खाद सेटिंग होकर, सोसायटी में पहुंच गई तो सोसायटी तक पहुंची नहीं रही है। वह खाद फर्जी कागजों में, जो वहां पर सोसायटी में माफिया खड़ा हुआ है जो किसानों की ऋण पुस्तिका को अपने पास रखा हुआ है, जिसमें वह धान बेचेगा, उसी में परमिट कटा है, उसी में आरो दिया जायेगा और बाजार में वही खाद को लेकर बेचा जा रहा है। इस तरह से पूरा माफियाराज चल रहा है, माफिया तंत्र चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंगल सुपर फास्फेट (एस.एस.पी.) इसका पिछले साल कुछ और रेट था। रबी फसल में कुछ और रेट था और खरीफ फसल में और कुछ रेट था। जितना भी डबल लॉक में वह सिंगल सुपर फास्फेट था, खुले बाजार में उस सिंगल सुपर फास्फेट को बेच दिया गया क्योंकि 100 रूपये का डिफरेंस आ गया था। वह व्यापारियों को बेच दिया गया था।

माननीय सभापति महोदय, केन्द्र सरकार ने यह व्यवस्था की है कि जब खाद बिकती है तो उसका पी.ओ.एस. होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा। आपके अधिकारी इस बात को बोल रहे हैं कि पिछले खरीफ फसल, रबी फसल के 30 हजार मेट्रिक टन का पी.ओ.एस. नहीं हुआ है। इसका यह मतलब है कि हमको नहीं पता है कि 30 हजार मेट्रिक टन खाद कौन लेकर गया? वह खाद कहां पर गई? वह खाद किसके पास गई, खुले बाजार में गई, उसमें मिलावट हो गया, वह कहां पर चली गई, यह नहीं हुआ है। इस प्रदेश में यह समायोजन ही नहीं हुआ है।

श्री रामकुमार यादव :- भईया, मोरो ला सुन ले न गा। केन्द्र सरकार कहेस तो सुरता आईस हे। किसान बइठे हे, ओकर चिंता हे ता पूछत हों।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, आप प्राईवेट बीज की बात कर रहे हैं। बीज की उपलब्धता नहीं है। बीज की उपलब्धता के लिए सोसायटी वाले यह बोल रहे हैं कि आजकल प्राईवेट प्रोड्यूसर पैदा हो गए हैं। जावा ओकर इहां प्राईवेट प्रोड्यसूर करा ले लिहो, हमर करा तो बीज नइ हे। प्राईवेट प्रोड्यूसर के ऊपर कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। आपके डी.डी.ए. को मोटी रकम मिलती है तो वह

सत्यापित कर देता है कि प्राईवेट प्रोड्यूसर का जो बीज है वह सर्टीफाईड क्वालिटी का बीज है। उस प्राईवेट प्रोड्यूसर के ऊपर क्या कंट्रोल है ? आपके बीज विकास निगम का तो सीड फेल हो जाता है तो प्राईवेट प्रोड्यूसर के बीज के ऊपर क्या कंट्रोल है? जहां पर सारी व्यवस्थाएं बनीं हुईं हैं।

सभापति महोदय :- माननीय सौरभ सिंह जी, आपकी बात आ गई।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। यह सारा जो सिस्टम है, उस पर कंट्रोल होने की आवश्यकता है। प्राईवेट बीज प्रोड्यूसर से कितना डी.डी.ए. ले रहा है और कैसे सर्टीफाईड कर रहा है ? इस पर देखने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में हरूना धान और गरूना धान होता है। पहले हम हरूना धान बोते हैं जिसकी ड्यूरेशन शार्ट होती है है और फिर गरूना धान बोते हैं जिसकी ड्यूरेशन लॉन्ग होती है। वह दोनों मीडियम क्वालिटी की धान है। जब किसान सोसायटी में जाकर, यह पूछता है कि हरूना धान दे दे तो वह गरूना धान का बीज बताते हैं। वह जब गरूना धान का बीज मांगने जाता है तो वह हरूना धान का बीज बताते हैं। वह किसान कहां जाये ? फिर वह प्राईवेट बीज प्रोड्यूसर के पास जाये। अभी आई.सी.आर. एक नई वैरायटी 1167 इंट्रोड्यूस कर रही है। वह सरना धान का रिप्लेसमेंट है, परन्तु मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीज विकास निगम के पास उसका सीड प्रोग्राम नहीं है। जिस बीज की क्वालिटी आनी है उसका सीड प्रोग्राम नहीं है। मैं अंत में कहना चाहूंगा कि आप यह स्थगन ग्राह्य करें तो इस पर और चर्चा आएगी और पूरे प्रदेश के किसानों का जो दर्द है, वह सामने आएगा।

सभापति महोदय :- ठीक है। आपको धन्यवाद्। माननीय पुन्नूलाल मोहले जी।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं अंत में एक बात बोलना चाहूंगा कि आपके डी.डी.ए. की क्या भूमिका है, इसको तय करें। जो खाद, प्राईवेट लोगों के पास चली गई है, प्राईवेट लोगों के गोदाम में जो 40 प्रतिशत खाद भण्डारित है, आपके कितने डी.डी.ए. गये ? आप बता रहे हैं कि 50-60 लोगों में कार्यवाही हो रही है। छत्तीसगढ़ में कम से कम रजिस्टर्ड 5 हजार खाद के विक्रेता होंगे और 50-60 लोगों में कार्यवाही हो रही है। डी.डी.ए. क्या कर रहे हैं ? डी.डी.ए. चाय पीकर आ जा रहे हैं, व्यवस्था करके आ जा रहे हैं। वह कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं ? यहां अमानक बीज, चोरी, अमानक pesticide मिल रहा है। इसके बाद अब अमानक pesticide का खेल चालू होगा। अमानक pesticide में और जो खाद प्राईवेट लोगों के पास भण्डारित है। वह आपके डी.डी.ए. के कंट्रोल में है। वह डी.डी.ए. क्या कर रहे हैं ? इस पर भी सोचने की आवश्कयता है। माननीय मंत्री जी का जवाब आये। आपसे आग्रह है कि इस स्थगन को ग्राह्य करें और यहां पर बहुत सारे किसानों की बात आएगी। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापति महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव दिया गया है, यह इस कारण दिया गया है। मैं यह पहले बता दूं कि यह सरकार डाकू है। यह सरकार कैसे डाकू है ? इस

प्रदेश में दो रूपये का गोबर खाद ले रहे हैं और उसको 10 रूपये में बेच रहे हैं। कोई भी मालिक समान बनाता है तो उपभोक्ता को 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत ज्यादा रेट में देते हैं, पर यहां 5 गुना रेट है। यह तो पहले ही डाकू सरकार है, पर पिछले समय हमारे माननीय खाद्य मंत्री ने कहा था कि वर्मी खाद में हम कोई दिशा निर्देश नहीं दिए हैं, वह किसानों को लेना अनिवार्य नहीं है। यह खाद लेना अनिवार्य कर दिया है और सभी किसान जब तक वर्मी खाद नहीं लेंगे तब तक उनको खाद नहीं दिया जाएगा। इस चीज को मैं इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि किसान परेशान है। किसान और यह कर रहे हैं परेशान। इस कारण हमने स्थगन प्रस्ताव लाया है। दूसरी बात, अगर आपका डबल लॉक में खाद है, माननीय मंत्री जी, आप मुंगेली मीटिंग में गये थे...।

श्री रामकुमार यादव :- बबा, 20 साल पहली खेत मा गोबर खत्ता चले, घुरूआ के खातू।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अभी तैं नया हरस सिखबे। मंत्री जी ने उस समय कहा था कि उसमें सरलीकरण होगा, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भी इस तरह का रवैया पूरे प्रदेश में है। मैं आपके यहां का बता रहा हूं। बहुत लोगों ने आत्महत्या की है। आपका जो बीज निगम में बीज है, उस बीज की समय में जांच नहीं हो रही है, वह ऐसी पड़ी हुई है। अभी रबी का फसल भी आने वाला है। उसमें भी आप चना वगैरह अन्य चीजें लेते हैं, वह भी नहीं हो रहा है। अब आपका जो डबल लॉक खाद है, उस डबल लॉक खाद को डायरेक्ट एक साथ सोसाइटी में भेजिए। मान लो, आप 32 लाख किसान कहते हैं और उनका धान लेते हैं तो आपको शून्य प्रतिशत में ब्याज भी मिलता है। किसानों को खाद, बीज और अन्य कर्ज दिये जाते हैं। उसी तरह किसान कितना खाद लेता हैं, आपके पास रिकॉर्ड है। सहकारी सोसाइटी के रिकॉर्ड में जितना खाद आपने खाद्य विभाग को दिया, बाकी खाद आप व्यापारियों को दे रहे हैं। व्यापारियों को आपने पिछले समय खाद के लिए अनिवार्य रूप से लागू किया था। अगर जिन किसानों ने सोसाइटी से खाद ले लिया है, बाकी जो बचत किसान हैं, उनको अगर व्यापारी लोग खाद बेचते हैं तो आप चीप सिस्टम लागू कर दीजिए। अगर ऐसा होगा तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। यह ब्लैकमेल चल रहा है। यह ब्लैक कौन कर रहा है, आप समझ सकते हैं। स्थगन लाने का मतलब यह है कि इसमें सरकार अपना जवाब दे और माननीय मंत्री जी कहते हैं कि आप स्थगन को निरस्त करें, क्यों निरस्त करें ? क्योंकि आप किसान हैं, किसानों का मामला है, मौसम है, मतलब आपका मानसून है। हमारी बात को सुन, कुछ दिमाग में गुण। इस कारण से स्थगन को स्वीकार किया जाए, ऐसी हम आपसे आशा करते हैं। धन्यवाद।

सभापति महोदय :- माननीय बांधी जी, बिल्कुल संक्षिप्त में करें। केवल ग्राह्यता पर चर्चा करिए।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तूरी) :- सभापति जी, बिल्कुल संक्षिप्त में बोल रहा हूं। इसकी ग्राह्यता स्वीकार करने के लिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। यह समय ही किसानों के हित में है और किसानों की ही बात है। अगर किसानों के हित में ही विचार-विमर्श नहीं होगा, अगर उन बिन्दुओं पर ध्यान नहीं

देंगे तो किसानों के हितों का संरक्षण कैसे कर पाएंगे ? आज हम सब लोग उन बिन्दुओं पर हाईलाईट करना चाहते हैं जिसमें किसानों के लिए पूरी सरकार अव्यवस्था कर रही है। हम उन बातों को, उन तथ्यों को प्रमाणित करना चाहते हैं। उन बातों को आपके समक्ष आंकड़े और दस्तावेज के साथ बताना चाहते हैं ताकि आप किसानों की अव्यवस्था के लिए पूर्ण रूप से सक्षम होक उनकी व्यवस्था बनाएं। यह राजनीतिक विषय नहीं है, यह किसानों के लिए महत्वपूर्ण हित का विषय है, क्योंकि आप खुशहाल किसान की बदहाल व्यवस्था बनाकर रखे हैं। आपकी कार्य प्रणाली ऐसी है। हम उसी कार्य प्रणाली को हाईलाईट करते हैं। बीज का विषय है, आपकी निर्णय क्षमता नहीं है, आप जिस तरीके से खाद का वितरण कर रहे हैं, आपने हमारी तथ्यों में कहा कि आपका निर्णय नहीं है कि किन व्यापारियों को 60 प्रतिशत, 40 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 50 प्रतिशत खाद देना है। यह निर्णय आपका नहीं है, वह यहां पर दिख ही नहीं रहा है। व्यापारियों को ज्यादा जा रहा है। क्या हम आपको इन तथ्यों को बताएंगे तो आप निर्णय नहीं कर पाएंगे, क्या किसानों के हित में निर्णय नहीं करना चाहेंगे ? इसलिए हम बता रहे हैं कि उन तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए आतुर हैं। सभापति महोदय, असामान्य वितरण की बातचीत आ रही है। हम असामान्य वितरण को भी प्रमाणित करेंगे। किस तरीके से आपके चहेतो के कारण, किस तरीके से अपने मोनोपोली के आधार पर, दलगत के आधार पर, व्यवस्था के आधार पर, असामान्य वितरण कैसे कर रहे हैं? सभापति महोदय, हम इन तथ्यों को बताना चाहते हैं, आप स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए उनको उजागर करना है, उन तथ्यों को प्रमाणित करना है, निर्णय करना है तो निश्चित तौर पर इस स्थगन को स्वीकार करना चाहिए। बीज की बात आ रही है, हमने कई बार गुणवत्ता में देखा है। अभी जो हमको बीज की गुणवत्ता मिल रही है, बीज की गुणवत्ता को लेकर देखें कि नारायण चंदेल जी के जांजगीर में बीज की गुणवत्ता को लेकर आए। कौन ऐसा दलाल आदमी है जो गुणवत्तापूर्ण बीज सप्लाई करता है? कैसे मजबूर करता है ? किस तरीके से हमारे बीज उत्पादन केंद्र को जो प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिये क्या ? हम बीज में आत्म निर्भर नहीं बनाना चाह रहे हैं।

सभापति महोदय :- आप ग्राह्यता पर चर्चा कीजिये । डॉक्टर साहब ग्राह्यता पर चर्चा कीजिये।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- इसलिये इसी चर्चा के लिये अगर आप किसानों के हितों का संरक्षण चाहते हैं तो हम इन तथ्यों को प्रकट करेंगे आपके साथ, प्रमाण करेंगे आपके साथ। इसको स्वीकार कर लीजियेगा। दूसरा है, कर्मचारियों की भूमिका। आपने ऐसे कर्मचारियों को छूट देकर रखा हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसका निर्णय भगवान ही मालिक है ।

सभापति महोदय :- ठीक है। हो गया। आपकी बात आ गई।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- वह भी प्रमाणित होगा कि कर्मचारियों की भूमिका कैसी है ?जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि कितने ठेकेदार लोग है जो अधिकारी कर्मचारी करते हैं। कीटनाशक दवाइयों

की भी बात आई। उसमें चर्चा नहीं हुई। भूरा माहू का पिछली बार प्रकोप हुआ। किसान छः-छः,सात-सात बार मजबूर हो गया। लेकिन किसी ब्लॉक के अधिकारी, किसी विकासखंड के अधिकारी उस कीटनाशक की गुणवत्ता की जांच के लिये नहीं गये। कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। मजबूरन किसान मजबूर हो रहा है। अब हम उस बात पर चर्चा न करें। हम उन तथ्यों को आपके समक्ष लाना चाहते हैं। उस पर चर्चा होनी चाहिये इसलिये कृपया इसे ग्राह्य करें।

सभापति महोदय :- ठीक है। डॉ. साहब आपकी बात आ गई। श्रीमती रंजना जी। अपनी बात कहें।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, आज जिस विषय को लेकर हमने स्थगन रखा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं । यह विषय इतना महत्वपूर्ण है। महोदय जी, आपदा को अवसर बनाकर किस तरह से किसानों को परेशान किया जाता है और किस तरह किसानों को लूटा जाता है। यह अगर किसी को देखना है तो वो छत्तीसगढ़ में आमंत्रित है। क्योंकि जिस तरह सरकार किसानों के नाम से संकल्प लेती है। उनके नाम से कसम खाती है कि हम धरती पुत्र किसानों के लिये इतना कार्य कर रहे हैं, लेकिन असलियत यह है, विषय यह है कि आज किसानों के नाम पर लूट हो रही है। आज किसानों की स्थिति यह है कि प्रायवेट सेक्टरों में अधिक मात्रा में खाद उपलब्ध है। सरकार अपनी ओर से स्टेटमेंट जारी करती है कि केंद्र सरकार ने हमें समय पर खाद उपलब्ध नहीं कराया, लेकिन सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिये कि जब खाद समय पर आया....।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :-रमन सिंह की सरकार थी तो कितने किसान मरे हैं?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- कवासी जी चिंता करना है तो पिकअप नहीं ले रहा है उसकी चिंता करो कि कैसे पिकअप लेगा ?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- यह आपका विषय नहीं है। वह कैसे पिकअप लेगा उसकी चिंता कीजिये।

श्री सौरभ सिंह :- पानी मिलाते थे उसके बारे में बात कीजिये न। पानी मिलाते थे, नारायण भैय्या ने कहा।

सभापति महोदय :- चलिये रंजना जी,

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय मंत्री जी आप बता दीजिये कि आबकारी विभाग में शराब की क्वालिटी कौन तय करता है और कितनी मात्रा में लेना है, यह आप तय करते हैं कि आपका अधिकारी तयकरता है जिले में बैठे-बैठे। आप यह बताइये आप। आपको तय करने का अधिकार ही नहीं है । कौन सी क्वालिटी का शराब लेना है वह आपका अधिकारी तय करता है।

सभापति महोदय :- केवल ग्राहयता पर चर्चा कीजिये। केवल ग्राहयता पर चर्चा कीजिये।

डॉ. (श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव) :- खाद और बीज के बारे में बता कीजिये न।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- रंजना जी ग्राह्यता पर चर्चा कीजिये। 1-2 मिनट में अपनी बात कहें।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- बिल्कुल, बिल्कुल मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय रखूंगी। माननीय सभापति महोदय जी, विषय बहुत गंभीर है। हम किसानों का विषय इसलिये ले रहे हैं क्योंकि हम खुद एक किसान हैं। किसानों की पीड़ा हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा ?आज जो सरकार की स्थिति बनी हुई है केवल किसानों का नाम लेकर उन्होंने जो काम किया है। वास्तविक रूप यही है कि 72 घंटे में जो ट्रांसफार्मर बदलने चाहिये। आज धमतरी जिले के साथ-साथ पूरे प्रदेश की स्थिति को बताना चाहती हूं। आज मैं हमारे किसान भाई किसानी करना छोड़कर, हाईवे जाम कर रहे हैं। आज किसान भाई किसानी छोड़कर, कलेक्ट्रेट का घेराव कर रहे हैं,और तो और उन्होंने चेतावनी दी है कि सभी सोसायटी में तालाबंदी कर देंगे क्योंकि उन्हें समय पर बीज और खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है। आप बीज केंद्रों में जायेंगे तो बीज नहीं है। सोसायटी में जायेंगे तो खाद नहीं है। खाद नहीं है तो जो इनके कृषि विस्तार अधिकारी हैं वे स्टेटमेंट जारी करते हैं कि यदि सोसायटी में खाद नहीं है तो आप वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग कीजिये। किसान कौन से आधार पर वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग करे ? क्या आपने वर्मी कम्पोस्ट में वह गुणवत्ता दी है। कोई भी गुणवत्ता उस वर्मी कम्पोस्ट में नहीं है। और तो और किसानों को प्रति एकड़ एक क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट पकड़ाया जा रहा है। बहुत गंभीर विषय है।

सभापति महोदय :- धन्यवाद । रजनीश जी।

श्री रामकुमार यादव :- गोबर में रहिथे वो बहनी। गोबर में ज्यादा ....। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अच्छा बोल रही हैं।

सभापति महोदय :- अच्छा बोलने पर नहीं, ग्राह्यता पर चर्चा करना है। ग्राह्यता पर नहीं बोल रही है न। मैं सुन रहा हूं।

डॉ. (श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव) :- भारतीय जनता पार्टी के नेता माहौल क्रियेट करते हैं। झूठ-झूठ .... (व्यवधान)

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापति जी, इसे क्यों ग्राह्य किया जाये इसके प्रमुख बिंदु मैं आपके सामनेरख रही हूं इसीलिये इसे ग्राह्य किया जाये। इसके प्रमुख बिंदु यह हैं। बीज निगम का जो कार्य है वह बहुत संदिग्ध है क्योंकि बीज निगम बीज उत्पादन करना छोड़ और बीज किसानों को मुहैया कराना छोड़, बड़ी उत्पादन करने में लगी है । जो हमारे समूह को, हमारे प्राथमिक शाला में बच्चों को खाना दिया जाता है जो उन्हें भोजन दिया जाता है वे बड़ी बेचवाने का काम कर रही हैं और तो और जो काम महिला समूह का है, रेडी टू ईट का काम वह बीज निगम कर रहा है तो अपना काम करना छोड़ बीज निगम बाकी सब काम कर रहा है ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- मेडम, बहुत उत्कृष्टकोटि का दिया जा रहा है, लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, यही कारण है कि हमारे किसान भाईयों को समय पर बीज और खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । माननीय सभापति महोदय, आप कृपया इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करें ।

सभापति महोदय :- चलिये, आपकी बात आ गयी । रजनीश जी, संक्षेप में अपनी बात कहें ।

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, आज हमने खाद-बीज और बिजली संकट पर किसानों के संबंध में स्थगन प्रस्ताव दिया है ।

माननीय सभापति महोदय, आज 21 जुलाई है और छत्तीसगढ़ की जो किसानी है । रोपा का काम अंतिम दौर में है और यह माना जाता है कि 5 अगस्त तक यदि रोपा हो जाये तभी उसको अच्छी फसल माना जाता है लेकिन इन 8-10 दिनों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है कि छत्तीसगढ़ के किसान उसको प्राप्त कर लें । यह चर्चा है कि कृत्रिम रूप से ऐसा अभाव पैदा किया जा रहा है, उसके पीछे दो कारण हैं । यदि आप इसको ग्राह्य करेंगे तो हम उस विषय पर और विस्तृत रूप से अपनी बात कहेंगे । छत्तीसगढ़ सरकार अभी धान उत्पादन में ज्यादा ध्यान दे रही है, अभी धान में कम हो, कैसे कम हो इस पर ज्यादा ध्यान दे रही है और इसका कारण यह है कि पिछले 2-3 सालों में जो खरीदी हुई है वह उनका अभी भी सिर का दर्द बना हुआ है । धान कैसे कम से कम हो ? सरकार चाहती है कि धान का उत्पादन ही कम हो और इसलिये एक कृत्रिम अभाव पैदा किया जा रहा है और दूसरी चीज कि जो कम्पोस्ट खाद बेची जा रही है । ये बताते हैं कि हमने 110 करोड़ रूपये का गोबर खरीदा है और उससे इंकम क्या हुआ तो बता रहे हैं कि 15-16 करोड़ रूपये तो इसलिए इस तरह की जो मिट्टी है, गिट्टी है इसको बेचकर उसकी आय बताने के लिये कि जो गोबर वाली खरीदी की योजना है उसको भी हम बता सकें इसलिये एक कृत्रिम अभाव पैदा किया जा रहा है ।

माननीय सभापति महोदय, यदि आप इस स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य करेंगे तो हम इस विषय पर और अधिक विस्तार से जानकारी रखेंगे । निश्चित रूप से खाद-बीज की जो समस्या है, धान का उत्पादन कम हो । मैं स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं कि धान का उत्पादन कम हो इसलिये इस तरह के उपाय किये जा रहे हैं कि आने वाले समय में हमको कम से कम धान खरीदना पड़ सके । कम से कम अतिरिक्त राशि देना पड़ सके और इसलिये इस तरह का कार्य किया जा रहा है । माननीय सभापति महोदय, आपसे आग्रह है कि हमारा स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करें ताकि हम इस पर विस्तार से चर्चा करें ।

डॉ. रमन सिंह (राजनांदगांव) :- माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा । कुछ विषय नीतिगत होते हैं और जिसका असर खासतौर से किसान यानी पूरे छत्तीसगढ़ की आबादी पर पड़ता है । आज जो कृत्रिम कमी पैदा की गयी है, मैं अभी बताउंगा कि उपलब्धता गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने, फर्टिलाईजर डिपार्टमेंट ने कब-कब, किस-किस माह में कितना किया, मैं उसके आंकड़े

भी बता दूंगा लेकिन सवाल इस बात का है कि इस प्रकार से कृत्रिम कमी करके, क्राईसेस पैदा किया जा रहा है । हमने एक व्यवस्था बनायी थी, 15 सालों तक किसानों को सड़क में आने की जरूरत नहीं पड़ी । उसके लिये किसान को एडवांस लिफिट्ंग की व्यवस्था थी और एडवांस लिफिट्ंग में दो महीने के लिये उस किसान को ब्याजमुक्त लिफिट्ंग के लिये पैसा दिया जाता था और बाद में वह खाद उठाकर स्टॉक कर लेता था, उसमें न तो गोडाऊन में और न ही सहकारिता विभाग को दिक्कत होती थी इस व्यवस्था को अलग किया गया ।

समय :
1.24 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं कृषि मंत्री जी का जवाब देख रहा था । ऐसा लगता है कि जैसे रामराज्य आ गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है । पूरे छत्तीसगढ़ का किसान इतनी व्यस्तता के बावजूद किसानी का समय होने के बाद वह खेत में नहीं मिलेगा, वह सोसायटी में मिलेगा । वह प्रदर्शन करते हुए, धरना देते हुए, आंदोलन करते हुए इसलिये कि आज सबसे बड़ी दिक्कत है कि अब बारिश हो जाने के बाद डीएपी की डिमांड भी पहले रही, यूरिया की डिमांड बढ़ गयी । मैं आपको 2-3 उदाहरण दूंगा कि यदि राजनांदगांव जिले से 500 बोरी वितरण की व्यवस्था होती है और यदि वहां 2000-3000 किसान उपस्थित हो जाते हैं । आज तक उनकी व्यवस्था, मैं साल्हेवारा की रामपुर की सोसायटी का उदाहरण देना चाहूंगा तो पूरे प्रदेश में धमतरी के आसपास के 40 से ज्यादा गांव के किसान आते हैं । किसानों को 100 मीटर पहले गेट में रोक दिया जाता है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आज किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। इन पिछले 3 सालों में किसानों की जो स्थिति बनी है उसके लिये व्यवस्था में जो दिक्कत पैदा हुई है, मैं सोचता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी जवाब देंगे । वे इस बात का जवाब देंगे कि धान का रकबा वर्ष 2019-20, 2020-21 में और किस साल कितना रकबा बढ़ा और यदि धान का रकबा बढ़ता है, उसी के तुलनात्मक में दूसरे आंकड़े चाहूंगा कि यदि इन 3 सालों में धान का रकबा बढ़ा है तो आपने यूरिया और डी.ए.पी. की डिमांड आपने कितना बढ़ाकर दिया और 3 सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से खासतौर से डी.ए.पी. और सुपर फास्फेट, इसकी सप्लाई में कितना ratio बढ़ा है। एक तरफ सरकार के आंकड़े कहते हैं कि हम फसल चक्र परिवर्तन करके धान का रकबा कम करते जायेंगे और उसके बाद खाद की कमी धीरे-धीरे होगी और दूसरी तरफ गांव-गांव में गोबर के द्वारा वर्मी कंपोस्ट बनाकर बोलते हैं कि डिमांड कम हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, मगर यह इसके जवाब में आना चाहिए कि यदि डिमांड बढ़ रहा है, जैसे मार्केट में दिखाया जाता है तो रकबा बढ़ना चाहिए। बिना रकबा बढ़े डिमांड बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि जान-बूझकर crisis किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, यदि छत्तीसगढ़ में डी.ए.पी. और यूरिया उपलब्ध

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नहीं होता, आप जितना चाहे डी.ए.पी. और यूरिया व्यापारी के यहां से ट्रकों में उठा सकते हैं, मगर किसान की मजबूरी होती है कि इस समय उसके पास पैसा नहीं रहता, इसलिए सोसाइटी के माध्यम से वह यूरिया, डी.ए.पी. और सुपर फॉस्फेट उठाने का काम करता है। छत्तीसगढ़ में यूरिया के बारे में मैं बताना चाहूंगा। requirement projected for entire खरीफ फसल 6 लाख 50 हजार मीट्रिक टन और इस फर्टिलाइजर की availability कितनी है, 5 लाख 23 हजार मीट्रिक टन। आज उपलब्धता 5 लाख 23 हजार मीट्रिक टन है और वर्तमान स्थिति बता दूं कि जो स्टेट का क्लोजिंग स्टॉक है, वह 28/06/2022 को 1 लाख 90 हजार मीट्रिक टन है। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं। ये मेरे आंकड़े नहीं हैं। इस महीने में यह स्टॉक उपलब्ध है और आप कहते हैं कि 60:40 का ratio पहुंच रहा है तो फिर वह मार्केट में आता क्यों नहीं? और सोसाइटी में जाता तो फिर व्यापारियों के पास जाता नहीं। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार डी.ए.पी. का बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में requirement projected for entire खरीफ फसल सीजन 2020 के लिए 3 लाख मीट्रिक टन है और आज की तारीख में यदि क्लोजिंग स्टॉक स्टेट के लिए 28/06/2022 को .47 लाख मीट्रिक टन डी.ए.पी. क्लोजिंग आज इस तारीख में उनके पास स्टॉक available है। जब दोनों चीज का स्टॉक यदि आज के आखिरी दिन में available है तो ये सोसाइटी में होना चाहिए या व्यापारी के पास ? मेरा मूल प्रश्न यही है कि व्यवस्था में गड़बड़ी कब होती है? एक तो आपने उन्हें 2 महीने के लिए एडवांस लिफ्टिंग की व्यवस्था नहीं की। मंत्री जी बोल रहे हैं कि रैक की कमी है या दूसरी कमी है। मगर मैं समझता हूं कि यदि उसके प्लान को मंथ वाइस distribute करके 6 महीने के लिए किये होते तो यह दिक्कत नहीं आती। इन विषयों को मंत्री जी अपने जवाब में सम्मिलित करेंगे, मैं समझता हूं।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा (जैजेपुर) :- अध्यक्ष महोदय, हालांकि मैंने स्थगन नहीं दिया है, लेकिन आपकी इजाजत हो तो..।

अध्यक्ष महोदय :- आप या तो 2 मिनट में खत्म करिये या lunch hours के बाद लगातार बोलिये। शुरू कर दीजिए।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण विषय की ग्राह्यता पर चर्चा हो रही है और पूरे प्रदेश में खाद की कमी है। मैं जहां तक समझता हूं स्टॉक में कमी नहीं है बल्कि वितरण की व्यवस्था में कमी है। माननीय मंत्री जी, मार्कफेड हमें खाद देता है। समिति डिमांड करती है और इसका नोडल कृषि विभाग होता है और आपके तीनों विभाग में कोई तालमेल नहीं है। मैंने मेरे जिले के डी.एम.ओ. को फोन किया तो उन्होंने कहा कि खाद पहुंचाना मेरा दायित्व नहीं है। मेरी जवाबदारी नहीं है। मैं अपने कंधे पर खाद को उठाकर नहीं ले जाउंगा। आपका रैक आता है। रैक से डबल लॉक तक पहुंचाने की जवाबदारी मार्कफेड की है। डबल लॉक से सोसाइटी तक ले जाने की जवाबदारी सोसाइटी की है। दोनों के अलग-अलग ठेकेदार और दोनों ठेकेदार केवल दलाली कर रहे हैं। खाद नहीं पहुंच रहा है।

श्री सौरभ सिंह :- मार्कफेड का ही ठेकेदार सोसाइटी तक पहुंचायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य का भाषण जारी रहेगा। सभा की कार्यवाही भोजनावकाश के लिए अपराह्न 4.00 बजे तक के लिए स्थगित।

(1.30 से 4.00 बजे तक अंतराल)

समय :

4:00 बजे

(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए)

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय सभापति महोदय, खाद वितरण की व्यवस्था के बारे में बोल रहा था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, जब स्थगन पर माननीय केशव चन्द्रा बोल रहे हैं तो हाथी से भी फसल की क्षति हो रही है उस पर भी हाथी छाप को प्रकाश डालना चाहिए ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- सभापति महोदय, मार्कफेड समिति और कृषि विभाग इन तीनों के कारण हमारी समितियों में समुचित ढंग से खाद नहीं पहुंच रहा है । डिमांड समिति से होती है, डी.डी. समिति देती है लेकिन मार्कफेड वाले उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं । अगर हर जिले में इस पर समन्वय बन जाए तो और बेहतर हो सकता है। दूसरी तरफ भले 60/40 का रेश्यो हो लेकिन सरकार सक्षम है । अगर बाजार में व्यापारी लोग ज्यादा दाम पर बेच रहे हैं तो केवल समिति पर कर्जे में नहीं बल्कि समिति में नगद पर भी व्यवस्था कराई जाए ताकि किसानों को सही दाम पर खाद मिल सके । माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि 40 प्रतिशत खाद को और इतनी दुकानों पर कार्रवाई की । माननीय मंत्री जी, कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा । आप सील कर देंगे तो उतना खाद गोदाम में जाम हो जाएगा और किसानों को नहीं मिलेगा। बल्कि आपके कृषि विभाग के फील्ड के अधिकारी हैं वे दुकानों में बैठें और किसानों को सही दाम पर दिलवाएं । जो भी दुकान खाद बेच रही हैं, यदि वे लायसेंसी है, उनसे किसानों को सही दाम पर दिलवाएं । ऐसे किसानों को जो आपकी समिति के सदस्य नहीं है, क्योंकि जो किसान आपकी समिति के सदस्य हैं वे तो निश्चित रूप से आपकी समिति से उनको मिल जाता है लेकिन अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक के के.सी.सी. धारक हैं उनको समिति से खाद नहीं मिलता । या ऐसे किसान जिनका समिति में पंजीयन नहीं है, वे समिति के सदस्य नहीं हैं । ऐसे किसानों को खाद नहीं मिलता, उनको खुली दुकानों से खाद मिल जाए ।

सभापति महोदय, अभी किसानों को ट्रांसफार्मर की दिक्कत हो रही है । आपके किसी भी डिवीजन, किसी भी डी.पी. ऑफिस में, किसी भी ए.ई. ऑफिस में एक भी एक्स्ट्रा ट्रान्सफार्मर नहीं है । यदि ट्रान्सफार्मर जल गया तो 8 दिन, 10 दिन स्टोर से लाने में लग जाता है और वह भी मरम्मत वाला ट्रांसफार्मर मिलता है । हमको 25 प्रतिशत नया ट्रान्सफार्मर और 75 प्रतिशत मरम्मत वाला

ट्रान्सफार्मर मिल रहा है । मरम्मत वाले ट्रान्सफार्मर की कोई गारंटी नहीं है, उसे पुन: चढ़ा रहे हैं । मैं बिजली विभाग से कहता हूं कि इसको लाने में आपका खर्च होता है या नहीं होता है, इसको आपके कर्मचारी लगाते हैं तब खर्च होता है या नहीं होता है और लाने में ट्रान्सपोर्टिंग में और चढ़ाने में खर्च हो गया, और एक दिन भी नहीं चला तो किस काम का ? इस पर ध्यान दें तो निश्चित रूप से किसानों को सही समय पर बिजली उपलब्ध हो जाएगी । सभापति महोदय, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद् ।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- सभापति महोदय, प्रदेश में खाद की कमी है । आप कहते हैं कि केन्द्र की सरकार ने नहीं दिया, हम बोल रहे हैं कि आप नहीं दे रहे हैं । माननीय मंत्री जी, आप कुछ दिन पहले मुंगेली गए थे । मुंगेली में डबल लॉक में खाद का भंडारण था, उसका वितरण नहीं हो पा रहा था । आपने उच्च अधिकारियों की बैठक ली, जब आपने निर्देश दिया तो समुचित रूप से वह डबल लॉक खुला और वितरण हुआ । कहने का आशय यह है कि हमारे पास जो भी उपलब्धता हो, समुचित रूप से उसके वितरण की व्यवस्था बनाना आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है । जैसे पहले राहत कार्य वगैरह का कुछ भुगतान होता था तो एक-दो विभाग के अधिकारियों की उसमें नियुक्ति की जाती । यह खाद का मामला है। आप किसी भी विभाग के आर.आई., पटवारी, सी.ई.ओ., ए.डी.ओ., बी.ओ. या किसी को भी ड्यूटी में लगा दीजिये। एक महीने की ही तो बात है। इससे खाद की समुचित वितरण होगी। अभी बहुत-से सोसायटियों की गठन हो रही है, उसमें आप अच्छे लोगों का भी चयन करिये। मैंने बीच में एक टेप सुना था। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं। उस टेप में एक आदमी दूसरे आदमी को बोल रहा है कि सोसायटी में एक लाख लगही, तोला अध्यक्ष बना देथन। इस प्रकार की बात ना हो, क्योंकि कई लोग ऐसे धंधे-पानी में लग गये हैं कि वे सोसायटियों में नामजद हो जाये। अच्छे लोगों को सोसायटी के अध्यक्ष बनाईये, अपने लोगों को बनाईये, लेकिन थोड़ा टैक्स वाला मत बना दीजिये, नहीं तो यह सब मामला गड़बड़ करेंगे। यह व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी आपकी है। जैसा आपने मुंगेली में व्यवस्था की है, वही व्यवस्था यदि आप दूसरे जिलों में भी करेंगे तो खाद की आपूर्ति हो पायेगी और किसानों को तकलीफ नहीं होगी। हम लोग हर बरसात के सत्र में ऐसे ही सुनते आए हैं, यह सुनते-सुनते हमारा पूरा जीवन कट गया कि कोई बिल्हा में नकली खाद बना देता था, कोई कहीं पर नकली खाद बना देता था। हर बार आप छापा मारते थे, हर बार वह पकड़ाते हैं और बार-बार वह नकली खाद बनाते ही रहते हैं। इस प्रकार का मामला चलता रहता है, लेकिन कृपा करके वितरण में नियंत्रण कराने के लिए वहां पर दूसरे विभाग के लोगों को ड्यूटी लगा दीजिये ताकि जितना भी माल है, वह सही मायने में किसानों तक पहुंच सकें। आशा है कि आप उस पर विचार करेंगे।

सभापति महोदय :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, आज यह प्रदेश के किसानों के सबसे बड़े जनहित के मुद्दे हैं और अभी खेती का समय है। हम लोगों ने किसानों की समस्या को लेकर

स्थगन दिया है, जिसमें मुख्य रूप से खाद, बीज, पेस्टीसाइड, बिजली एवं वर्मी कम्पोस्ट की बात है। हम तो यह सोच रहे थे कि सरकार इसको सहर्ष स्वीकार करेगी। इस स्थगन को गाह्यता पर नहीं बल्कि ग्राह्य करके उस पर चर्चा हो। सदन के दोनों तरफ से यदि बातों को रखा जाता तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात होती, लेकिन यह सरकार पहले ही ग्राह्यता पर चर्चा करा रही हैं, मतलब इस स्थगन से भाग रही है। उसका कारण है कि इस सरकार में नैतिक साहस नहीं है कि उस पर चर्चा करा सकें। यह खो चुके हैं और इसके लिए अब ग्राह्यता पर चर्चा करा रहे हैं। खाद-बीज की समस्या न केवल विपक्ष के सदस्यों के क्षेत्र हैं, बल्कि जो सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हैं, उनके क्षेत्र में भी यही समस्या है। आज वह अपने क्षेत्र की बात को बोल नहीं पा रहे हैं। यदि यह स्थगन स्वीकार कर लिये होते तो उनको भी बोलने का मौका मिल जाता, वह भी अपनी बात को रखते और किसानों से कह सकते थे कि विधान सभा में आपके मुद्दे को हमने उठाया है, इस बात को हमने रखा है कि आप लोगों की समस्या का निराकरण होगा, यह आश्वस्त करते हैं। लेकिन इससे सरकार के द्वारा उसको वंचित किया गया है। आज इस प्रदेश में जब खुशहाली की बात करते हैं, किसानों की सरकार की बात करते हैं तो मैं मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यदि इस प्रदेश में इतनी खुशहाली है तो प्रदेश में 24,500 लोगों को आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य में 572 किसानों ने आत्महत्या की है। सभापति महोदय, यह खुशहाल छत्तीसगढ़ की बात की जाती है, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद में अब खुशहाल छत्तीसगढ़ में नहीं, बल्कि आत्महत्या वाला प्रदेश में गिना जायेगा। सरकार के आने के बाद में प्रदेश में यह स्थिति बन गई है। आज हम देख रहे हैं कि पूरे क्षेत्रों में जहां सहकारी सोसायटी है, वहां पर ...।

श्रम मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- सभापति जी, नेता प्रतिपक्ष जी डॉ. साहब के समय के आंकड़ा ला भी पढ़ देथे।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपके पास होगा तो पढ़ लीजिये।

श्री अजय चंद्राकर :- डहरिया जी, यदि आप वास्तव में विद्वान आदमी हैं तो विधानसभा की प्रश्नोत्तरी पढ़ लीजिये। डॉ. रमन सिंह जी के प्रश्न में 24,500 सरकार का उत्तर है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, आज प्रदेश के सोसायटियों में यह स्थिति है ..।

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति महोदय, यह वास्तव में का मतलब क्या है?

श्री अजय चंद्राकर :- आप अभी दु:खी हैं, बैठ जाईये।

श्री शिवरतन शर्मा :- डहरिया जी, समझ में आ गया या नहीं आया?

श्री अमजीत भगत :- इस प्रदेश में किसानों का कर्जा माफी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 2500 रूपये समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है, इसलिए लोग आत्महत्या कर रहे हैं? आप बोलना क्या चाह रहे हैं? इसीलिए लोग आत्महत्या कर रहे हैं?

श्री धरमलाल कौशिक :- आप सब कुछ किये हैं उसके बाद आखिर लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? लोग अवसाद में क्यों जा रहे हैं? यही तो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वातावरण...। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- यह तो मनगढ़ंत है और आरोप है। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं। आपने स्वीकार किया है। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- हम आरोप 3 दिन के बाद लगाएंगे। समझे ? आप उसके लिए तैयार रहना।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, जहां खाद केन्द्र हैं और जो खाद केन्द्र सहकारी सोसायटी है और वहां पर खाद की सार्टेज...। (व्यवधान)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- धरम भैय्या, आप जो 24,000 का आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं तो आप सिर्फ छत्तीसगढ़ के बारे में ऐसा बोलेंगे तो वह कैसे समझ में आएगा ? आप पूरे देश का निकालिए न ? आप उसको हर स्टेट के साथ कम्पेयर कीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं। जिस दिन हम पार्लियामेंट में लोकसभा में जाएंगे, तो आपको देश का भी आंकड़ा बता देंगे। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- आप देश के लिए के.टी.एस. तुलसी जी को बोलिये। के.टी.एस. तुलसी जी को बोलिए न।

श्री उमेश पटेल :- जब आप लाकर दे रहे हैं तो उसको पूरे देश के साथ कम्पेयर कीजिए न। तब आपको समझ में आ जाएगा...। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- तीन दिन बाद देश का भी...। (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- भैय्या, हम किसानों पर लाठीचार्ज तो नहीं किये।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप राज्यों से देश को कम्पेयर करने बोलिये।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- हम किसानों को लाठी से तो नहीं मारे न ?

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं तीन दिन बाद...। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- राजीव शुक्ला...। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- मेरा आपके ऊपर आरोप है कि आप निगेटिव राजनीति करते हों। आप निगेटिव राजनीति करते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- रंजिता जी को भेजो। वहां जल्दी रंजिता जी को भेजो। उनको भेजो। (व्यवधान)

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री उमेश पटेल :- आप क्या बताना चाह रहे हों ? उनकी बात कर रहे हों।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तुमन तो बोनस ला तको नहीं देव। समर्थन मूल्य देहूं कहे रहे हो तेला 2200 रूपये देहो का ?

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- हम किसानों को खुलेआम लाठी से तो नहीं मार रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- 2200 रूपये समर्थन मूल्य।

श्री अजय चंद्राकर :- आप जो तीन कांग्रेस से भेजे हों, उसके तो दर्शन करा दो और उनको बोलो कि...। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- 2200 रूपये समर्थन मूल्य कहां है ? किसानों का बोनस कहां है ? क्या आप किसानों को इसको दिये थे ?

सभापति महोदय :- कृपया, आप जारी रखें।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, अब भारत सरकार दूध और पनीर में भी जी.एस.टी. लगा रही है और यहां की सरकार लोगों को बोनस दे रही है और उनको राजीव गांधी किसान न्याय योजना से लाभ दे रही है और आप लोग आरोप लगा रहे हों।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, जरा डहरिया जी यह बताये किय यह रंजिता रंजन कौन हैं ? क्या आप उनको देखे हों ? रंजिता रंजन कौन हैं ?

श्री धरमलाल कौशिक :- उनको क्या मालूम होगा कि रंजिता रंजन कौन हैं ? आप किनसे पूछ रहे हैं ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हमारी सांसद हैं। आपको उसमें क्या दिक्कत है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वह कौन हैं ?

श्री अजय चंद्राकर :- 5 दिन पहले जब आपने...। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- पहिली तो ते बोनस ला दे नहीं सकेस अउ बात करत हस। तुमन ला तो किसान मन के बात करे के अधिकार ए नहीं है।

श्री अजय चंद्राकर :- जिस दिन आपने उनको उम्मीदवार घोषित किया, उसके पांच दिन पहले उनके हसबेण्ड का बयान था कि मैं पैसा देकर टिकट ला सकता हूं। यदि आप कहेंगे तो मैं आपको उनका वह बयान पढ़ा दूंगा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- क्या आप लोग 2200 रूपये समर्थन मूल्य दिये ? डॉ. साहब बइठे हैं। तुही मन 2200 रूपये समर्थन मूल्य दे के घोषणा करे रहे हो न ? आप लोग घोषणा किये थे या नहीं किये थे अउ ते कहे रहे हस कि अगर किसान के कर्जा माफ होही तो मैं इस्तीफा दे दुहूं। सब किसान के कर्जा माफ होगे, ते चुकाएल तक नहीं आएस।

श्री शिवरतन शर्मा :- ओ होगे होगे।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- धमतरी में किसानों को लाठी से मरवाये थे। लाठी से।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं एला अउ बालहु। ते तीन दिन रूक, मैं एला अउ बोलहुं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तोर इस्तीफा ओखर ले पहिली आना रीहिस हे।

श्री अजय चंद्राकर :- ते तीन दिन रूक, एला अउ बोलहु।

श्री अमरजीत भगत :- मालूम है कि एला का बोलथे ? ऐला बोलथे कि...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमन ला मालूम पड़ीस कि हमर डॉ. डहरिया हा वेटनरी डॉक्टर हैं। अभी मुख्यमंत्री जी हा घोषणा करे हे कि गौ मूत्र खरीदे जाही तो हाथी के मूत्र में और गाय के मूत्र में दोनों में का अंतर है ? उरवरा में एला ते बता दें।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अउ मोर इंजेक्शन हा बढ़िया लगथे। तोला जरूरत रही, ते बीमार रहिबे तो मैं तोला बढ़िया लगाहु। मोर जगह जो इंजेक्शन है ओला मैं तोला लगा दुहु तो तोला पूरा पता चल जाही। (हंसी)

श्री सौरभ सिंह :- कोई तरीका बता देबे।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं है कि छत्तीसगढ़ में नकली खाद, नकली बीज और नकली पेस्टिसाइड है। आज यदि किसान सबसे ज्यादा प्रताड़ित है तो इस सरकार की इन नीतियों के कारण परेशान है। जिस प्रकार से सप्लाई हो रही है और हम लोग एक बार नहीं, कितनी बार विधानसभा में अमानक बीज और अमानक खाद का प्रश्न लगा चुके हैं लेकिन कृषि मंत्री जी मजबूर हैं और वह कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कभी-कभी उनके बस की बात चलती है तो वह कार्रवाई की बात करते हैं लेकिन कोई कार्रवाई भी नहीं हो पा रही है। जो घोषणाएं भी होती हैं...।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं उसको..। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- भाई, तै नेता जी ला तो बोलन दे। नेता जी के बात ला काट देथस। समझ नहीं आये। ए तोला नेता नहीं माने।

श्री अजय चंद्राकर :- आप कृषि मंत्री तक सीमित मत कीजिए न। मुख्यमंत्री जी के छोड़ कोई भी मंत्री कुछ नहीं कर पा रहा है। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- कौशिक जी, ए तोला नेता नहीं माने। ते जब खड़ा होथस तो एहा तोला टोके बर खड़े हो जथे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अउ वैसे भी कृषि मंत्री जी के तबीतय ठीक नहीं है। ओहा का करही ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नहीं, कृषि मंत्री जी तंदरूस्त हैं। ते तीर मा आ के देख लें। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- तोला काम करना हे। ? तेहा सुस्ती दिखा देस।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, हम लगातार 3 साल से यह देख रहे हैं कि किसान प्रताड़ित हो रहे हैं और उसमें आप भी प्रश्न लगाये हैं। कहीं पर जर्मनेशन नहीं हो रहा है तो कहीं पर नकली खाद की बात आ रही है। अभी पेस्टिसाइड की बात आई। हमारे बहुत सारे वक्वाओं ने उस पर अपनी बातें रखी हैं। माननीय कृषि मंत्री जी को यह विचार करने की आवश्यकता है कि किसानों को इससे कब मुक्ति मिलेगी और इसको आप इसको नियंत्रित कब करेंगे ? जिस प्रकार से वहां पर सप्लाई करने वालों की होड़ लगी हुई है। गुणवत्ता को तो आज निकाल ही दिये हैं कि आज गुणवत्ता की जरूरत नहीं है। इतनी गुणवत्ता चाहिए और उसके बाद में जो सप्लाई करना है कर दीजिए, बाकी देखेंगे। उसको नियंत्रित करने के लिए जब हम पिछले समय प्रश्न लगाये तो विधानसभा की समिति के द्वारा जांच की घोषणा की गई है। अब पता नहीं कि उस जांच की रिपोर्ट इस सत्र में या डेढ़ साल के अंदर आ पाएगी या उसके बाद आएगी। मुझे यह नहीं मालूम, लेकिन माननीय कृषि मंत्री जी हिम्मत करके यह साहस तो दिखाया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, एक आरोप है कि केन्द्र सरकार के द्वारा खाद नहीं दी जा रही है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपने इसको स्वीकार कर लिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति जी, केन्द्र सरकार के द्वारा खाद नहीं दी जा रही है । यह बात केवल कृषि मंत्री नहीं कहते, बल्कि इनके मंत्री और इनके पदाधिकारी भी कहते हैं कि केन्द्र सरकार के द्वारा खाद नहीं दी जा रही है । मैं मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर का केवल दो लाईन पढ़कर सुनाता हूं, उस उत्तर में कहा गया है कि प्रदेश में मांग के विरूद्ध प्राप्त 8 लाख, 1815 मीट्रिक टन तथा 1.4.22 की स्थिति में शेष स्टॉक 3,25,278 मीट्रिक टन खाद सहित कुल 11 लाख, 27 हजार, 93 मीट्रिक टन में से 8 लाख, 9339 मीट्रिक टन उर्वरक खाद कृषकों को वितरित किया जा चुका है, जो गत वर्ष 2021 की इस अवधि में वितरित 7 लाख, 46 हजार 267 मीट्रिक टन उर्वरक की तुलना में 63,072 मीट्रिक टन अधिक है ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय नेता जी, उसका आशय यह है कि इसी अवधि में पिछले वर्ष से इतना अधिक वितरण हो चुका है । आवंटन के विरूद्ध जो प्राप्त हुआ है, वह । आखरी बात और सुन लीजिए । जब 2017-18 में आपकी सरकार थी तो पूरी खरीफ सीजन में जितना खाद आपने बांटा था, उतना खाद का तो वितरण अभी तक हो चुका है । (मेजों की थपथपाहट)

श्री धरम लाल कौशिक :- मैं भी इसी बात को कह रहा हूं ।

श्री सौरभ सिंह :- वह प्राईवेट में चला गया न ।

श्री शिवरतन शर्मा :- उसके बाद भी किसान क्यों भटक रहा है ? क्योंकि आपने खाद को प्राईवेट लोगों को बांट दिया है । प्राईवेट लोगों के गोदामों में खाद पड़ा हुआ है इसलिए किसान भटक रहा है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति जी, मैं भी इसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि जब कृषि मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी आरोप लगाते हैं कि केन्द्र सरकार के द्वारा खाद नहीं दिया जाता और हमारी जो मांग पत्र गयी, उस लक्ष्य के अनुरूप केन्द्र सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है । दूसरी तरफ पिछली बार आपने जो खाद बांटा था, उससे ज्यादा खाद केन्द्र सरकार के द्वारा दिया गया है । जो खाद दिया गया है, वह आपने सोसायटी के माध्यम से उसको वितरित किया गया है । यह दोतरफा नहीं चलेगा । एक तरफ केन्द्र सरकार के ऊपर आरोप लगाना और उसके बाद में खाद वितरित करके वाहवाही लूटते हैं । जब आप इतना खाद बांट चुके हैं तो किसानों को 500-600 रूपए में यूरिया लेने की क्या आवश्यकता है ? 1600-1700 रूपए में डी.ए.पी. लेने की क्या आवश्यकता है ? जो रबी का फसल हुआ, यदि हम धान की बात करें तो रबी का फसल खरीफ की फसल से मैं समझता हूं कि 30 प्रतिशत है, उससे ज्यादा का नहीं है । उस समय में यूरिया और डी.ए.पी. का शार्टेज था । आखिर केन्द्र के द्वारा इतना खाद देने के बाद में खाद कहां जा रहा है, यह किसके गोदाम में जा रहा है । मैं आरोप लगा सकता हूं और आपको बोल सकता हूं कि यह किसानों की बजाय बिचौलियों के पास खाद जा रहा है और बिचौलियों के पास जाने के बाद में आज किसान प्रताड़ित हो रहे हैं, किसानों का शोषण कर रहे हैं और उनको 5-6 सौ रूपए में यूरिया खरीदने की आवश्यकता पड़ रही है । मैं इस बात को कुछ लाईन में बताना चाहता हूं । सत्ता पक्ष कहता है कि कम खाद दिया गया । वह खाद कैसे, कहां पर जा रहा है, वह मैं आपको बता रहा हूं । वर्ष 2019 में यूरिया निजी क्षेत्र में दिए गए लक्ष्य 2.15 लाख मीट्रिक टन के विरूद्ध 2596 मीट्रिक टन वितरण हेतु लगभग 38 प्रतिशत निजी दुकानों को आपने ज्यादा दिया है । उसके बाद में आपने डी.ए.पी. 50 हजार मीट्रिक टन के लक्ष्य के विरूद्ध में 83 हजार मीट्रिक टन वितरण हेतु आपने निजी दुकानों को 66 प्रतिशत अधिक उपलब्ध कराया । यह कहां के आंकड़े हैं, बता दूं ? यह कहां के आंकड़े है, वह मैं बता देता हूं । विधान सभा में 11 मार्च, 2022 को अतारांकित प्रश्न संख्या-48 के अंतर्गत दी गई जानकारी के अनुसार यह आंकड़ा है, यह मेरा आंकड़ा नहीं है । मुख्यमंत्री जी हर बार पूछते हैं कि आंकड़ा कहां से उठाकर ले आये हैं । आपने जो उत्तर में बताया है, यह वही आंकड़ा है । मैं 2020-21 की भी आंकड़ा बता सकता हूं, लेकिन कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान आपकी प्राथमिकता में नहीं हैं । आपकी प्राथमिकता में निजी व्यापारी हैं और किसानों के लिए जो खाद आये हैं, उसे आप बिचौलिये को सप्लाई कर रहे हैं और बिचौलियों को दे रहे हैं, इसके कारण किसानों को खाद नहीं मिल रहा है और हमारे किसान मजबूर होकर ज्यादा दर पर खाद खरीद रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। उस दिन किसान लाईन में लगे हुए थे और लाईन लगने के बाद भी उन्हें खाद नहीं मिला। उसको दूसरे दिन खाद देने के लिए बुलाया गया था और वहीं पर उस किसान की मृत्यु हो गई। किसान खाद के लिए लाईन में लगे हुए थे, दूसरे दिन खाद के लिए बुलाया गया था और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। उसका परमिट कटा हुआ था।

माननीय सभापति महोदय, आज जहां पर सोसायटी है, मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा कि जहां लाईन में किसानों की काफी भीड़ हो और पुलिस को बुलाकर व्यवस्था संभालना पड़े। आखिर पुलिस को व्यवस्था संभालने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है ? किसान आपस में क्यों लड़ रहे हैं ? उसका कारण यह है कि किसानों को विश्वास नहीं है कि मुझे कल खाद मिलेगा। इसके कारण वहां पर जाकर किसान आपस में झगड़ रहे हैं, किसानों की आपस में मारपीट हो रही है और पुलिस को जाकर कार्रवाई करनी पड़ रही है। हमने छत्तीसगढ़ बनने के पहले और छत्तीसगढ़ बनने के बाद ऐसा नजारा कभी नहीं देखा है कि किसानों को सोसायटी में जाकर लड़ने के लिए मजबूर होना पड़े।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं बीज की बात कर रहा हूं। किसानों द्वारा बीज निगम को बीज दिया गया था, लेकिन आज तक किसानों को उसका भुगतान नहीं हुआ है। आप उसको थोड़ा सा चेक करवा लीजिये। मेरे पास किसान लोग बीच में आये थे। किसानों को भुगतान क्यों नहीं हुआ है ? क्योंकि बीज निगम के पास किसानों को देने के लिए पैसा नहीं है। इस तरह किसान उस पैसे के लिए घूम रहे हैं। जिन्होंने बीज निगम को बीज दिया है ऐसे किसान भुगतान के लिए चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी उनको पैसा नहीं मिल रहा है। बीज निगम के द्वारा सरकार से पैसे की मांग की गई है, लेकिन उसको एलाटमेंट नहीं मिला है, पैसा नहीं मिला है, जिससे वह किसानों को भुगतान कर सकें।

सभापति महोदय :- माननीय, थोड़ा संक्षिप्त में कहकर समाप्त करें, 15 मिनट हो गए हैं।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, चलिये, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज बिजली की क्या स्थिति है ? हमारे बहुत सारे सदस्यों ने ट्रांसफार्मर की स्थिति के बारे में अवगत कराया है। ट्रांसफार्मर फेल होने के बाद उसको बदलने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। दूसरी बात, किसानों के गांव में लाईन है, लेकिन जहां खेतों में किसान रहते हैं, वहां पर लाईन नहीं है। शाम 6 बजे, रात को 8 बजे लाईन बंद कर दिया जाता है, रात भर पंप की लाईन बंद रहती है, उनको सुबह बिजली दी जाती है। तो जो किसान खेतों में बसे हुए हैं,जहां पंप हाऊस बनाकर रखे हुए हैं, जहां पर वे लोग बसे हुए हैं, वहां बिजली नहीं है। उनके पास 5 हार्स पावर का पंप है, बिजली का कनेक्शन है, लेकिन उनको पीने के पानी के लिए गांव में आना पड़ता है और गांव से पानी लेकर पीते हैं। पीने के पानी के लिए भी उनके पास लाईन की व्यवस्था नहीं है। लाईट बंद कर दिया जाता है। किसानों की रोपाई के समय पर हो जाना चाहिए, लेकिन लाईट बंद होने के कारण हमारे किसानों के खेत पिछड़ गये हैं और रोपाई नहीं हो पा रहा है। खेतों में पंप लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी पिछड़ गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, 15 साल डॉ. रमन सिंह की सरकार रही है। उस समय किसानों को एक पैसा भी बिजली का बिल नहीं पटाना पड़ता था। क्योंकि उन्हें 7,500 यूनिट फ्री दिया गया था। या तो किसान 5 हार्स पॉवर के फ्लेट रेट में बिल पटाये या 7,500 यूनिट फ्री बिजली का उपयोग करें। किसान को उससे ज्यादा बिजली की आवश्यकता नहीं है। यह जो तथाकथित किसान हितैषी सरकार है,

आज किसानों को बिल भेज रही है। आज किसी किसान का 15 हजार का बिल आया है, किसी किसान का 20 हजार का बिल आया है तो किसी किसान का 25 हजार रूपये बिजली का बिल आया है। किसानों के पास 15 हजार, 20 हजार, 25 हजार बिजली का बिल आया है तो आज किसान कहां से उस बिल का पैसा पटायेंगे ? जब उनको फ्लेट रेट दिया गया है, जब उनको यूनिट में छूट दिया गया है, तो आखिर उनको बिल भेजने का क्या कारण है ? ये बिल भेजने के कारण सारे किसान परेशान हैं।

माननीय सभापति महोदय, हम लगातार इस आवाज को उठा रहे हैं कि किसानों की जो आवश्यकता का जो सामान है, आवश्यकता के समय उनको सामान मिल जाये। लेकिन उनको उपलब्ध कराने में यह सरकार असफल रही है। मैं तो यही सोच रहा था कि सरकार इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकर कर किसानों के हित में निर्णय लेती। यदि यह सरकार किसानों की हितैषी होती तो निश्चित रूप से स्थगन को स्वीकार करती। इससे हम समझ सकते हैं कि ये केवल दिखावे के लिए बात करती है, लेकिन बिचौलियों का साथ देती है। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

सभापति महोदय :- शासन का वक्तव्य तथा माननीय सदस्यों के विचार सुनने के पश्चात् मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, इसको स्वीकार करके चर्चा नहीं करा रहे हैं, इसके विरोध में हम बहिगर्मन करते हैं ।

समय :
4:25 बजे

<u>बहिगर्मन</u>

<u>भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य नहीं किये जाने के विरोध में</u>

(श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य नहीं किये जाने के विरोध में सदन से बहिगर्मन किया गया ।)

समय :
4:25 बजे

<u>ध्यानाकर्षण सूचना</u>

सभापति महोदय :- सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138 (3) को शिथिल करके मैने आज की कार्यसूची में तीन ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मैं समझता हूँ कि सदन इससे सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

सभापति महोदय :- डॉ. रेणु अजीत जोगी ।

1. डॉ. रेणु अजीत जोगी (XX) [9]

सभापति महोदय :- श्री पुन्नूलाल मोहले जी सदस्य ।

2. <u>प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनवाये जाने में आ रही परेशानी के संबंध में ।</u>

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- सभापति महोदय, प्रदेश में लाखों छात्र-छात्राओं एवं अभिभावक अपने बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनवाने दर-दर भटक रहे हैं । जाति प्रमाण पत्र के आवेदन शासकीय नियमों/प्रक्रियाओं अफसर शाही के जाल में उलझ कर कार्यालयों में घूल खा रहे हैं, वहीं लाखों छात्र-छात्राओं को उनके शिक्षा/उच्च शिक्षा/शासकीय नौकरी के अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है । छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के (सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र) जारी किये जाने की जटिलताओं को देखते हुए उसमें सरलीकरण कर लोगों को आसानी से प्रमाण पत्र मिल जाये, इसलिए आदेश क्र.एफ.13-2/2021/आ.प्र./1-3 दिनांक 19-07-2021 के माध्यम से सचिव ने एक 3 बिन्दु का आदेश सभी कलेक्टरों को जारी किया था, जिसमें सामान्य प्रशासन द्वारा सरलीकरण प्रक्रिया के तहत जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु पंचायत नगर पंचायत, नगर पालिक, नगर निगम एवं नगर निगम में ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिजनों के पूर्व के रिकार्ड नहीं है, उन्हें सामान्य सभा के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया के सरलीकरण अर्थात संकल्प के माध्यम से पंचनामा एवं स्थल निरीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर सामान्य सभा में घोषणा कर उस आवेदनकर्ता को जिसके लिए वह जाति प्रमाण पत्र का आवेदन प्रस्तुत किया है, जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाये । इस आदेश के बाद भी पूरे प्रदेश में आवेदकों को 1950 के पूर्व का रिकार्ड पेश करने के नाम पर लौटाया जा रहा है । आवेदकों को पावती नहीं दी जा रही है । स्थानीय निकायों में भी अनेक कारण बताकर आवेदकों को लौटाया जा रहा है । निगमों के अधिकारी आवेदकों को तहसील कार्यालय भेज रहे हैं । प्रदेश के निकायों में जहां हजारों आवेदन लंबित हैं, वहीं कई निकायों के द्वारा प्रस्ताव पारित कर भेजे गये आवेदन तहसील एस.डी.एम. कार्यालय स्तर पर भी वर्षों से लंबित रखा है । प्रदेश के निकायों में जहां हजारों आवेदन लंबित हैं, वहीं

[9] अनुपस्थित

कई निकायों के द्वारा प्रस्ताव पारित कर भेजे गए आवेदन तहसील एस.डी.एम.कार्यालय स्तर पर भी वर्षों से लंबित रखा है । प्रदेश के खैरागढ़ न.पा.पं. ने जाति प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव व संकल्प पारित कर एस.डी.एम. को भेजा पर आज कई माह से सारे आवेदन लंबित रखे गये हैं । यह स्थिति पूरी प्रदेश में है । छात्र जाति प्रमाण पत्र से वंचित हैं । जिसके चलते शिक्षा/उच्च शिक्षा के अधिकार से छात्र वंचित हो रहे हैं, इससे इस वर्ग में भारी असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- यह कहना सही नहीं है कि प्रदेश में लाखों छात्र-छात्राएं एवं अभिभावक अपने बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनवाने दर-दर भटक रहे हैं । यह कहना भी सही नही है कि लाखों की संख्या में जाति प्रमाण पत्र के आवेदन शासकीय नियमों/प्रक्रियाओं अफसरशाही के जाल में उलझ कर कार्यालयों में घूल खा रही है और लाखों छात्र-छात्राओं को उनके शिक्षा/उच्च शिक्षा/शासकीय नौकरी के अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है । छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 19-07-2021 के द्वारा छ.ग.के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र)जारी किये जाने के लिए दिए गये निर्देश का पालन किया जा रहा है । 1950 के पूर्व के दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, स्थानीय निकायों के विधिमान्य संकल्प को इस हेतु स्वीकार किया जा रहा है । किसी पात्र आवेदक को 1950 के पूर्व के ही दस्तावेज पेश करने के नाम पर नहीं लौटाया जा रहा है । लोक सेवा केन्द्रों में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की पावती दी जा रही है एवं इस हेतु बनाये गये ऑनलाईन पोर्टल पर नागरिक स्वयं भी आवेदन दर्ज कर सकते हैं । स्थानीय निकायों द्वारा आवेदकों को अनेक कारण बताकर लौटाये जाने संबंधी कथन सही नहीं है एवं इस संबंध में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है एवं स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्ताव पारित कर भेजे गये आवेदन तहसील व एसडीएम कार्यालय में वर्षों से लंबित नहीं है

अनुविभाग खैरागढ़ के अंतर्गत नगरपालिका परिषद खैरागढ़ द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु कुल 76 आवेदकों का प्रस्ताव व संकल्प 11.02.2022 को पारित किया गया है। इसमें से कुल 33 आवेदकों द्वारा लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें से 07 व्यक्तियों को स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है, शेष 26 आवेदन समय सीमा में प्रक्रियाधीन हैं, इसमें से 12 आवेदन पत्र लिंक मिलान नहीं होने, दस्तावेज की मूल प्रति अपलोड न करने एवं जानकारी अपूर्ण होने के कारण वापस किया गया है। छात्र-छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने से वंचित नहीं किया जा रहा है। अत: छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों में जाति प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में किसी प्रकार का असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि 1950 के रिकॉर्ड को संशोधन करते हुए या शिथिलीकरण करते हुए आपने आदेश जारी किया। आदेश जारी करने के बाद समस्त प्रदेश में दो प्रकार के जाति प्रमाण पत्र बनाये जाते हैं, एक अस्थाई एवं एक स्थाई जाति प्रमाण

पत्र होता है। स्थाई जाति प्रमाण पत्र के लिए अगर कोई व्यक्ति अपना स्वत: का प्रमाण पत्र या affidavit देता है तो जाति प्रमाण पत्र बन जाता है। मगर बहुत सी जगह पर affidavit देने पर नहीं बन पाता है। मैं नगरपालिका की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं। जो बच्चे उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं, अन्य कार्य करते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं या अपने अन्य व्यवसाय संबंधी कार्य के लिए जाते हैं उनको स्थाई जाति प्रमाण पत्र की भी जरूरत पड़ती है। जो बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले हैं उनका स्थाई जाति प्रमाण पत्र स्कूल स्तर से बन जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि 1950 की प्रक्रिया को किस तरह से शिथिल किया गया है, स्थाई और अस्थाई जाति प्रमाण पत्र कैसे बनता है और जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए क्या-क्या दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, कृपा कर यह बताने का कष्ट करें ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, इसमें माननीय सदस्य ने पूरे प्रदेश के बारे में कहा है, पहले उसकी जानकारी दे देता हूं। 01.01.2022 तक प्रदेश में टोटल 14,81,719 आवेदन आये हैं। मैं जिलेवार जानकारी भी बता सकता हूं। इन आवेदनों में 11,99,697 आवेदनों का निराकरण हो चुका है और इनमें जो कमियां पाई गई थीं उसके कारण 19,807 आवेदन निरस्त किये गये हैं। इसके साथ-साथ आपने जो कहा है कि प्रदेश में अस्थाई एवं स्थाई जाति प्रमाण पत्र किसके द्वारा बनाया जाता है। प्रदेश में सभी तहसील न्यायालयों में नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के स्थाई जाति प्रमाण ऑनलाईन बनाये जा रहे हैं। स्थाई जाति प्रमाण पत्र के बारे में सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के स्थाई जाति प्रमाण पत्र ऑनलाईन बनाये जा रहे हैं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि लगभग 7 हजार आवेदन कारणों से निरस्त हुए हैं, उन आवेदनों के निरस्त करने का क्या-क्या कारण था ? मैं यही तो आपसे जानना चाहता हूं कि स्थाई एवं अस्थाई जाति प्रमाण निरस्त करने के कौन-कौन से कारण थे ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, 14,81,719 लाख आवेदन आये हैं, उसमें 11,99,697 बनाये जा चुके हैं और कुछ प्रक्रियाधीन हैं। जो आवेदन निरस्त हुए हैं, उसका पूरे प्रदेश का एक-एक आवेदन के निरस्त होने का कारण बताया जाना संभव नहीं है। अगर आप बोलेंगे तो मैं अलग से आपके लिए सूची मंगवा दूं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मैं उदाहरण सहित पूछ रहा हूं। आप दो-चार बिन्दु बता दीजिए कि किन-किन आधार पर उनका प्रमाण पत्र निरस्त किया गया? मैं पूरे 7 हजार का नहीं पूछ रहा हूं, मैं उनके निरस्त कारण का कारण पूछ रहा हूं।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- जाति प्रमाण पत्र affidavit के आधार पर भी बनाये जा रहे हैं। मान लीजिए अगर उनका आवेदन सही नहीं है, उसमें कमियॉ हैं, इसलिए उनके आवेदन निरस्त किये गये हैं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मैं वही तो पूछ रहा हूं कि कौन सा कारण है जो सही नहीं है?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- मैंने बताया न कि अगर आप विस्तृत जानकारी के लिए बोलेंगे तो मैं आपको पूरी विस्तृत जानकारी दे दूंगा।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मान लीजिए पुन्नूलाल मोहले स्थाई जाति प्रमाण बनाना चाहता है तो उसके लिए मुझे क्या-क्या चीज की आवश्यकता है? इस कारण स्थाई प्रमाण पत्र बनेगा और अगर नहीं बनेगा तो किस कारण से नहीं बनेगा?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- मैंने बताया न कि affidavit के आधार भी जाति प्रमाण पत्र बनाये जा रहे हैं। 1950 के पहले के रिकॉर्ड की जो आपने बात की, उसका भी जवाब दिया जा चुका है। उसमें 19.07.2022 को कलेक्टरों को, सभी को आदेश जारी किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थाई जाति प्रमाण पत्र बनाये जाते हैं। दस्तावेज अपूर्ण होना एक कारण है, अगर कोई भी दस्तावेज पूरे नहीं होगे इसलिए उनके आवेदन को रोका जाता है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मैं यही तो जानना चाहता हूं कि क्या-क्या दस्तावेज लगेगा, कौन-कौन से दस्तावेज नहीं लगे हुए थे, इन दस्तावेजों के संलग्न नहीं होने के कारण आवेदन निरस्त हो गया, यह बताने का कष्ट करें?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- मैंने आपको बताया कि मैं आपको विस्तृत जानकारी दे दूंगा।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- विस्तृत क्या, सिर्फ दो मिनट की बात है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- आपने सिर्फ खैरागढ़ का पूछा है, मैं आपको उसका भी बता देता हूं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मैं खैरागढ़ का नहीं पूछ रहा हूं। मैं किसी का भी जाति प्रमाण-पत्र बनाने के बारे में पूछ रहा हूं कि सामान्य व्यक्ति का किस आधार पर जाति प्रमाण-पत्र बनाया जाता है?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- आपने पर्टिकूलर जो खैरागढ़ की चर्चा की है, मैं उसकी भी जानकारी दे देता हूं कि खैरागढ़ में 01.01.2022 से 15.07.2022 तक, 1575 आवेदन आये और पूरे 1575 आवेदनों का निराकरण कर दिया गया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- यह तो दस्तावेज के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- इसमें क्या-क्या दस्तावेज लगते हैं? आपने जैसे 1950 को निरस्त किया। क्या आप 1950 को, बी-1 नकल को, उसकी पढ़ाई को मानते हैं ? आपने कहा कि एफिडेविट देने पर जाति प्रमाण-पत्र बन जाता है लेकिन जब उन्होंने एफिडेविट दिया है तो उसका क्या आधार है कि उसको निरस्त किया जाता है? वह व्यक्ति एफिडेविट देने पर स्वत: जिम्मेदार होता है और तहसीलदार को प्रमाण-पत्र ..। ऐसा नियम है।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री जयसिंह अग्रवाल :- 1950 के पूर्व के जो दस्तावेज अनिवार्य है, उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति के प्रमाण-पत्र हेतु 1950 के पूर्व दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर, स्थानीय निकाय के पारित संकल्प के आधार पर भी जाति प्रमाण-पत्र जारी किये जा रहे हैं। उसमें कुछ एफिडेविट वगैरह देना पड़ेगा। यदि कोई कुछ देगा ही नहीं तो जाति प्रमाण-पत्र कहां से मिलेगा।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो यही जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन-कौन से प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है, जिससे अस्थायी रूप से जाति प्रमाण-पत्र बनाये जाते हैं ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- ठीक है, मैं बता देता हूं। शिक्षा संबंधी प्रमाण-पत्र, 1950 के पूर्व का भू-अभिलेख और नगरीय निकाय का संकल्प।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद्।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तूरी) :- अध्यक्ष महोदय, एक छोटा-सा प्रश्न है। स्कूलों में भर्ती के लिये जो अस्थायी प्रमाण-पत्र है। ग्राम पंचायतों में क्या निर्देश है कि बड़ी सरलता से अस्थायी जाति प्रमाण-पत्र बन जाये, आपने क्या निर्देश दिया है ? उनको आज भी स्कूलों में भर्ती के लिये पटवारी का चक्कर लगाना पड़ता है, सरपंच का चक्कर लगाना पड़ता है। आपका क्या निर्देश है कि सरलता से जाति प्रमाण-पत्र बन सके? अस्थायी, अस्थायी।

अध्यक्ष महोदय :- अस्थायी जाति प्रमाण-पत्र कौन Issue करेगा ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- मैंने बताया है कि निर्देश तो 1950 का है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, यही सबसे कठिन प्रश्न है कि उसके पास 1950 का कोई भी प्रमाण-पत्र होना चाहिये। अब जो कर्मचारी यहां आकर 30 साल पहले से रह रहा है और वह एस.सी. वर्ग के अंतर्गत आता है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- डॉ. साहब।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. साहब, सुन तो लीजिये।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- मैं यह बात बता चुका हूं कि यह जरूरी नहीं है। यदि वह एफिडेविट देगा तो उसके आधार पर ही जाति प्रमाण-पत्र बनाये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- एफिडेविट देने के आधार पर बन जायेगा।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, एफिडेविट में जो प्रक्रिया शब्द है कि आपके पास दस्तावेज प्रमाणित होगा, उसके बाद वह सेल्फ डिक्लेरेशन में एफिडेविट देगा।

अध्यक्ष महोदय :- यदि इस तरह की कठिनाई है तो यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, वह सुन रहे हैं। वह इसमें संशोधन कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- यदि यह प्रक्रिया इतनी कठिन होती तो 01.01.2022 से 15.07.2022 तक आपके 11,99,000 आवेदन निराकृत नहीं होते। 12 लाख आवेदन स्वीकृत हुए हैं।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, इसको यही पर छोड़िये। संतराम नेताम जी।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- चलिये, मैं आपको इसमें एक उदाहरण बता देता हूं। सोनकर समाज।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय..।

अध्यक्ष महोदय :- सियान, आपके छः प्रश्न हो गये हैं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अध्यक्ष महोदय, छः प्रश्न हो गये लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप संतुष्ट कब होंगे ?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- जब आप संतुष्ट करेंगे तब।

अध्यक्ष महोदय :- आप तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हो। मैं आपको कैसे संतुष्ट करूंगा?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अब मैं आपकी तरफ ही देखकर बात करूंगा।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- यदि कहीं का बचा होगा तो आप बता दीजिये। मैं हू न आप क्यों चिंता कर रहे हैं?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मैं बचे हुए की बात नहीं कर रहा हूं।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- आप सुनिये, आपने पर्टिकुलर खैरागढ़ की बात की। मैंने उसका जवाब दे दिया कि 100 प्रतिशत प्रमाण-पत्र बनाये जा चुके हैं। आपने 1950 से पहले की बात की, मैंने उसकी भी जानकारी दे दी कि एफिडेविट के आधार पर बनेगा। मैंने आपका टोटल प्रदेश का बता दिया। यदि किसी जिले की बात हो तो मैं आपको जिले की जानकारी दे देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- पुन्नूलाल जी, आप मेरी तरफ तो नजर मिलाये।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब एफिडेविट के आधार पर प्रमाण-पत्र बनता है 1950 में। आपने 2021 के सातवें महीने का क्लीयर किया। उन्होंने जब प्रमाण-पत्र लेने के लिये एफिडेविट दे दिया, चाहे स्कूल का, चाहे गांव का या सरपंच का एफिडेविट दे दिया तो उसके निरस्त होने का क्या कारण है? क्योंकि जिन्होंने एफिडेविट दिया है वे स्वंय जिम्मेदार है। यदि वे अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं या अन्य हैं तो यदि वे एफिडेविट देते हैं तो उसका जिम्मेदार स्वतः वह व्यक्ति होगा न कि सरकारी अधिकारी। तो ऐसे चीजों में रोकने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूं कि यदि किसी ने एफिडेविट दिया है और उसका कागज कम्प्लीट है और वह निरस्त हुआ है तो यदि किसी जिले का होगा तो आप बता दीजिये। उसको प्रमाण-पत्र नहीं मिलेगा, तब आप बोलियेगा।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मैं वही तो बोल रहा हूं। मैं मुंगेली, बिलासपुर सब जगह का बोल रहा हूं। मेरा विषय किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। सिर्फ आपके आदेश का पालन करने के लिये है।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एफिडेविट सेल्फ डिक्लेरेशन में देते हैं। उसके पास दस्तावेज नहीं है इसीलिए तो वह डिक्लेरेशन देगा।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- हां।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- उसके पास दस्तावेज नहीं है तभी वह डिक्लेरेशन देगा। जो लोग नहीं है जैसे कुछ समाज है, सोनकर समाज, खटिक समाज, जो एस.सी. के अंतर्गत आते हैं और वे शहरों में रहते हैं। उनके पास 50 साल पहले कोई भूमि नहीं थी।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- उनसे एफिडेविट दिलवा दीजिये।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- वे एफिडेविट देने के लिये तैयार हैं। लेकिन एफिडेविट में फिर 50 साल वाला दस्तावेज मांगेंगे।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- वह नहीं मंगेंगे। सुनिये। जो चिट्ठी लिखी गई है, जो नियम है उसके तहत अगर कहीं जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है तो आप बताईये। आप उसकी शिकायत करिये, हम उस पर कार्यवाही करेंगे।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय मंत्री जी, आप Affidavit को क्लॉज बनाते हुए, जिसमें दस्तावेज का self declaration हो और बिना क्लॉज का हो, क्या ऐसा निर्देश देकर रखे हैं ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- आप कोई जगह का बताईये। ऐसी बात क्यों कर रहे हो ?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जो Affidavit बनवा रहे हैं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय मंत्री जी, आपने जो 7 हजार आवेदन निरस्त किया है क्या उन आवेदनों की पुन: जांच करायेंगे और ऐसे किसी अधिकारी के ऊपर कार्यवाही करेंगे।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। 60 हजार नहीं। 19807 आवेदन हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार सरकार को, माननीय मंत्री जी को पुन: निर्देश जारी करने की आवश्यकता है। यह रायपुर शहर में भी है। वर्ष 1950 के पूरे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। Affidavit देने के बाद भी प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं। यह रायपुर शहर में भी है। मंत्री जी, एक बार फिर से जो नये निर्देश, आदेश हैं वह सभी अधिकारियों को उपलब्ध करवा दें। अगर वह कोई Affidavit देता है तो उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं रोका जाए। फिर से आप ऐसे निर्देश जारी कर दें, क्योंकि बहुत सारे स्थानों पर तहसीलदार इस प्रकार के जाति प्रमाण पत्र नहीं बना रहे हैं।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब उनको सूचना दे दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, आप मेरी बात सुनिये। एक बार अपने अधिकारियों को बुलाकर, समीक्षा कर लीजिए कि क्या हो रहा है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी।

अध्यक्ष महोदय :- यदि कोई गलत हो रहा है तो उनको सुधार करने के निर्देश दे दीजिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी। ठीक है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका सबसे अच्छा हल यह है। सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। वह छत्तीसगढ़ की एक स्थायी domicile नीति बना दें। क्योंकि छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़ी यह बहुत चलता है। जब यह विषय उठा है तो एक domicile नीति बना दें तो यह सारा झंझट खत्म हो जाए।

अध्यक्ष महोदय :- श्री संतराम नेताम।

(3) **<u>अबूझमांड़ सहित नारायणपुर जिले में संचालित आश्रम शालाओं के कम्प्यूटर कक्ष में विद्युतीकरण नहीं होना।</u>**

श्री संतराम नेताम (केशकाल):- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

अबूझमांड़ सहित जिले में दूरस्थ अंचल संचालित आश्रम शालाओं के बच्चे कम्प्यूटर शिक्षा ग्रहण कर सकें। इनको संज्ञान में लेकर राज्य सरकार द्वारा आश्रम शालाओं के लिए कम्प्यूटर का पूरा सेटअप दिए गए हैं, लेकिन विद्युत एवं ऑपरेटर की व्यवस्था करने के लिए आश्रम प्रबंधन एवं आदिवासी विकास विभाग द्वारा कोई कारगर कदम उठाने में कोई रूचि दिखाई नहीं जा रही है। इसमें आश्रम शालाओं में रखे लाखों रूपये के कम्प्यूटर रखे-रखे कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं। इस लापरवाही के चलते अबूझमांड़ सहित जिले के आश्रम शालाओं में अपना भविष्य संवार रहे बच्चों को आधुनिक युग में कम्प्यूटर शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है। नारायणपुर जिले के अबूझमांड़ के कोहकामेठा बालक आश्रम शाला में पिछले 6 माह पहले अबूझमांड़ विकास अभिकरण विभाग द्वारा बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा मिले और शहरों के बच्चों की तरह कम्प्यूटर में दक्ष हो इसके लिए कम्प्यूटर और टेबल छोड़ा गया, लेकिन कम्प्यूटर कक्ष में विद्युतीकरण नहीं होने के साथ ही कम्प्यूटर ऑपरेटर की पदस्थापना नहीं किये जाने के चलते कम्प्यूटर धूल खा रहे हैं। वहीं बालक आश्रम शाला के बच्चे कम्प्यूटर आने से बहुत खुश हुए थे तथा कम्प्यूटर सीख कर देश दुनिया से रूबरू होकर आगे बढ़ने का सपना संजोया था। लेकिन आदिवासी विकास विभाग एवं आश्रम शाला प्रबंधन की लापरवाही से अबूझमांड़ के बच्चे की शिक्षा हेतु दिये गये कम्प्यूटर शुरू होने के पहले कबाड़ में तब्दील होते जा रहे हैं। इससे बच्चों एवं पालकों के विभाग के प्रति असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा नारायणपुर जिले में संचालित 35 आश्रम शालाओं के लिए कम्प्यूटर सेट उपलब्ध कराए गए हैं। उक्त कम्प्यूटर का उपयोग आश्रम शालाओं में

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

निवासरत विद्यार्थियों द्वारा कम्प्यूटर सीखने हेतु किया जा रहा है। यह कहना सही नहीं है कि विभाग द्वारा विद्युत एवं ऑपरेटर की व्यवस्था हेतु कारगर कदम उठाने में कोई रूचि नहीं दिखाई जा रही है, इससे आश्रम शालाओं रखे कम्प्यूटर कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं। वरन सही यह है कि जिन आश्रम शालाओं में कम्प्यूटर सेट उपलब्ध कराए गए हैं, वहां विद्युत व्यवस्था भी की गई है। आश्रम शालाओं के सेटअप मे कम्प्यूटर ऑपरेटर का पद स्वीकृत नहीं होने के कारण कम्प्यूटर सिखाने के लिए अधीक्षकों/शिक्षकों को 15 दिवस का कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इस प्रकार कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी रखने वाले अधीक्षकों/शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को कम्प्यूटर सिखाया जाता है। जिले के जिन आश्रम शालाओं में कम्प्यूटर सेट उपलब्ध कराये गये हैं, वहां बच्चों को कोरोना महामारी के कारण लॉक डाउन अवधि को छोड़कर नियमित रूप से कम्प्यूटर सिखाया जा रहा है। कोई छात्र-छात्रा कम्प्यूटर शिक्षण से वंचित नहीं है। यह सही है कि विभाग द्वारा नारायणपुर जिले के आदिवासी बालक आश्रम कोहकामेटा में 06 माह पूर्व विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से कम्प्यूटर सेट उपलध्ब्ध कराये गये हैं। उक्त आश्रम के कम्प्यूटर कक्ष में विद्युत की व्यवस्था है तथा वर्तमान में आश्रम शाला में पदस्थ शिक्षक के द्वारा छात्रों को कम्प्यूटर सिखाया जा रहा है। यह सही है कि बच्चे कम्प्यूटर सीख कर देश दुनिया से रूबरू होकर आगे बढ़ने का सपना संजोते हैं। बच्चों के उन सपनों को पंख देने का ही काम विभाग द्वारा किया जाता है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाती है। हां, व्यवस्थागत कुछ खामियां अवश्य हो सकती है, पर वे खामियां इतनी बड़ी भी नहीं होती कि शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य हेतु बाधा बन सके। यह कहना कतई सही नहीं है कि लापरवाही के कारण कम्प्यूटर शुरू होने के पहले कबाड़ में तब्दील होते जो रहे हैं, बच्चों एवं पालकों में विभाग के प्रति असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है। बल्कि सही यह है कि जिले के आश्रम शालाओं में कम्प्यूटर का उपयोग बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षण प्रदान किये जाने में किया जा रहा है। उपलब्ध कराई जा रही कम्प्यूटर शिक्षा से विद्यार्थियों एवं पालकों में खुशी है तथा किसी भी पालक एवं बच्चे में विभाग के प्रति असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने शालाओं में कितने आपरेटर हैं ? मैं नाम की जानकारी जानना चाह रहा हूं, अगर आपने जानकारी दी है तो बता दीजिए। हमारा उद्देश्य है कि अगर हम कम्प्यूटर दे रहे हैं तो वहां पर ऑपरेटर देना चाहिए। कितने शालाओं में आपने ऑपरेटर दिया है वह मुझे बता दीजिए ? कौन-कौन सी शालाओं में दिया है। केवल कोहकामेठा को छोड़कर कितने शालाओं में कम्प्यूटर ऑपरेटर दिया है, आपने 35 शालाओं में दिया, बताया है। बाकी की जो 34 शालाएं हैं, वह कौन-कौन सी शालाएं है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि जो 35 शालाएं हैं, पूरी 35 शालाओं में कम्प्यूटर लगे हैं, बच्चे वहां पर सीख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। जो 88 आश्रम शाला

स्वीकृत है, चूंकि उसमें बिजली की व्यवस्था नहीं है। इस कारण से वहां पर कम्प्यूटर स्थापित नहीं किया गया है। जिन आश्रम शालाओं में कम्प्यूटर की स्थापना की गयी है, आप कहेंगे तो मैं उसको पढ़कर सुना देता हूं। आदिवासी नवीन बालक आश्रम बेनूर नारायणपुर, आदिवासी बालक आश्रम बासिंग ओरछा, आदिवासी कन्या आश्रम सोनपुर नारायणपुर, माध्यमिक कन्या आश्रम शाला बिजली नारायणपुर, आदिवासी बालक आश्रम धौड़ाई नारायणपुर, आदिवासी कन्या आश्रम बेनूर नारायणपुर, आदिवासी बालक आश्रम हलामीमुजमेंटा नारायणपुर, माध्यमिक आश्रम शाला गढ़बेगाल नारायणपुर, आदिवासी बालक आश्रम तोके ओरछा, माध्यमिक आश्रम शाला बेनूर नारायणपुर, माध्यमिक आश्रम शाला छोटेडोंगर नारायणपुर, माध्यमिक बालक आश्रम गुलुमकोड़ो ओरछा, कन्या माध्यमिक हितावाड़ा (ओरछा) ओरछा...।

अध्यक्ष महोदय :- कितनी लंबी सूची है, आप उनको उपलब्ध करा दीजिए।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 35 है।

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि आप मुझे जितने नाम बता रहे हैं, क्या आपने वहां पर विद्युत व्यवस्था की है ? आपने कितनी जगहों पर बच्चों को देने के लिए कम्प्यूटर ऑपरेटर बनाया है। हर शालाओं में बच्चे हैं। कितनी जगहों पर आपने कम्प्यूटर ऑपरेटर दिया है, उनकी संख्या बता दीजिए ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर में ही बताया है कि चूंकि वहां पर ऑपरेटर की व्यवस्था नहीं है। उनको प्रशिक्षण देकर, वहां पर जो आश्रम अधीक्षक हैं, वहां टीचर हैं, उनको 15 दिन की ट्रेनिंग दी गयी है। उनको कम्प्यूटर की जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए, वह उनको दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- आपके विभाग को वहां पर बेसिक जानकारी ही देना है या कम्प्यूटर आपरेटर देना है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि कम्प्यूटर ऑपरेटर सेटअप में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर जो....।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या कम्प्यूटर खरीदी के लिए कम्प्यूटर सप्लाई की गयी है। अगर ऑपरेटर नहीं हैं तो वहां पर ऑपरेटर नियुक्त क्यों नहीं करते ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- शायद ऑपरेटर वहां पर नहीं है। मैं वही पूछ रहा हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, वह ट्राईवल क्षेत्र है, माननीय संतराम जी ने एक गंभीर मुद्दा उठाया है कि हमारे अनुसूचित जनजाति के बच्चों को कम्प्यूटर की शिक्षा मिले और वहां पर कम्प्यूटर ऑपरेटर नहीं होगा तो केवल कम्प्यूटर की खरीदी के लिए वहां पर ऑपरेटर दिया गया है ? बाकी जगह क्यों नहीं लिया जा रहा है। कम्प्यूटर ऑपरेटर तो नियुक्त होने चाहिए। आपके पास

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डी.एम.एफ, कैम्पा के इतने पैसे हैं कि आप उन क्षेत्रों में से दे सकते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट सर्विस पर रख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में लगभग तीन लाख कम्प्यूटर की शिक्षा लिए हुए इंजीनियरिंग के बच्चे खाली हैं। आप अगर कम्प्यूटर के लिए प्रशिक्षक दे दें तो उन बच्चों का भविष्य सुधरेगा। आप भी उसी समाज से आते हैं तो आपको तो उनकी चिंता करनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप निर्देश दें।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, आप अधिकारियों को ऑफिस बुलाकर समीक्षा कर लें कि कैसे उनको कम्प्यूटर ऑपरेटर दिया जा सकता है। धन्यवाद।

समय :
4.50 बजे

<u>नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं</u>

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इसके उत्तर के लिये संबंधित विभाग भेजा जायेगा :-

1. श्री अजय चंद्राकर
2. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
3. श्री कुलदीप जुनेजा
4. श्री नारायण चंदेल
5. श्री सौरभ सिंह

समय :
4.51 बजे

<u>प्रतिवेदन की प्रस्तुति</u>

<u>गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन</u>

श्री धनेन्द्र साहू :- अध्यक्ष महोदय, मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

प्रतिवेदन इस प्रकार है:-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई, 2022 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय विधेयक एवं अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

<u>अशासकीय विधेयक क्र.</u>	**<u>सदस्य का नाम</u>**	**<u>समय</u>**
1. (क्रमांक -10 सन् 2021)	श्री सत्यनारायण शर्मा	1 घंटा 30 मिनट

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

अशासकीय संकल्प क्र.	**सदस्य का नाम**	**समय**
2. (क्रमांक -04)	श्री अजय चंद्राकर	30 मिनट
3. (क्रमांक -10)	श्री धर्मजीत सिंह	30 मिनट

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

समय :

4.52 बजे

याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

1. श्री नारायण चंदेल
2. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
3. श्री अजय चंद्राकर

समय :

4:53 बजे

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2022-2023 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :-मैं अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिये शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई, 2022 की तिथि निर्धारित करता हूं।

समय :

4.54 बजे

मंत्रि-मंडल में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय :- मेरे पास मंत्रि-मंडल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव की सूचना श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष व अन्य सदस्यों की ओर से प्राप्त हुई है, जिसे मैं पढ़कर सुनाता हूं।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

"यह सदन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल एवं उनके मंत्रि-मंडल के विरूद्ध अविश्वास व्यक्त करता है।"

अध्यक्ष महोदय :- जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दिये जाने के पक्ष में हों, वे कृपया खड़े जो जायें।

(दशांश सदस्यों के खड़े होने के पश्चात)

अध्यक्ष महोदय :- चूंकि नियमावली के नियम 143 के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार सदस्यों की समस्त संख्या में से दशांश सदस्य खड़े हुये हैं, इसलिये इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिये मैं, अनुमति देता हूं।

मैं, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हेतु बुधवार, दिनांक 27 जुलाई, 2022 को मध्यांह 12 बजे से 05:30 बजे तक का समय, जो समयानुसार बढा दिया जायेगा, निर्धारित करता हूं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सूचना देना था। मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहता हूं कि माननीय रविन्द्र चौबेजी, छ.ग.शासन, कृषि एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सौंपता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :-माननीय राज्यपाल की अनुमति मिल गई है क्या ?

श्री भूपेश बघेल :-जी हां। राज्यपाल महोदया की अनुमति मिल गई, विधानसभा में सूचना पहुंच गई, उसके बाद मैंने सूचित किया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :-ठीक है। चौबे जी बधाई हो।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई, 2022 को 11 बजे दिन तक के लिये स्थगित।

(04 बजकर 55 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई, 2022 (आषाढ़ 31, शक सम्वत 1944) को पूर्वान्ह 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छत्तीसगढ़)
दिनांक 21 जुलाई, 2022

अशोधित/अप्रकाशन के लिये नहीं